खण्ड-311, अंक-2
शनिवार, 26 श्रावण, शक संवत् 1896
(17 अगस्त, 1974 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 311 में 0 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1974

मूल्य : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, 17 अगस्त, 1974

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—410

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह श्री सेठी,
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री उर्फ जिमी मियां (एडवोकेट)
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नशतर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवेद्य नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्ण वीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रांति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
खयाली राम शास्त्री, श्री
गंगा दत्त विशारद, श्रीमती

गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सिंह, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वर पुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह नेगी, श्री (जिला टिहरी-गढ़वाल)
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर श्री (मेंहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, वर्मा श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायन बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्रा, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री

नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसा अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री (जिला देवरिया)
पुरुषोत्तम, श्री (जिला मिर्जापुर)
पुरुषोत्तम लाल वधवार श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नारायण सिंह, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह यादव, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बैचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मंजर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मिस्त्रयार खां, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
महम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री

मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह, "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजी लाल सेन, श्री

राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्द एडवोकेट, श्री
राम रती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दूबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह,श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लटूरी सिंह, श्री

लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री उर्फ नब्बन
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नरायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल लाठ, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खन्डेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोटः—चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सालिक राम जायसवाल भी सदन में उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शनिवार 17 अगस्त, 1974

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गेहूं खरीद योजनान्तर्गत गेहूं देने वाले कृषकों को उर्वरक देने के आदेश की वापसी

**1—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़) तथा श्री इन्द्र पाल सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सच है वर्तमान गेहूं खरीद योजना के अधीन किसानों को दो कुन्तल गेहूं पर 50 किलो रसायनिक खाद देने के आदेश को शासन ने हाल ही में वापस कर लिया है जिसके परिणाम स्वरूप किसानों में असन्तोष व्याप्त है तथा गेहूं खरीद योजना भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है ? यदि हां तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पाण्डेय)—

शासंन ने गेहूं खरीद योजना के अन्तर्गत 2 कुन्तल गेहूं देने वाले कृषकों को 50 किलो उर्वरक देने के आदेश को जनता की मांग पर खरीफ की फसल के लिये उर्वरक उपलब्धि बढ़ाने के उद्देश्य से जुलाई, 1974 के प्रथम सप्ताह से वापस ले लिया है ।

शासन को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि उक्त आदेश की वापसी के कारण कृषकों में असन्तोष व्याप्त है।

उक्त आदेश की वापसी से गेहूं की खरीद में कुछ कमी हो गयी है ।

श्री कल्याण सिंह—

माःयवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह आदेश किस निश्चय से वापस लिये गये और तब से लेकर अब तक खरीफ की फसल के लिये कितनी खाद सरकार की तरफ से वितरित की गयी ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, यह खाद देने का आदेश केवल इसलिये किया गया था कि उत्तर प्रदेश में गेहूं वसूली की स्थिति काफी गंभीर थी और इसीलिये हमने यह आदेश दिया कि जो व्यक्ति 2 क्विंटल गेहूं देगा उसे हम एक बोरी नाइट्रोजन देंगे । आपको जानकर खुशी होगी कि करीब-करीब 3 लाख टन गेहूं हमें मिला । बाद में उन जगहों से जहां गेहूं वसूली का लक्ष्य पूरा हो गया था वहां के कृषकों, विधायकों और जनता की सरकार से मांग के ऊपर इस आदेश को वापस ले लिया गया । क्योंकि खरीफ की फसल और गन्ने आदि की टाप ड्रेसिंग के लिये खाद देना था । इस आदेश के जारी रहते खाद मिलने में दिक्कत होती, इसलिये इसको रोक दिया गया ।

श्री इन्द्रपाल सिंह—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आपने जब यह आदेश दिया कि गेहूं के बदले खाद न दिया जाय तो उस वक्त तक जिन लोगों ने गेहूं दे दिया था, क्या उन लोगों को खाद दे दी जायगी । क्योंकि हो सकता है कि उनको खाद न दी जाय ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, जिनको खाद के परमिट दिये गये हैं, उनको निश्चित रूप से खाद मिलेगी ।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस चीज को देखते हुये कि रबी की फसलों के लिये नाइट्रोजन खाद की कम आवश्यकता होती है। इसलिये जो नाइट्रोजन के अलावा और खादें हैं, जैसे पोटाश, मिक्सचर, इन खादों को मुक्त रूप से बिकवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। नाइट्रोजन के अलावा जो खादें हैं, क्या उनको सरकार मुक्त करने का विचार कर रही है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, खाद की कमी को देखते हुये हम किसी भी खाद के मुक्त करने के पक्ष में नहीं हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि गेहूं के टार्गेट को वसूल करने की दृष्टि से गेहूं की वसूलियाबी में खाद देने का निश्चय किया गया था । जैसा माननीय मंत्री जी जानत हैं कि इस वष वसूलयाबी का लक्ष्य 7 लाख 44 हजार टन था । लेकिन वसूल केवल 3 लाख 10 हजार टन हुआ । जिस दिन इस आदेश को हटाया गया करीब-करीब वसूली खत्म हो ग ी । बन्द हो गयी । तो प्रदेश में अपने टार्गेट को प्राप्त करने की दृष्टि से क्या अब भी उन कृषकों को जो सरकार के लक्ष्य की पूर्ति में गेहूं देगें, उनको भी कुछ खाद देंगे की कृपा करेंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, मेरे पास निश्चित रूप से जानकारी है कि यह अगस्त का एक ऐसा महीना है जिसमें हमको गेहूं कृषकों से नहीं मिलेगा, क्योंकि वह इस महीने में गेहूं से नहीं निकालेंगे । इसके बाद अक्तूबर तक जब गेहूं की बुआई हो जायगी, गेहूं मिलने की आशा है । इसलिये हमने खाद देना रोक दिया क्योंकि वह पड़े-पड़े खराब होती और दूसरी फसलों को नहीं मिल पाती । बाहर से जो खाद आ रही है अक्तूबर में जिन लोगों को आवश्यकता होगी, दे देंगे । अभी एक लाख टन गहूं वसूल होगा यह आशा है । उस समय हम खाद देंगे ।

श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेगें कि पूरे प्रदेश में गेहूं के बदले जो खाद देने की व्यवस्था थी वह समान रूप से थी या कहीं-कहीं एक क्विंटल पर 50 किलो और कहीं-कहीं एक क्विंटल पर 25 किलो देने की व्यवस्था थी ।

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, मैं साफ कर दूं कि केवल देवरिया जिले में एक क्विंटल पर एक बोरी खाद दी गई क्योंकि वहां केन यूनियन्स ज्यादा हैं और उनके पास खाद काफी मात्रा में थी और साथ ही साथ बनियों के पास भी खाद थी । तो हम लोगों को यह मालूम हुआ कि यह खाद जल्दी ही ब्लैक मार्केट में चली जायेगी । इसलिये उसको हमने सीज कराया और सीज कराने से इतनी खाद उपलब्ध हुई कि एक क्विंटल गेहूं पर एक बोरा देने के बाद भी इतनी खाद बच जाती जो कि गन्ने और बाकी फसलों के लिये काफी होती । इसके अलावा बाकी उत्तर प्रदेश में यूनिफार्म पालिसी अपनाई गई और वह यह है कि 2 क्विंटल गेहूं पर एक बोरी देने की प्रथा रखी गई ।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो उन्होंने अभी प्रश्न के उतर में बताया कि इसलिये नाइट्रोजन देना बन्द किया गया क्योंकि खाद नहीं प्राप्त होगी । तो हमारे प्रदेश म खाद का लक्ष्य क्या है ? धान के लिये प्रति एकड़ तथा दूसरी फसलों के लिये कितनी खाद देने की व्यवस्था मंत्री जी कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

इससे मतलब नहीं है ।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में गेहूं वसूली के समय केन्द्रीय सरकार ने यह नियम बनाया है कि छोटे किसान को खाद देने में प्राथमिकता दी जायेगी । तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार के आदेश क तहत में उत्तर प्रदेश की सरकार भी छोटे-छोटे किसानों को भी खाद देने के प्रश्न पर क्या प्राथमिकता देगी और गेहूं का प्रश्न खाद क प्रश्न के साथ नहीं जुड़ेगा ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, सारे डिपार्टमेन्ट को हिदायत कर दी गई है कि छोटे किसानों को हैसियत के मुताबिक प्राथमिकता दी जाय ।

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

मान्यवर क्या मंत्री जी की जानकारी है कि सरकार की तरफ से एलान हुआ कि इतना गेहूं दो तो इतनी चीनी, सीमेन्ट और इतनी खाद दी जायेगी ? तो व्यापारियों ने गेहूं खरीद कर दे दिया और चीनी, खाद और सीमेन्ट लेकर रोक लिया ? क्या उसकी जानकारी है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

अगर किसी व्यापारी के पास खेत है तो उसने खाद उस खेत के लिये लिया होगा । तो हम उन नियमों में अपवाद नहीं होने देंगे ।

श्री कृष्णा राय—

मान्यवर, मैंने खेत की बात नहीं की। व्यापारियों ने जो खाद, सीमेंट और चीनी को भर लिया है उसके लिये मैं कह रहा हूं।

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, यह जानकारी नहीं है कि बनियों ने खाद भर लिया है और जिन बनियों के पास खेत हैं तो उनको खाद देने के लिए कोई पाबन्दी नहीं है ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, जिन लोगों ने गल्ला दिया है और उस वक्त पुराने रेट पर खाद थी तो जिनको परमिट दे दिया गया है और खाद नहीं दी गई है, तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या उन लोगों को जो खाद दी जायेगी वह पुराने रेट पर या नये रेट पर दी जायेगी ?

श्री राजमंगल पान्डेय—

अगर जो खाद उस वक्त मिल सकती थी और परमिट दे दिया गया था किन्तु किसी कार्यवश बाहर चले गये और खाद नहीं लिया तो उनको उस वक्त के रेट पर दी जायेगी और जिन्होंने बिना कारण उस वक्त खाद नहीं लिया उनको नये रेट पर दी जायेगी ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया (जिला आगरा)—

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र में गया था और अब जो खाद दी जा रही है तो उसके साथ में काश्तकार से यह कहा जाता है कि आप अपने पटवारी से खाद के लिए लिखा लाओ और यदि वह पटवारी के पास जाता है तो उससे पटवारी पैसा मांगता है।

तो क्या कोई ऐसा आदेश सरकार की ओर से दिया गया है कि परमिट लेने वाले से जब तक वह खाता न लावें तब तक न दें ?

श्री राजमंगल पांडेय—

जो प्राइवेट डीलर्स हैं या जो एजेन्सीज हैं, कभी-कभी खाद का ब्लैक मार्केटिंग कर लेते हैं। इसलिये ऐसा किया गया है कि जिनके पास जोत बही है उनको, या किसी के पास जोतबही नहीं है तो राशनकार्ड पर भी मिल सकता है। अगर कहीं खाद नहीं मिल रही है तो मुझे शिकायत लिखकर भेजें।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि कुछ ऐसे भी काश्तकार हैं जो गेहूं दे चुके हैं और उनका गेहूं, जहां तौलाई होती है, वहां उस गेहूं को अपने नाम लिखवा लिया और सामान लेकर चीनी तो भिजवा दी और खाद अपने ले लिया। मेरे क्षेत्र गोरखपुर में जंगल गौरी ब्लाक में जगन्नाथ चौधरी ने 5 बोरा गेहूं दिया और वहां के चौधरी जो कमलापति त्रिपाठी जी के सम्बन्धी हैं उस गेहूं को अपने नाम लिखवा लिया और खाद वगैरा ले लिया। तो क्या इसकी स्पष्ट जांच करवायेंगे ?

श्री राजमंगल पांडेय—

अगर गेहूं देने वाला इतना भला है कि जो न दे और वही उसका मालिक बन जाय और देने वाले को कारिंदा करार कर दे और गेहूं को अपने नाम से लिखा ले तो सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

सरकार ने जो यह फैसला किया था कि पुरानी खाद को पुराने रेट पर बचेंगे और गेहूं देने वालों को कहा था कि 31 जुलाई तक सभी को पुराने रेट पर खाद मिलेगी और सरकार को यह भी मालूम है कि 125 डीलर्स ने सरकार के इन आदेश के विरुद्ध रिट की थी और अब सरकार के पक्ष में वह फैसला हो गया है तो क्या सरकार उस खाद को पुराने रेट पर ही बिकवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री राजमंगल पांडेय—

सरकार इस सम्बन्ध में स्वयं पैरवी कर रही है और जहां तक मुझे मालूम है फैसला सरकार के पक्ष हुआ है, तो जैसा मैंने पहले ही कहा जिनको परमिट दिये जा चुके हैं, हमने जो पुरानी खाद सीज की है उसी में से देंगे।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के यह भी विचाराधीन है कि खाद का मूल्य खाद्यान्न के रूप में वसूल किया करें ?

श्री राजमंगल पांडेय—

जी नहीं। अगर उस वक्त खाद्यान्न के भाव गिर जायं तो माननीय सदस्य कहेंगे कि जो कीमत वसूल की जा रही है वह कम है। इसलिए जो भी फर्टीलाइजर दिया गया है वह कैश के रूप में दिया गया है और इंट्रेस्ट के साथ वसूल होगा।

श्री मुहम्मद मसूद खां (जिला आजमगढ़)—

आजमगढ़ में लोगों से रुपया जमा करा लिया और जब खाद लेने आये तो कह दिया कि खाद खतम हो गयी। तो क्या ऐसे लोगों को खाद देने की कृपा करेंगे? अगर हां तो कब तक और किस रेट पर? उनके पास चक मौजूद है।

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, मैंने कन्डीशन बता दी। अगर किसी ने जब खाद हमारे पास अवेलेबिल नहीं था, इसलिये नहीं ले पाये तो हमारी जिम्मेदारी है और परमिट देने पर उन लोगों ने खाद नहीं लिया जब कि हमारे पास अवेलेबिल था, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर हमारी और हमारे अधिकारियों की वजह से खाद नहीं मिल पाया तो जो खाद सीज्ड किया है उसको पुराने रेट पर देंगे।

श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि शासन का यह आदेश था कि पुरानी खाद पुराने रेट पर दी जायेगी। कुछ जगह ऐसा हुआ है कि पुरानी खाद को किसानों को एक बोरा पुराने रेट पर और कुछ खाद नई रेट पर दिया गया है। क्या इसकी शिकायत आपके पास आई है और क्या आप इसकी जांच करायेंगे? दूसरी बात यह है कि क्या आपको ज्ञात है कि उनको पैसे वापस होने की बात थी तो पूरी तरह पैसे वापस नहीं हुए हैं? क्या आप इनकी छानबीन करेंगे?

श्री राजमंगल पांडेय—

खाद की गम्भीर स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि एक बोरी नई और एक बोरी पुरानी खाद खरीद लें। जिन्होंने एक बोरी नई और एक बोरी पुरानी खाद ली उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। अब रही उसकी बात जिन्होंने पुरानी खाद को ऊंची कीमत पर लिया तो उनको पैसा वापस किया गया है, जिनका बाकी है उस पर भी कार्यवाई की जा रही है।

श्री मुहम्मद मसूद खां—

कब तक खाद मिलेगी इसका उत्तर नहीं आता।

श्री राजमंगल पांडेय—

परिथितियों को देखेंगे। फिलहाल अगर का जवाब अगर से ही दिया जा सकता है।

श्री कल्याण सिंह—

उत्तर प्रदेश का उत्पादन इसलिए गिर रहा है क्योंकि खाद का अभाव है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई एसेसमेंट कर लिया है कि खरीफ की फसल के लिए कितने खाद की आवश्यकता होगी और कितना उपलब्ध है और जो अन्तर है उसको पूरा करने के लिए सरकार के पास क्या योजना है?

श्री राजमंगल पांडेय—

यह निर्विवाद सत्य है कि कितनी आवश्यकता खाद की है उसके मुकाबले में खाद कम उपलब्ध है। प्रदेश से थोड़ी सी भूल यह हुई कि तीन साल के जो आंकड़े निकाले गये हैं अन्य प्रदेशो के मुकाबले में उत्तर प्रदेश का कंजम्पशन कम रहा। इसके बावजूद भी हमने एक लाख टन एडीशनल खाद के लिए केन्द्र को लिखा है और-और भी प्रयास किये जा रहे हैं कि केन्द्र से अधिक खाद मिल जाय।

श्री ऊदज—

डी० सी० एफ० कोआपरेटिव फडरेशन, क्रय-बिक्रय सहकारी समितियों ने अपनी खाद नहीं दी जबकि सरकार का आदेश था और उन आदेशों की अवहेलना की। मैं उदाहरण दे रहा हूं वाराणसी में जिलाधीश से आदेश ले लिया और पुरानी खाद को न तो नकद कीमत पर मेम्बर्स को और न अन्य को ही दिया । क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री राजमंगल पांडेय—

जांच ही नहीं करायेंगे बल्कि अगर ऊदल जी लिख कर देंगे तो कड़ी कार्यवाही भी करेंगे ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

जब सरकार किसी चीज का प्रबन्ध करती है तो अन्दाज लगा लेती है कि इतनी मात्रा में वह चीज चाहिए । इसलिए खाद का जो प्रबन्ध सरकार करने जा रही है तो इसके पहले कि वह खाद की मांग करें आपने कोई अन्दाजा लगा लिया होगा कि खरीफ में कितनी खाद की आवश्यकता होगी ? आप यह बतला दें कि आपका खरीफका व्यय अन्दाजा है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

जितनी आवश्यकता होती है उतनी या उससे ज्यादा मैं मांगता हूं । लेकिन देने वाले ने नियम बनाया कि 3 साल का एवरेज निकालेंगे और फिर उसके हिसाब से दिया जायगा बदकिस्मती यह कि पिछले तीन साल के कंजमशन का एवरेज हमारा कम रहा । एक लाख टन मिला है और आगे मांग कर रहे हैं कि और अधिक मिले ।

श्री कल्याण सिंह—

आवश्यकता कितनी है यह नहीं बतलाया ?

राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल के सलाहकार क प्रयोगार्थ कीमती कुर्सी की खरीद

**2—श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी विगत राष्ट्रपति शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के तीन सलाहकारों के लिये हजारों रुपये की तीन कुर्सियां खरीदी गई ? यदि हां, तो उनको खरीदने का क्या आधार था ? और इस समय वे कुर्सियां कहां हैं तथा वस्तुतः उन पर कितना व्यय हुआ ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

जी नहीं । राष्ट्रपति शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के तीन सलाहकारों में से केवल एक सलाहकार के लिये, उनकी मांग पर, 1047·54 रु० के मूल्य की एक एक्जीक्यूटिव चेयर सी०ए०ड० 9 खरीदी गयी थी। उक्त कुर्सी इस समय मन्त्रिवालय के स्टोर में जमा है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिस सूबे में औसत आमदनी 40 रुपये भी न हो और जहां गोबर में से लोग दाना निकाल कर खाते हों वह अफसरों की ऐय्याशी के लिये एक कुर्सी एक हजार की रुपये मंगाई जाय तो इसका क्या आधार है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

हमने इस चीज को कोई एप्रिशिएट नहीं किया। सरकार को यह ज्ञात नहीं है कि किन कारणों से तथा किन आधार पर यह एक हजार की कुर्सी खरीदी गयी लेकिन जब प्रदेश में प्रेसीडेन्ट रूल था उस दौरान राज्यपाल महोदय के एक सलाहकार थे उनके पी० ए० ने सलाहकार की तरफ से यह मांग प्रस्तुत की थी उनके आदेश का पालन हुआ। यह मांग उनकी तरफ से रिवाल्विंग चेयर सी० एच० 9 के लिये की गयी थी। वैसे सरकार ने उनके इस कार्य को अच्छा नहीं समझा।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

एक हजार से अधिक की कुर्सी मुगल काल में तो इस्तेमाल होती थी लेकिन प्रजातंत्र में यह कौन से सलाहकार थे जिनको इतनी कीमती कुर्सी मंगाने की जरूरत पड़ी और कैसे वित्त विभाग से उनको मंजूरी मिली किन कारणों से ऐसी कुर्सी खरीदने के लिये आदेश दिये गये।

श्री राजमंगल पांडेय—

अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो उनका नाम था श्री बी० वी० लाल। वह राज्यपाल महोदय के सलाहकार थे। किन परिस्थितियों में उन्होंने इस कुर्सी को खरीद ने के लिये लिखा इसकी जानकारी शासन को नहीं है। हो सकता है कि उनको कोई बीमारी रही हो जिससे सोचते हों कि ऐसी कुर्सी के बगैर उनका काम नहीं चल सकता। वैसे शासन ने इसे एप्रिशियेट नहीं किया। उनके पी० ए० ने चिट्ठी लिखी कि सलाहकार महोदय के लिये सी० एच० 9 रिवाल्विंग चेयर खरीद ली जाय। कानपुर की गोदरेज कम्पनी की कुर्सी की खरीद के लिये लिखा गया। जब यह कुर्सी आ गयी तो यह नापसन्द की गयी और यह स्टोर में रख दी गयी।

श्री जगदीश अवस्थी—

जो कुर्सी खरीदी गयी थी वह सुरक्षित है। सरकार बतायेगी कि कौन सा औचित्य है कि उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है ?

श्री ऊदल—

श्री अध्यक्ष के इस्तेमाल के लिये रख दी जाय।

श्री राजमंगल पांडेय—

मुझे कोई एतराज नहीं है अगर सदन की राय हो तो श्री अध्यक्ष के इस्तेमाल के लिये रखवा दी जाय। जहां तक मंत्रि मंडल का सवाल है हम में से किसी की हैसियत नहीं है कि 1,049 रु० 54 पैसे की कुर्सी पर बैठें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि एक हजार रुपये की कुर्सी के अतिरिक्त श्री बी० बी० लाल ने अपने कमरे को रिफर्निश कराया और जब मंत्री महोदय उस कमरे में पहुंचे तो उससे पहले ही उस फर्नीचर को निकाल लिया गया ?

श्री राज मंगल पांडेय—

यह तो राष्ट्रपति शासन की मांग करने वाले ही जानें कि दोनों में कौन अच्छा था। जब वह गये तो फर्नीचर बदल दिया गया इसकी कोई इत्तिला शासन को नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

राष्ट्रपति शासन के दौरान एक हजार रुपय की कुर्सी खरीदी गयी लेकिन जनतांत्रिक शासन में 54 लाख का हेलीकाप्टर खरीदा गया तो दोनों में कौन मितव्ययिता का पालन करता है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

54 लाख की बात तो बहुत बड़ी है अगर माधव बाबू 10 लाख ही दे दें तो मैं उन्हीं की पार्टी को हेलीकाप्टर दे दूं ।

श्री चेतराम गंगवार—

उस कुर्सी में लकड़ी तथा लोहे के अलावा और क्या-क्या मेटीरियल लगा हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—

स्टोर में जा कर आप देख लें ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

बी० बी० लाल इस प्रदेश में वित्त एवं विद्युत सचिव रह चुके हैं और मुख्य सचिव भी रह चुके हैं । इतने दिनों तक सचिव तथा मुख्य सचिव रहने के पश्चात् किन परिस्थितियों में उन्होंने उस कुर्सी को इतनी कीमत पर खरीदा ? और जैसा कि आपने अपने उत्तर में कहा है कि हमने भी इसे नापसन्द किया है इसके पूर्व इन्होंने सचिव और मुख्य सचिव के पद पर रहते हुए हजारों कुर्सियों का प्रयोग किया होगा तो क्या आप इन पर कोई सरचार्ज लगाने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, प्रेसीडेन्ट रूल में जितने भी काम होते हैं वे सब माननीय राज्यपाल महोदय के आदेश से होते हैं । जो बात माननीय सदस्य ने कही वह मुनासिब नहीं है क्यों कि इसका डाइरेक्ट ऐस्पर्शन उस व्यक्ति पर होगा । इसलिये मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में बात न कहें. . . . (व्यवधान) ।

श्री राम सेवक यादव—

अध्यक्ष जी, जो एक हजार से अधिक की कुर्सी मंगाने की इजाजत मिली तो मैं यह जानना चाहूंगा कि वित्त मंत्रालय ने उस पर कोई ऐतराज किया था ? यदि हां, तो उसके बावजूद भी कैसे उच्च अधिकारी ने राज्यपाल महोदय ने उसकी अनुमति दे दी ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, माननीय रामसेवक जी खुद ही बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं । राज्यपाल के जमाने में एडवाइजर को बहुत बड़ी हैसियत होती है और वित्त अधिकारी जो होता है उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वह उनके खिलाफ बात कह सके । मैंने पहले ही कह दिया कि उनके पी० ए० ने लिखा था और उसके बाद चेयर खरीदी गई ।

श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां की जनता के खाये क नइखे मिलत, पहिर के कपड़ा नइखे मिलत, रहे के मकान नइखे मिलत, ऊकर एक आफीसर एक हजार रुपया की कुर्सी में बैठे लई कहां तक उचित बा ?

श्री अध्यक्ष—

जहां के जनता गरीब बा, ऊकर सरकार कौन व्यवस्था करि सकत बा ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)

मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि एक हजार रुपये से अधिक की कुर्सी स्टोर में पड़ी हुई है उसे इलाहाबाद में जो संग्रहालय है उसे वहां भेजने की व्यवस्था करेंगे ? ताकि प्रदेश की जनता को यह मालूम हो जाय कि एक व्यक्ति के लिये यहां पर इतने रुपये की कुर्सी खरीदी गई ?

श्री राज मंगल पांडेय--

इस कुर्सी को संग्रहालय में रखने की बात तो दूसरी है लेकिन हम खुद कह रहे हैं कि यह काम गलत हुआ है और यह नापसन्द चीज है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)---

मान्यवर, मैं आप द्वारा मंत्री जी से यह प्रार्थना करना चाहती हूं कि लग्जरीज की चीजें जो गवर्नमेंट आफिसेज के लिये खरीदी जाती हैं तो उसकी भविष्य में रोकथाम करने के लिये आप लोगों ने क्या स्टेप्स उठाये हैं ताकि इस तरह के बेतुके खर्च न हों जब कि आज प्रदेश इतने आर्थिक संकट में है ?

श्री राजमंगल पांडेय---

मान्यवर, मैं इस सारे सदन को बता देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुये फर्नीचर के जहां तक खरीदने का सवाल है करीब-करीब नहीं के बराबर खरीदा गया है। जहांतक मिनिस्टरों का सवाल है, 67 की पुराना गाड़ियां ही इस समय इस्तेमाल हो रही हैं, जिनमें रोज ब्रेक-डाउन होते रहते हैं, फिर भी हम किसी तरह काम चला रहे। आस्टेरेटी के जितने भी नजर्स हो सकते हैं, अख्तियार किये गये हैं और एक व्यक्ति भी नहीं कह सकता है कि हमने ऐसा कोई काम किया है, जिससे शासन की बदनामी हो सकती है

श्री ऊदल---

मेरे पास सरकार का एक सप्लाई आर्डर है 12-4-74 का इसमें एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, शारदा सहायक कैनाल, गिरजीपुर के लिए 450 रु० की एक कुर्सी खरीदने के लिए आर्डर प्लेस किया गया है। इसे मैं आपके पास भेज रहा हूं, और जानना चाहता हूं कि यह जो 450 रुपये में एक कुर्सी खरीदने का आदेश है, क्या आप इनके विरुद्ध सख्त कार्यवाई करने की कृपा करेंगे ?

श्री राजमंगल पान्डेय---

इसके आने के बाद अवश्य जांचने की कोशिश करूंगा कि किन परिस्थितियों में यह खरीदी गई। यदि परिस्थितियां ऐसी हैं, जिनमें नहीं खरीदी जानी चाहिए थी, तो अवश्य कार्यवाही होगी।

श्री शिवकुमार पान्डेय (जिला सुल्तानपुर)---

यह जो एक हजार रुपये से ऊपर की कुर्सी खरीदी गई और जिसे शासन ने पसन्द नहीं किया। इसके अलावा भी उस समय में अन्य भी अपव्यय हुये हैं। तो क्या उन सबकी जांच कराने के लिये एक जांच कमीशन बिठाकर उसकी सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति से अनुरोध करेंगे कि इस अपव्यय के विरुद्ध उनके खिलाफ कार्यवाई की जाए।

श्री राजमंगल पान्डेय---

मान्यवर, मैं पहले ही कह चुका हूं केवल बी० बी० लाल से ही इसका सम्बन्ध होता तो कार्यवाई करने में हमें कोई एतराज न होता। लेकिन प्रेसीडेंट रूल में ऐसी चीज की गई

और गवर्नर के सलाहकार होने के नाते प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उनके प्रभाव से यह बात हुई। तो इसका इनडाइरेक्टली रिपरकशन गवर्नर पर पड़ेगा। इसलिए हम कोई ऐसी बात न करें, जिससे उन पर असर पड़े। इस सम्बन्ध में मैं आपसे माफी चाहूंगा कि इस विषय में और कोई बात न हो।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

वह कुर्सी जो इतनी हसीन और गैर मामूली है, उसको सदन के सामने लाया जाए जिससे सारे सदस्यगण उसे देख सकें, उसकी नुमायश हो सके। उसको सदन में पेश किया जाए ?

श्री राजमंगल पांन्डय—

मान्यवर, कुर्सी अगर इतनी हसीन है तो मैं माननीय सदस्य से ही पूछंगा कि यदि उस पर इनकी ही बैठने की इच्छा हो तो उसे उपलब्ध करा दिया जाए, या वह जिनके लिए कहें, उसे उपलब्ध कर दूं।

खलीलाबाद (बस्ती) नोटीफाइड एरिया के अध्यक्ष के चुनाव के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री का स्थगन आदेश

**3—श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर) तथा श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बस्ती की खलीलाबाद नोटीफाइड एरिया के अध्यक्ष-पद का चुनाव दिनांक 28 जुलाई, 1974 को करीब-करीब सम्पन्न हो चुका था कि एकाएक मुख्य मन्त्री जी के आदेश से स्थगित कर दिया गया ? जिससे जन-मानस में अत्यन्त ही क्षोभ व रोष व्याप्त है ? यदि हां, तो स्थगन का आधार क्या है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

नोटीफाइड एरिया कमेटी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुये अध्यक्ष का चुनाव रोक दिया गया था।

श्री शारदा प्रसाद रावत—

मान्यवर, मैं आपक माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जो उन्होंने जवाब दिया है, वह अधूरा है। उस सवाल में है कि 28 जुलाई, 74 को करीब-करीब चुनाव सम्पन्न हो चुका था कि एकाएक मंत्री जी के आदेश से उसे स्थगित कर दिया गया तो क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि चुनाव जो हुआ, उसमें कितने आदमी भाग ले रहे थे और कितने आदमी वोट डाल चुके थे, जब आपका स्थगन-आदेश पहुंचा ?

श्री राजमंगल पांडेय—

इसकी जानकारी मुझको नहीं है लेकिन यह जानकारी जरूर है कि 28 तारीख को चुनाव होने वाला था, और 27 तारीख को आदेश जारी किया गया था, जो चुनाव होते हुए पहुंचा और चुनाव स्थगित कर दिया गया।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

कानून यह है कि नामिनेशन होने के बाद एलेक्शन पोस्टपोन नहीं हो सकता क्यों कंडीडेट का अधिकार हो जाता है, इसलिए गवर्नमेंट को कानूनन अधिकार नहीं है कि नामिनेशन होने के बाद चुनाव स्थगित कर सके। मैं आपके जरिए जानना चाहता हूं कि मंत्रीोदय ने जब यह आर्डर दिया है स्थगन करने का, ला-डिपार्टमेंट

श्री राजमंगल पांडेय—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने निर्णय लिया 27 तारीख को वहां के विधायकों और उस नोटिफाइट एरिया के सदस्यों की इस प्रार्थना पर कि उन लोगों ने एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल कर दी है, वहां का वातावरण इतना दूषित है कि इस सम्बन्ध में चूंकि नोटिफाइड एरिया के सदस्यों और वहां के विधान सभा के सदस्यों लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि चुनाव को स्थगित कर दिया जाय जब तक रिट का फैसला न हो जाय तब तक, नहीं तो चुनाव पर असर पड़ेगा, इस आधार पर 27 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री ने आदेश दे दिया।

चौधरी चरण सिंह—

मैं यह अर्ज कर रहा था, मैंने यह पूछा कि क्या ला डिपार्टमेंट से मशविरा हुआ? हाईकोर्ट में रिट एप्लीकेशन थी, इसलिए आपने कर दिया, हाई कोर्ट-खुद-स्थगित करता तो बात समझ में आती, हाईकोर्ट ने स्थगित नहीं किया, स्थगित आप कर रहे हैं एग्जिक्यूटिव डिस्क्रेशन में। ला डिपार्टमेंट से मशविरा लिया या नहीं मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन इतना मुझे मालूम है कि दो कारण थे। एक तो नोटिफाइड एरिया के सदस्यों और वहां के विधान सभा के माननीय सदस्यों की रिक्वेस्ट थी कि उन लोगों ने हाईकोर्ट में रिट दाखिल किया है, कि चुनाव न किया जाय, क्योंकि हमको उम्मीद है कि हाईकोर्ट से उलट जायगा, कार्यवाही गलत हुई है, तो फिर दोबारा चुनाव कराना पड़ेगा इस आधार पर एग्जीक्यूटिव आर्डर किया था।

चौधरी चरण सिंह—

क्या सदन यह समझ ले, कि जब चुनाव की डेट लग गयी हो, उससे पहले हाई कोर्ट में कोई फरीक रिट पेटीशन दाखिल कर दे, तो क्या गवर्नमेंट ने नियम बना लिया है, उसने नीति बना ली है कि उसको स्थगित कर देगी?

श्री राजमंगल पांडेय—

हर केस की मेरिट और डिमेरिट के ऊपर निर्णय लिया जाता है, इस केस में इतने फैक्ट्स हैं, हाईकोर्ट में रिट दाखिल होती है, नोटिफाइट एरिया और विधान सभा के सदस्यों का यह आग्रह कि यह कार्यवाही गलत हो रही है, न की जाय, उसमें बड़ा भारी असंतोष है, फिर जब फैसला हो जाता है तब तक कोई खास बात नहीं हो जायगी इन प्रश्नों को लेकर एक दिन पहले चुनाव को स्थागित करने का आदेश दिया था।

श्रीमती श्यामा देवी (जिला बस्ती)—

खलीलाबाद नोटिफाइड एरिया का चुनाव वहां के गुंडा तत्व, श्री धनुषधारी पांडेय तथा उनके समर्थकों ने तीन बार टलवाया और वहां के अधिकारी जब नोटिफाइड एरिया का चुनाव हो रहा था, तो जो चुनाव अधिकारी हमारे मैजिस्ट्रेट थे, वहां उन गुंडों के डर के मारे उन्होंने जाना नामंजूर कर दिया और डेट टल गयी। दोबारा सारे गुंडों ने पूरी बस्ती की कचेंहरियों में जीप में भर कर, नारे लगाये, उन मैजिस्टेट को भी गाली दी, जिस पर बस्ती की बार एसोशिएशन ने अफसोस का प्रस्ताव भी पास करके भेजा। उस नोटिफाइड एरिया का चुनाव हुआ और वहां श्री नूरी साहब अध्यक्ष चुने गये।

चौधरी चरण सिंह—

वह सफाई गवर्नमेंट की तरफ से दे रही हैं या सवाल कर रही हैं?

श्रीमती श्यामा देवी--

मुझे कहने का मौका दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

आप प्रश्न कर सकती हैं ।

श्रीमती श्यामा देवी---

इस नोटीफाइड एरिया के बारे में ही मैं बता रही हूं (व्यवधान)

श्री राजमंगल पांडेय---

मैं चौधरी साहब को स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस का एक वर्ग ही चुनाव कराना चाहता था ।

श्रीमती श्यामा देवी--

इस चुनाव के पीछे आपको मालूम है कि इन गुंडे लोगों ने श्री शर्मा जी को.... (व्यवधान)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क---

क्या सवालों के दौरान हम लोगों को भी इसी तरह से मौका देंगे ?

श्रीमती श्यामा देवी---

मैं वहां की स्थिति के बारे में बता रही हूं । श्री शर्मा जी की गुंडे लोगों ने हत्या कर दी थी इसलिये नोटीफाइड एरिया के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने अपनी रिट दी है ।

श्री अध्यक्ष--

आपको सवाल नहीं करना है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह याचिका किस दिन प्रस्तुत की गई और मेरी जानकारी है कि उन्होंने स्थगन आदेश दिया था जिस को मंजूर नहीं किया ?

श्री राजमंगल पांडय---

जिस दिन आर्डर हुआ वह मुझे नहीं मालूम लेकिन रिट दाखिल कर दी गई है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

किस दिन यह दाखिल की गई ?

श्री राजमंगल पांडेय--

यह तारीख मेरे पास नहीं है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---

20 मई को नामीनेशन होने के बाद चुनाव स्थगित किया गया था और जब यह स्थगन आदेश पहुंचा तो चुनाव की क्या पोजीशन थी और कितने वोट पड़ चुके थे ?

श्री राजमंगल पांडेय---

मान्यवर, यह सही है कि जब चुनाव हो रहा था तो आदेश पहुंचा । चुनाव कराने के इच्छुक कांग्रेस के लोग ही थे लेकिन यह कहा गया कि नियमतः काम होना चाहिये ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

नोटीफाइड एरिया के किन-किन सदस्यों ने रिक्वेस्ट की कि चुनाव रोक दिया जाय जब कि 11 में से 10 वोट पड़ चुके थे और केवल एक वोट पड़ना ही रह गया था ?

श्री राजमंगल पांडेय--

जब चुनाव हो रहा था उस समय यह आदेश पहुंचा जो एक दिन पहले रेडियोग्राम द्वारा वह भेजा जा चुका था ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

आपने बताया कि नोटीफाइड एरिया के सदस्यों और विधायकों की रिक्वेस्ट पर चुनाव रोक दिया तो किन सदस्यों ने और किन-किन एम० एल० एज० ने रिक्वेस्ट की थी ?

श्री राजमंगल पांडेय--

यह तो मुझे नहीं मालूम कि कितने वोट पड़ चुके थे लेकिन जब वोट पड़ रहे थे तो आदेश पहुंचा और चुनाव रोक दिया गया ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

20 मई को नामीनेशन्स दाखिल हुए । विड्डावल की तारीख तीसरे दिन थी । आपका स्थगन आदेश पहुंचा और वह रुक गया । फिर नामीनेशन्स हुए और जब चुनाव हो रहा था तो 11 में से 10 वोट पड़ चुके थे केवल एक वोट पड़ना रह गया था । लेकिन जब आपका उम्मीदवार हारने लगा तो खबर दी गई कि चुनाव रोक दिया जाय । मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने चुनाव का स्थगन आदेश लीगल रिमेम्बेंसर से पूछकर दिया था और यह आपने वैधानिक काम किया या अवैधानिक काम किया ?

श्री राजमंगल पांडेय--

इस बात की मुझे जानकारी नहीं है कि दस वोट पड़ चुके थे लेकिन जब वोट पड़ रहे थे तब आदेश पहुंचा ।

श्री अध्यक्ष--

इसको मैं अगले दिन के लिए स्थगित करता हूं ।

चौधरी चरण सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि उनको जानकारी नहीं तो इसका मतलब हुआ कि गवर्नमेंट को इसकी जानकारी नहीं है, गवर्नमेंट यह कह रही है कि उसको जानकारी नहीं है तो क्या यह जवाब वाजिब है ?

श्री अध्यक्ष--

उनका यह कहना है इसीलिये मैं इसको स्थगित करता हूं । अगली 20 तारीख को यह फिर आयेगा ।

श्री राजमंगल पांडेय--

22 को रख दें ।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

22 को तो हाउस ही नहीं है ।

श्री राजमंगल पांडेय—

ठीक है 22 को हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन संशोधन विधेयक, 1974

श्री सचिव विधान सभा—

मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1974 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 215–219 पर)

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार की अवहेलना का एक सत्य प्रकाश मालवीय का प्राप्त हुआ है। इसको हमने देखा नहीं है। अभी आपने दिया है। इसको हम देख नहीं सके। संक्षेप में आप बता दें।

*श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

विधान सभा के द्वितीय सत्र के उपवेशन आठवें मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्न संख्या 5 नत्थी 'ग' के उत्तर में मुख्य मन्त्री की ओर से श्रम एवं परिवहन मंत्री ने बतलाया था कि माह अप्रैल, मई तथा जून, 1974 में इलाहाबाद में पेयजल का घोर संकट नहीं था। मैंने जो विशेषाधिकार का प्रश्न रखा है उसमें इलाहाबाद नगरपालिका का पत्र संलग्न किया है जिसमें इस बात की चर्चा है कि "मैं यह समाचार पत्रों के द्वारा स्पष्ट कर चुका हूं कि जल व्यवस्था में पुर्नगठन चल रहा है और उसके कार्यान्वित होने पर ही नागरिकों को 24 घंटे जल उपलब्ध किया जा सकता है। इसलिए जब भी जल उपलब्ध हो, जनता पानी भरकर रख लिया करें, उसके अनुसार जल वितरण कार्य एक मध्य रात्रि को भी रखा गया है ताकि जिन लोगों को किसी समय पानी न मिलता हो तो मिल सके।" तो मेरा अनुरोध है कि उत्तर में कहा गया कि इलाहाबाद में पेय जल का कोई संकट नहीं था, लेकिन जो मैंने प्रतिलिपि प्रस्तुत किया है उसके अनुसार इलाहाबाद में घोर संकट था। जिस अधिकारी ने सरकार को गलत सूचना दी है उसने सदन का अवमान किया है।

श्री अध्यक्ष—

इसको देखना पड़ेगा। आपका कहना है कि घोर संकट था और मंत्री जी ने जवाब दिया है कि माह अप्रैल, मई तथा जून, में इलाहाबाद में पेय जल का कोई घोर संकट नहीं था।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

असरकारी दिवस है, कार्य-स्थगन का प्रस्ताव नहीं आ सकता है।

श्री अध्यक्ष—

बहरहाल इसको हम देख लेंगे और अगले दिन निर्णय देंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैंने भी एक दिया था।

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार का सवाल कार्य-स्थगन नहीं है। आज ग़ैरसरकारी दिवस है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आज हमारा दिन है। कार्य-स्थगन का प्रस्ताव नहीं आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

यह कह दिया कि जो कार्यवाही लायक है उसको हम देख लेंगे। 51 में देना पड़ेगा 56 में नहीं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मेरा नियम 56 में देना ठीक नहीं था। यह मैं मानता हूं।

श्री अध्यक्ष—

एक सवाल श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने उठाया है तो वह यह है कि अरहर की विषैली दाल मध्य प्रदेश, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल आदि प्रदेशों को निर्यात की गयी। इस दाल का वितरण मध्य प्रदेश के पिछड़े हुये क्षेत्र छत्तीसगढ़ में किया गया। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। 56 का नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

उसके खाने से तमाम आदमी पैरालाइज हो गये हैं। बड़े महत्व का है।

श्री अध्यक्ष—

इसकी एक प्रति आपको भेज दी जायेगी (खाद्य मंत्री की ओर इशारा करते हुये) चूंकि विषैले खाद्यान्न का सवाल है।

इस पर कोई वक्तव्य हो जाय तो अच्छा है।

श्री राजबहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

मान्यवर, नियम यह है कि कोई अनाज व्यापारी बेचता हुआ पकड़ा गया तो उसको सजा हो जाती है। तो मान्यवर, इस मामले पर कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी इसको देख लेंगी।

श्री हरि केवल (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मेरा भी एक प्रश्न था। 13 तारीख को बथुआ नदी में बाढ़ के कारण वहां की जनता अत्यन्त पीड़ित है।

श्री अध्यक्ष—

बाढ़ के संबंध में जितनी कठिनाइयां हैं, आप लोग लिख कर देंगे, तो आप सबको अवसर मिलेगा।

श्री हरि केवल—

माननीय, हमारा प्रश्न तो सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

आपको नियम 51 में देना चाहिए था ।

श्री हरि केवल—

माननीय, बथुआ नदी में बाढ़ 13 तारीख को आई थी और उसमें बाढ़ के कारण 26 आदमी लापता हो गये हैं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं उसे आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दूंगा ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

माननीय, मैंने बहराइच के शिव मंदिर के विषय में दिया था ।

श्री अध्यक्ष—

इस पर तो हो गया, वही आप फिर उठा रहे हैं । वह तो हो गया । वही शिव मंदिर का झगड़ा जो है, वही आप फिर उठा रहे हैं ।

(कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये)

श्री अवैद्य नाथ (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है । आज बहराइच की स्थिति बड़ी भयावह है । वहां पर सारे इंस्टीट्यूशन्स बंद हो गये हैं । माननीय, 200 आदमी इस प्रश्न को लेकर जेल के अन्दर हैं और ऐसी स्थिति में वहां की स्थिति और गम्भीर न हो, आप सरकार से इस पर वक्तव्य दिला दें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

माननीय, आप इसे नियम 51 में कर लें ।

इलाहाबाद की युवती निशा पवार को बरामद करने की मांग

श्री सत्य पाल मलिक (जिला मेरठ)—

माननीय, एक पढ़ी-लिखी जवान लड़की गैर कानूनी तौर पर बंद है । सी० ओ० सिटी को उस लड़की ने चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में बहुत से आरोप लगाये हैं कि जनरल सेक्रेटरी, कांग्रेस के उसके पीछे पड़े हैं । इस मामले में माननीय, नेता विरोधी दल चिट्ठी लिख चुके हैं । माननीय, इस लड़की की बरामदगी नहीं हो सकती अगर मंत्री जी कोई आश्वासन नहीं देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वह कार्यवाही के लिए भेज दूंगा, आपने लिखकर दिया नहीं, समय से ।

*श्री चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला जो मलिक जी उठा रहे हैं, एक इस प्रकार की चिट्ठी हमारे पास आई थी । एक लड़की की जिन्दगी बिगड़ी जा रही है । इसमें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री चौधरी चरण सिंह]

लड़की की जिन्दगी का सवाल है। और अब यह वाकया हुआ कि एक लड़की की जिन्दगी बिगाड़ने जा रहीं है। मेरी प्रार्थना है कि माननीय मलिक जी पहले अपनी बात बता दें और फिर सरकार की और से माननीय राज मंगल पांडेय जी आश्वासन दें। इसमें लड़की की जिन्दगी का सवाल है। वह शुद्ध जीवन बिताना चाहती है, क्या उसको सही रास्ता अपनाने का मौका देंगे या जो पाप का रास्ता है, जिस पर कुछ लोग उसे डालना चाहते है, अतिचार करने देंगे ? यदि उसकी रक्षा हो सकती है तो सरकार की और से माननीय राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जो, जो सदन में मौजूद है, एक लड़की का सवाल भी है, यह आश्वासन देगीं कि तहकीकात करके उस लड़की की जिन्दगी बचायी जायगी ?

खाद्यमंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

उसके बारे में जानकारी कर ली जायेगी और फिर बता दी जायेगी। आप लिख कर भी दे दें।

श्री अध्यक्ष—

आपने यह लिख कर नहीं दिया, हमने इजाजत दे दी थी आपको अपनी बात कहने की। माननीय मंत्री जी कहती हैं कि आप लिख कर दे दें, वे जांच करवा लेंगी।

श्री चौधरी चरण सिंह—

इलाहाबाद से फिर उस लड़की को मेरठ ले आया गया।

श्री सत्य पाल मलिक—

उस लड़की ने यह चिट्ठी लिखी है.....

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि एक महीना हो गया कि किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ, लेकिन नोटिस में लाने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, अभी तक क्या कार्यवाही हुई, मुझे मालूम नहीं है लेकिन मैं, श्रीमन् आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि जो भी उचित कार्यवाही कानूनी दृष्टि से संभव होगी, की जायगी और जो भी व्यक्ति रास्ते में बाधक होंगे, जो कि ऐसा काम करने पर उसे मजबूर कर रहे हैं, उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

लेकिन श्रीमन, इस मामले में शीघ्र कदम उठाना चाहिए।

श्री सत्य पाल मलिक—

श्रीमन्, उस लड़की का नाम निशा पवार है और सीनियर कैम्ब्रिज पास है इसकी मां इलाहाबाद में गलत काम करती है। वहां पर कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेट्री हैं, श्री राम कृष्ण श्रीवास्तव, उनका नाम वोटर्स लिस्ट में इसकी मां के साथ दर्ज है, वे शादी शुदा हैं। कहते हैं कि लड़की ने नींद की गोलियां खा ली थीं। इन्हीं श्री रामकृष्ण श्रीवास्तव ने इसे मोतीलाल नेहरू अस्पताल में दाखिल कराया था। रिपोर्ट लिखवाने पर थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई और जबरन उसे मेरठ में भेज दिया गया। इलाहाबाद में कांग्रेस के जनरल सेक्रेट्री का पद बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पर माननीय लाल बहादुर भी रह चुके हैं। इस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि इन नेता की वजह से उसकी जिन्दगी खराब हो जा रही है। मैं

माननीय मंत्री जी से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि अगर ये नेता भी इसमें इन्वाल्व हों तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही की जायगी और लड़की तुरन्त बरामद करायी जायेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इसकी जानकारी करायी जायेगी और जो नेता हमारे दल के होंगे, या इन्वाल्व होंगे तो हमारे दल की ओर से और शासन की ओर से भी उचित कार्यवाही की जायेगी ।

चौधरी चरण सिंह—

मैं चाहता हूं कि इसमें तत्काल कार्यवाही की जाय । जब लड़की ने सोने की गोलियां खा ली थीं तब किसी की तरफ से तफसील में लिखा गया था । 1 1/2 महीने की बात हो गयी है मैंने मुख्य मंत्री को इस बारे में लिखा था । अक्सर जब मैं माननीय मुख्य मंत्री को कुछ लिखता हूं तो मुझे लिख दिया जाता है कि उस पर यह कार्यवाही कर दी है लेकिन इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गयी कि क्या कार्यवाही हुई । मेरठ में जान की बात बाद की है । अगर कोई कार्यवाही होती तो मुझे सूचित किया जाता । इसमें तत्काल कार्यवाही करने की आवश्यकता है । आपके माध्यम से मैं यह इम्प्रेस करना चाहता हूं ।

(माननीय राज मंगल पांडेय के सदन में आने पर)

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

श्रीमन, उप मुख्यमंत्री जी आ गये हैं, अब इनकी ओर से आश्वासन हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

आश्वासन तो हो गया, और आप क्या चाहते हैं ?

कतिपय विषय

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, 30 तारीख को शादियां समाप्त हो गयी हैं, उनमें चीनी के लिए....

श्री अध्यक्ष—

यह इस समय नहीं लिया जा सकता है । आप लिखकर दे दीजिए जहां तक आश्वासन का प्रश्न है अगर वह पूरा नहीं होता है तो उसके लिए आश्वासन समिति है, उसमें जायेगा । आश्वासन समिति में भी जाने का प्राविधान है अगर आश्वासन पूरा नहीं होता ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

यह बहुत महत्वपूर्ण है । 30 मई के बाद कोई विधान नहीं है इसलिए....

श्री अध्यक्ष—

अगर तत्काल कुछ कह दें तो उसमें दिकक्त होगी । आप आश्वासन चाहते हैं किसी चीज का तो लिखकर दें, उनके पास भी प्रति जाय और समझदारी से, समझ-बूझ कर जवाब दें और आश्वासन दें । वह अगर पूरा नहीं होता तो आश्वासन समिति देखती है उसको ।

पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर विधेयक, 1974

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 120–248 पर)

(कुछ रुक कर) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर विधेयक, 1974 जनता की राय जानने के प्रयोजन से 3 मास के लिए परिचालित किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय . . .

दो मिनट । इस सिलसिले में सिर्फ इतना निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत से सदस्यों में यह भ्रम है कि बहुत से विश्वविद्यालय बन रहे हैं और कोई जौनपुर जिले में ऐसा विश्वविद्यालय बनाने की चेष्टा की जा रही है जिसकी जनपदीय मांग है । अध्यक्ष महोदय, दरअसल सरकार की इस वक्त यह नीति है जैसा कि मुख्य मंत्री ने इस सदन में घोषणा की है कि हर मंडल में एक विश्वविद्यालय हो और उसी के अनुरूप सदन के सदस्यगण जानते हैं कि कुमायूं मंडल में, गढ़वाल, रूहेलखंड फैजाबाद में, दूसरी जगहों पर विश्वविद्यालय बनाये गये हैं । यह जो हमारा वाराणसी मंडल है, उसमें एक बड़ी भारी अनोमली शिक्षा के क्षेत्र में है । बहुत से सदस्यों को भ्रम है कि चूंकि वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय हैं तो मंडल की जरूरत उनसे पूरी हो जाती है । वास्तविकता यह है कि जो 3 विश्वविद्यालय हैं, उनमें से कोई भी विश्वविद्यालय एफीलिएटेड यूनिवर्सिटी नहीं है । आप यह देखेंगे कि बनारस तक के विद्यालय, हरिश्चन्द्र कालेज या दूसरे कालेज, ये सब गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं और नतीजा यह है कि आज गोरखपुर विश्वविद्यालय की यह स्थिति हो गयी कि खुद उस विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति ने यह प्रस्ताव पास किया कि एक विश्वविद्यालय की आवश्यकता है जो कि जनपद के दूसरे महाविद्यालयों को एफीलिएट करे ।

अगर आप इजाजत दें तो मैं इस सिलसिले में जो उनका प्रस्ताव है उसको यहां पढ़ देना चाहता हूं जिससे कि यह स्पष्ट हो जायगा कि यह उनकी भी डिमांड है । 1–6–71 को गोरखपुर विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् ने वह प्रस्ताव पास किया था:—

"In view of the rapidly growing number of colleges both under graduate and post-graduate affiliated to the University to exercise that kind of academic and administrative guidance that is envisaged in the act, statutes and Ordinances of the University, in the process defeating its main duty to the affiliated colleges, not without causing undue strain on its own limited resources. The academic Council is of the opinion that the Government of U.P. be approahced to effect seperation between the Central University and affiliated colleges, and allow the affiliated colleges to constitute themselves into an affiliating University to serve best the Educational needs of the otherwise backward districts of U. P. at present compromising the academic jurisdiction of the University of Gorakhpur."

श्रीमन्, यह प्रस्ताव पास किया । इस वक्त गोरखपुर विश्वविद्यालय से करीब 120 महाविद्यालय संबंधित हैं । इस सिलसिले में 1948 में राधाकृष्णन कमीशन पहली बार बैठा

विश्वविद्यालयों की शिक्षा के सम्बन्ध में जांच करने को। उस कमीशन ने स्वयं यह रेकमेन्डेशन किया कि किसी भी एफीलियेटिंग विश्वविद्यालय से 50 से अधिक महाविद्यालय सम्बद्ध नहीं होने चाहिये नहीं तो प्रापर ऐडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं हो पाता है। उसी के तहत आप देखेंगे कि यह डिमांड उठ रही है, यह विधेयक जो हमने प्रस्तुत किया है यह उस क्षेत्र के लिये है जिसमें गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, मिर्जापुर और स्वयं वाराणसी, कम से कम यह पांच जिले तो निश्चित रूप से आते हैं और और जिलों के बारे में यह मांग बराबर उठती चली जा रही है। इस विश्वविद्यालय के बनने की परम आवश्यकता है। यह कहा जा सकता है कि फाइनेन्सेज की हालत बहुत खराब है....

श्री अध्यक्ष--

अब आप योग्यता में जा रहे हैं। आपका तो सिर्फ यह है कि यह जनमत के लिये भेजा जाय।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

मैं यह चाहता था कि तीन मास के लिये शिक्षाविदों और जनता की राय जानने के पश्चात् उसी के अनुसार बनाया जाय।

*श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय ओमप्रकाश जी ने जो पूर्वांचल का विश्वविद्यालय जौनपुर में खोलने का विधेयक पेश किया है और साथ ही साथ यह प्रस्ताव किया है जनमत संग्रह के लिये तीन मास तक घुमाया जाय, जैसा कि इस आदरणीय सदन को भी मालूम है माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात की घोषणा की है कि हर डिवीजन में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायगी। बनारस डिवीजन में इस तरह का कोई विश्वविद्यालय नहीं है और छात्रों की संख्या बराबर बढ़ रही है। इस तरह का विश्वविद्यालय जो अध्यापन कार्य भी करे और डिग्री कालेजेज को एफिलियेट भी करे, जौनपुर में खोला जाना बहुत आवश्यक है। जहां तक जौनपुर की परम्परा का सवाल है, मध्यकाल में जौनपुर सभ्यता और संस्कृति का पूर्वान्चल में बड़ा भारी केन्द्र रहा है। अगर मुगल काल के इतिहास का अवलोकन करें तो तमाम मुल्ला लोग वहां रहते थे और मुगल संस्कृति का भी वह बड़ा भारी केन्द्र रहा। इसके पहले भी वह भारतीय संस्कृति और सभ्यता का केन्द्र रहा। इन सब दृष्टियों से जब गोरखपुर विश्वविद्यालय खुला अगर यहां के लोगों ने ठीक से विचार किया होता, स्थिति और परिस्थिति के बारे में तो गोरखपुर के मुकाबले में जौनपुर अधिक उपयुक्त था। गोरखपुर पूर्वांचल का केन्द्र स्थान नहीं है। गोरखपुर विश्वविद्यालय की अहमियत भी उतनी नहीं है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में या राजनीतिक दबाव के कारण गोरखपुर विश्वविद्यालय खुल गया। गोरखपुर तो बहुत दिनों से वन जातियों और जनजातियों का घर रहा है। हो सकता है कि मधुकर साहब को बुरा लगे लेकिन ऐन्थ्रापोलिजिकल विश्लेषण किया जाय तो सभी दृष्टियों से जौनपुर का स्थान पहले नम्बर पर होगा। मुगल काल में जौनपुर में ही ऐसे बड़े-बड़े मुल्ला रहते थे जो यह फतवा देते थे कि दिल्ली के तख्त पर कौन बैठने का हकदार है और एक किस्सा है कि अकबर बादशाह ने जब दीन इलाही का मजहब चलाया तो जौनपुर के मुल्लाओं ने फतवा दिया कि अकबर बादशाह तो काफिर हो गया है। तो अकबर बादशाह को उनके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ी और सारे मुल्लाओं को नाव में बिठा कर गोमती में डुबा दिया था। तो जौनपुर का इतिहास बड़ा क्रांतिकारी इतिहास रखता है। गोरखपुर से बढ़ कर स्थान जौनपुर का है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशी नाथ मिश्र]

और इसको अहमियत मिलना चाहिये। मैं गोरखपुर के विश्वविद्यालय को तोड़ने की राय नहीं दे रहा हूं, वरन् छात्रों की जो तादाद बढ़ रही है, विभिन्न विषयों में पढ़ाई का जो प्रसार बढ़ रहा है, उसको देखते हुये जौनपुर में विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता बहुत बढ़ गयी है।

मान्यवर, अंग्रेज जब भारतवर्ष में आये तो उन्होंने अपने आराम की तथा व्यापार की दृष्टि से जो जगह थी वहां पर विश्वविद्यालय कायम किये जैसे कलकत्ता और मद्रास आदि मगर तक्षशिला और नालन्दा जो हमारी प्राचीन शिक्षा के केन्द्र माने जाते रहे हैं, उनकी ओर उन्होंने कतई ध्यान नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—

आप तो उसकी योग्यता के ऊपर जा रहे हैं। अभी तो प्रश्न यह है कि इसको परिचालित किया जाय। इस पर अधिक भाषण की जरूरत नहीं है।

श्री उमानाथ (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, यह जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय, विधेयक पुरः-स्थापित किया गया है यह बहुत ही आवश्यक है और जौनपुर जनपद में एक विश्वविद्यालय खुलने की अत्यन्त आवश्यकता है। माननीय काशीनाथ मिश्र ने जिन शब्दों में उसकी आवश्यकता की ओर प्रकाश डाला, वह सही है। हम भी उन शब्दों में उसे बयान नहीं कर सकते थे। जब सारे देश और प्रदेश के छात्रों में अनुशासनहीनता बढ़ रही थी, हमारे जौनपुर के छात्रों ने अनुशासनप्रियता का अनुपम उदाहरण सामने रखे, वे अनुशासन में रहे। वहां के बारे में कभी कोई शिकायत सुनने को नहीं मिली। हमारे यहां के छात्रों का रेजल्ट भी गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुकाबले बहुत अच्छा रहा करता है। जौनपुर जनपद में अनेकों डिग्री कालेजेज भी चल रहे हैं। इसलिये जो मांग जौनपुर जनपद के लिये रखी गयी है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मान्यवर, माननीय ओमप्रकाश सिंह जी ने जो विचार व्यक्त किये उनसे तो मैं सहमत हूं क्योंकि जौनपुर पूर्वांचल एक पिछड़ा हुआ स्थान है, लेकिन माननीय काशीनाथ मिश्र ने जो कहा कि गोरखपुर की कोई ऐतिहासिक परम्परा नहीं रही है यह बिलकुल गलत है। हमारे यहां एक बांसी नदी है जिसको कहते हैं कि वह 100 काशी के बराबर है। वहीं भगवान बुद्ध ने जन्म लिया और वहीं निर्वाण प्राप्त किया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

गोरखपुर के बारे में उन्होंने कोई आक्षेप नहीं किया।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

अध्यक्ष जी मैं जौनपुर का रहने वाला हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप तो गोंडा के हैं।

*श्री त्रिवेणी सहाय—

जौनपुर से मुझे विशेष प्रेम है, जब यह विधेयक मैंने देखा तो हृदय में बड़ी खुशी महसूस हुई। 25–26 वर्ष से जौनपुर छोड़कर मैं गोंडा में आ गया हूं। वैसे मेरी जन्मभूमि जौनपुर ही है, इसलिये यह विधेयक देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रस्ताव के आते ही मैं गदगद हो उठा। प्राचीन समय में जौनपुर का नाम जमदग्निपुर था। जब बाद में मुगलों का शासन आया तो इसका नाम जौनपुर पड़ा। जौनपुर का अप्पा-अप्पा प्राचीन इतिहास से भरा हुआ है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

यह नाम मुगलों के समय में नहीं, सुल्तानों के समय में पड़ा है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

श्री ओम प्रकाश जी श्रीवास्तव, मेरे छोटे भाई भी हैं। श्रीमन् हम लोग एक ही परिवार के और एक ही गांव के रहने वाले हैं, इसलिये मुझे इनके प्रस्ताव का समर्थन करना पड़ रहा है हालांकि इन्होंने कभी मेरे प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। मान्यवर, शिक्षा का जैसे-जैसे प्रसार होता जा रहा है और स्कूल कालेज खुल रहे हैं, वैसे-वैसे विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। सरकार ने भी निर्णय लिया है कि हर डिवीजन में एक विश्वविद्यालय हम कायम कर देंगे और इस तरह प्रदेश के जिन-जिन डिवीजनों में विश्वविद्यालय नहीं थे, वहां पर सरकार ने खोलने का प्रयास किया है। वह एक सराहनीय प्रयास है। वाराणसी डिवीजन में हिन्दू विश्वविद्यालय बहुत दिनों से चल रहा है और वह विश्वविद्यालय केवल उत्तर प्रदेश का नहीं, भारतवर्ष का नहीं बल्कि विश्व का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। भारी संख्या में वहां विद्यार्थी पढ़ते हैं और इसलिये उसके आसपास के जिलों में जो स्कूल चलते हैं और जिन विद्यालयों में विद्यार्थी पढ़ते हैं उनका एफिलिएशन शायद बनारस विश्वविद्यालय से नहीं किया गया है, गोरखपुर विश्वविद्यालय से किया गया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय से एफिलिएशन गोंडा से लेकर पूरब के जितने जिले हैं उन सब के महाविद्यालयों का है। अब गोरखपुर विश्वविद्यालय की परिधि भी बहुत बढ़ गयी है। ऐसी अवस्था में पूर्वांचल एक ऐसा सेंटर है जहां केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिये। श्री ओम प्रकाश जी श्रीवास्तव ने जो यह मांग रखी है कि इसको जनता के बीच में राय जानने के लिये परिचालित किया जाय, मैं समझता हूं कि शायद उनके जिलों में कहीं भी इसके विरोध में आवाज नहीं लगेगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि बाकी जिलों में भी, जैसे अभी माननीय ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि मिर्जापुर में विश्वविद्यालय होना चाहिये, तो मैं कहना चाहता हूं कि मिर्जापुर एक ऐसा स्थान है जहां सीमेंट की एक फैक्टरी है, वहां पर बड़े-बड़े उद्योग लगे हुए हैं और वहां पर श्री कमलापति त्रिपाठी जी हावी रहे हैं।

मान्यवर, जौनपुर की आबादी भी शायद एक लाख से ऊपर हो चुकी है और वह शिक्षा का केन्द्र रहा है, एतिहासिक केन्द्र भी रहा है, ऐसी स्थिति में पूर्वी जिलों में जौनपुर को वह स्थान मिलना चाहिये और सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि जब भी वह कोई विश्वविद्यालय खोलने का खयाल करे तो उसे जौनपुर में खोलने का प्रस्ताव जरूर रखें।

*श्री आशाराम यादव (जिला मिर्जापुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी ने जौनपुर में विश्वविद्यालय खोलने का जो प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक की कापी जब हम लोगों को मिली तो बड़ी खुशी हुई। अध्यक्ष जी, मैं इस सम्बन्ध में बतलाना चाहता हूं मिर्जापुर के एक डिग्री कालेज में अध्यापक होने के नाते कि आज हम लोगों के सामने जो समस्यायें हैं वे बड़ी जटिल हैं, कहने लायक नहीं हैं। जैसा कि ओम प्रकाश जी ने बतलाया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि हर डिवीजन में एक विश्वविद्यालय खोला जाय, तो वाराणसी डिवीजन में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है। वाराणसी में जो तीन विश्वविद्यालय हैं उनसे वहां के कालेज सम्बद्ध नहीं हैं। उस डिवीजन के सभी महाविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री आशाराम यादव]

मान्यवर, गोरखपुर विश्वविद्यालय के पास भी बहुत काम हो जाता है जिससे वह सारी समस्याओं को सुलझा नहीं पा रहा है । जिस डिग्री कालेज में मैं पढ़ाता हूं, कम से कम हर साल पचासों केस ऐसे हमारे सामने आते हैं जिनके नम्बर इधर से उधर रहते हैं। जो लड़का पास है वह फेल और जो फेल है वह पास लिखा रहता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय की हालत आज यह है कि अगर किसी अध्यापक का कोई एप्लीकेशन जाता है तो बिना विचार किये उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। फिर उसके लिये गोरखपुर जाने में तमाम दौड़ धूप व खर्चा करना पड़ता है तब जाकर कोई काम हो पाता है । अगर मिर्जापुर से किसी को बुद्धी जाना हो और मिर्जापुर से लखनऊ आना हो तो वह लखनऊ पहले पहुंच जायेगा और बुद्धी बाद में पहुंच पायेगा। इस तरह से मान्यवर, सरकार भी जानती है और सदन भी जानता है कि वहां कोई काम होने में कितनी देर लगती है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के, बनारस डिवीजन के विश्वविद्यालय और डिग्री कालेज जिनका संबंध गोरखपुर विश्वविद्यालय से है उनको उनसे अलग करने के लिये यह आवश्यक है कि जौनपुर में एक विश्वविद्यालय खोला जाय। मैं इसका समर्थन करता हूं और इसको जनता में परिचालित करने के लिये भेजने की बात का भी समर्थन करता हूं। मुझे उम्मीद है कि मिर्जापुर, बनारस डिवीजन के जिलों के किसी भी जिले का एक व्यक्ति भी इसका विरोध नहीं करेगा। सर्व सम्मति से समर्थन करेगा और यह विधेयक इसके बाद सदन में पारित हो जायेगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, जैसा अभी माननीय ओमप्रकाश श्रीवास्तव जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उसका मैं कुछ अंशों में तो समर्थन करता हूं लेकिन इस विश्वविद्यालय की रूप-रेखा क्या हो.....

श्री अध्यक्ष—

अभी रूपरेखा की चर्चा नहीं है।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, मैं भाषण नहीं दूंगा। केवल 2–4 वाक्य ही कहूंगा।

इसे परिचालित तो किया जाय इसके साथ ही यह है कि गोरखपुर में यूनीवर्सिटी तो है पर उसके पास वैसे ही काम का बोझ है इसलिये पूर्वांचल में यूनीवर्सिटी होनी चाहिए। वह किस स्थान पर हो इसकी चिंता मैं नहीं करता, जनता करे और सदन करे। पूर्वी अंचल में एक ऐसी यूनीवर्सिटी की आवश्यकता है जो एफीलियेशन शोध का कार्य करें। अन्य यूनीवर्सिटीज की तरह वहां पर बी० ए०, बी० एस-सी० आदि के क्लास नहीं चलाये जाने चाहिये, केवल शोध कार्यों के लिये एफीलियेशान कार्यों के लिये वहां पर यूनीवर्सिटी होनी चाहिए। जो इस तरह के एग्जामिनेशन कंडक्ट करे। एक ऐसी यूनीवर्सिटी की पुर्वी अंचल में स्थापना करने की आवश्यकता है। क्योंकि बनारस में तीन यूनीवर्सिटीज होते हुये भी कोई एफीलियेटिंग यूनीवर्सिटी नहीं है। इसलिये शोध वर्क के लिये एक यूनीवर्सिटी की आवश्यकता है। इसलिये इस तरह से मैं इसका समर्थन करता हूं कि इसको परिचालित किया जाय।

श्री राजकिशोर तिवारी (जिला जौनपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर विधेयक रखा है उसको देख कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुयी है। मैं अपने भाई श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी को इसके लिये बधाई देता हूं और आपका कृतज्ञ हूं कि आपने इस महान् कार्य के लिये हम लोगों को अवसर दिया है।

यह विश्वविद्यालय जौनपुर में ही चलेगा, इस नाते कि मैं जौनपुर का निवासी, पूर्वी होने नाते मैं अपने उन भाइयों को भी जो परिचालित करने के लिये सहयोग की बात कर रहे हैं, धन्यवाद देता हूं। इस विश्वविद्यालय की आवश्यकता है इससे सभी भलीभांति परिचित हैं और आप भी हमारे पड़ोसी जिले के होने के नाते भलीभांति जानते होंगे। एक विद्यालय चलाने वाले, एक व्यक्ति होने के नाते अपनी यह अनुभूति है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के पास बहुत कार्य है और आने वाले समय में भी गोरखपुर यूनीवर्सिटी के ऊपर कार्य भार बढ़ेगा। आज जो काम-काज की स्थिति है वह यह है कि सही तरीके से काम-काज नहीं हो रहा है। इन कठिनाइयों को देखते हुये, आवश्यकता को देखते हुये बहुत आवश्यकता है कि जौनपुर जनपद में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय। मैं इसके लिये ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं और उसके परिचालित करने के लिये जो अवसर मांगा गया है, उसके लिये सिफारिश करता हूं।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, जौनपुर के सिलसिले में ओमप्रकाश श्रीवास्तव साहब ने जो विधेयक पेश किया है मैं उसके समर्थन में बोल रहा हूं। हमारा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है। इसके अंदर तालीम की कमी है, विश्वविद्यालयों की कमी है। जहां तक पूर्वी इलाकों में तालीम की बात है, इसके अन्दर यह महसूस किया जाता है कि पूर्वी इलाके में पश्चिमी इलाकों के मुकाबले तालीम की सहूलियतें कम हैं। अगर पूर्वी इलाके में कोई विश्वविद्यालय कायम किया जाता है तो मैं समझता हूं कि वह वक्त की एक बहुत बड़ी मांग है और उसको पूरा करने की जरूरत है। जौनपुर जिले के अंदर जैसा कि हमारे साथियों ने फरमाया कि वहां अगर विश्वविद्यालय कायम होगा तो पूरब के बहुत से जिलों की कमी पूरी हो जायगी, इसको मैं मानता हूं कि गोरखपुर, जौनपुर करीब का जिला है, वहां पर खुद विश्वविद्यालय है। लेकिन फिर भी पूर्व के दूसरे जिलों के अन्दर हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं और उनको जितनी तालीम मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पा रही है। इसलिये वक्त की जरूरत को महसूस करते हुये और प्रदेश के अन्दर तालीम की आवश्यकता को महसूस करते हुये यह सदन इसकी मंजूरी देगा कि जौनपुर में कोई विश्वविद्यालय कायम किया जाय। तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अहम बात होगी कि जितनी तालीम की जरूरत है वह कमी उससे दूर हो सकेगी। जब तक हमारे प्रदेश में तालीम की कमी दूर नहीं होगी तब तक यह प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता है। चूंकि यह प्रदेश बहुत बड़ा है इसलिये यहां तालीम की बहुत कमी है मैं देखता हूं कि हमारा प्रदेश दूसरे सूबों के मुकाबले में पिछड़ा हुआ है। इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं कि जौनपुर के अन्दर विश्वविद्यालय कायम किया जाय।

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मैं श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विश्वविद्यालय जौनपुर में खोलने का प्रस्ताव किया है। यह खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश का एक कमजोर भाग का उत्थान करने के लिये जहां और चीजें सोचना है वहां शिक्षा का सवाल सोचना भी जरूरी है। शिक्षा का प्रसार आज जरूरी हो गया है इसलिये विश्वविद्यालय का खोलना तथा उसमें सीटें अधिक रखना जरूरी है। विश्वविद्यालयों में जितनी अधिक सीटें होंगी उतना ही सुन्दर कार्य, इन्तजाम तथा उतनी ही सुन्दर तालीम हो सकती है। यह खुशी की बात है कि पूर्वांचल क्षेत्र में वैसे तो गोरखपुर में विश्वविद्यालय है लेकिन वहां सवा सौ कालेजेज उसके साथ सम्बद्ध हैं, इसलिये दूसरे विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। आज विश्वविद्यालय में जहां शिक्षा मिलती है वहीं ये संस्थायें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अजीत सिंह सेठी]

विचारधारा को भी बदलती हैं और उससे समाज की तथा आर्थिक नीतियों की श्रेष्ठता उसी प्रांगण से निकलती हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जौनपुर विश्वविद्यालय की रचना यदि की गई तो उस इलाके के जवान और शिक्षित बच्चे जो होंगे वह अपने क्षेत्र की विचाराधारा को बदलेंगे और अपने क्षेत्र का उत्थान करेंगे तथा सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम को वे बदलेंगे, इन शब्दों के साथ में विधेयक का समर्थन करता हूं ।

*कुंवर भोपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय ओम प्रकाश जी द्वारा प्रस्तुत पूर्वांचल विश्वविद्यालय का समर्थन करता हूं । एक-दो तथ्यों का निवेदन करने के बाद मैं प्रार्थना करूंगा कि जनता की राय जानने के लिये उसको परिचालित किया जाय । माननीय अध्यक्ष जी, केवल जौनपुर जिले में दो दर्जन महाविद्यालय तथा 4 दर्जन इंटर कालेजेज हैं और उसके आस-पास भी जिले हैं जिनमें भी लगभग इसी प्रकार की शिक्षा का प्रसार है ।

शिक्षा का प्रसार और प्रचार जितना अधिक होगा उतना ही जनतन्त्र के हित में होगा, उतना ही राष्ट्रीय उन्नति के हित में होगा और इसलिये यह तो आवश्यक है कि विश्वविद्यालय ऐसा खोला जाय जिसके द्वारा जो महाविद्यालय हैं उनको चलाने में आसानी पड़े। गोरखपुर पर चूंकि अधिक भार है इसलिये वह उस भार को पूरा नहीं कर पाते हैं। किसी भी काम के लिये कोई पत्र गोरखपुर विश्वविद्यालय जाता है, उसके लिये 3—4 रिमाइन्डर भेजना पड़ता है। रिमाइन्डर पर भी जब उत्तर नहीं आता है तो किसी आदमी को भेजना पड़ता है, तब कहीं जाकर उत्तर आता है और उसी आधार पर महाविद्यालयों का काम चलता है । इस बीच में इतना अधिक समय लग जाता है कि जिस काम के लिये लिखा गया रहता है वह काम भी समाप्त हो गया होता है जब तक कि उत्तर आता है। इस तरह से प्रशासन में गड़बड़ रहती है। अगर हर हिस्से में एक विश्वविद्यालय होगा तो काम बहुत अच्छा चलेगा । इस नाते मैं भी ओम प्रकाश जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इस सदन से निवेदन करता हूं कि वह इसका समर्थन करे और उसको जनता में परिचालित किया जाय जनता की राय जानने के लिये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं साथी ओम प्रकाश जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव एक ऐसे मौके से लाये जिसका सारे सदन ने, इस पक्ष के और उस पक्ष के, सभी ने समर्थन किया है। मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट का इरादा क्या होगा, लेकिन दोनों पक्षों के समर्थन की कीमत सरकार के पास भी होनी चाहिए। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि शिक्षा सस्ती और अच्छी, जितनी ज्यादा दे सकें वह अपने प्रदेश और देश में उतना ही ज्यादा लोकतन्त्र और जम्हूरियत को मजबूत करेगी। अपने ही देश में केरल, मद्रास आदि ऐसे प्रदेश हैं जहां शिक्षा हमारे प्रदेश से कई गुनी अधिक है, वहां आप देखेंगे कि लोकतन्त्र, चुनाव आदि हर चीज में कितनी जागृति और अहमियत रखती है । अपने प्रदेश में शिक्षा की बहुत कमी है और खासतौर से उच्च शिक्षा में तो बड़ी कमी है । जहां हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट में 10 लाख विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हैं, वह संख्या विश्वविद्यालय स्तर पर जाकर एक लाख से भी कम हो जाती है और उसके कारण कई हैं । सबसे बड़ा कारण यह है कि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि दूर-दूर से विद्यार्थियों को आना पड़ता है और उनके अभिभावक इस मंहगी में इसको बरदाश्त करने में सक्षम नहीं हैं। इसलिये विश्वविद्यालय जितने नजदीक खोले जायेंगे उतनी ही सस्ती शिक्षा होगी और अच्छी होगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमान आपको याद होगा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि यदि देश में समाजवाद लाना है, यदि देश में लोकतन्त्र को मजबूत करना है तो देश में शिक्षा का बढ़ावा ज्यादा होना चाहिये। जिस देश में शिक्षा ज्यादा होगी उसी देश में लोकतन्त्र और समाजवाद मजबूत होगा और देश राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत होगा। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जौनपुर में एक डिग्री कालेज है जहां कि आजमगढ़ से लड़के पढ़ने जाते हैं। अगर एक विश्वविद्यालय जौनपुर में खुल जाय तो जो गरीब खानदान के विद्यार्थी हैं उनको इससे अवश्य लाभ होगा। जिस प्रकार प्रदेश के छोटे-छोटे स्थानों में विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, वैसे ही जौनपुर जो कि एक ऐतिहासिक नगर है जहां का किला आज भी हमारे सामने दिखाई देता है जो मुगल बादशाहत की झलक है, ऐसे ऐतिहासिक स्थान पर एक विश्वविद्यालय खुले तो हमारे प्रदेश के लिये ही नहीं लाभ होगा, बल्कि देश के हित में भी होगा। इन शब्दों के साथ मैं सिफारिश करता हूं कि जौनपुर में विश्वविद्यालय खोलने के लिये जो श्री ओम प्रकाश जी ने प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

* श्री आगा मंदी (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ओमप्रकाश जी के द्वारा लाये गये प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि वे इस प्रस्ताव को लाये। बनारस मंडल हमारा एक ऐसा अभागा मंडल है, वहां तीन-तीन विश्वविद्यालय मौजूद हैं लेकिन बनारस मंडल के जो जिले हैं उन जिलों के स्कूलों को गोरखपुर युनीवर्सिटी से एफीलिएट होना पड़ता है। फैजाबाद में जो युनीवर्सिटी खुली है उसमें वहां के लोगों को सहूलियत मिल गयी। गोरखपुर यूनीवर्सिटी एफीलियेटिंग और रेजीडेन्शियल दोनों हैं। उसमें दोनों कार्य करने की क्षमता नहीं है कि वह रेजीडेन्शियल युनीवर्सिटी का भी काम कर सकें और बनारस जिले के स्कूलों की देख-रेख भी कर सकें। इसलिये यह प्रस्ताव बहुत जरूरी है और मैं आपके माध्यम से तमाम माननीय सदस्यों से यह अपील करना चाहता हूं और अपनी सरकार से भी अपील करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के इस बढ़ते हुए कदम में यह कदम भी बढ़ायें जिससे कि हमें भी सन्तोष हो कि हमारी सरकार ने हमारी तरफ एक कदम उठाया है। युनीवर्सिटी खुलने की बात जौनपुर में कही गयी है। जौनपुर में इसलिए कही गयी है कि जौनपुर ही एक जिला है जो कि तमाम साधनों को इकट्ठा कर सकता हूं। यहां पर शिक्षा का भी माहौल है। वैसे तो जब शिर्की बादशाहों की हुकूमत थी उस जमाने में पंडितों और मौलवियों की पालकी निकला करती थी। यहां पर काबुल, कंधार और काकेशिया के लड़के पढ़ने आते थे। ज्यादा न बोलते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं और सभी सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि वे इसका समर्थन करें। सरकार का भी मैं शुक्रगुजार होऊंगा अगर वह इस प्रस्ताव के मंजूर होते ही इस पर कदम बढ़ाये।

*राजा रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया गया है मैं उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता समझता हूं। बात यह है कि मुझे तो बराबर अनुभव होता रहा है इस आवश्यकता का। अभी हमारे यहां के एक कालेज का मामला था। एक वर्ष से अधिक विचार होता रहा। जब मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय गया तो मैंने पूछा कि क्या बात है। मुझे वाइस-चांसलर और प्रो-वाइस चान्सलर ने बतलाया कि इतने कालेज हैं 115,116 कालेज हैं। लिहाजा इतनी जल्दी निर्णय करना आसान नहीं होता है। इसलिय एक छोटे से मामले में साल भर से अधिक बीत जाता है। यदि स्थान-स्थान पर जहां कालेज खोले जायं वहां महाविद्यालय भी खोले जांय तो वहां सुविधा अधिक हो जायगी और मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि कई स्थानों पर सरकार विश्वविद्यालय खोलने जा रही है। मैं फैजाबाद से सम्बन्धित हूं लेकिन न्याय की दृष्टि से मैं इस बात को बहुत आवश्यक समझता

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[राजा रणंजय सिंह]

हूं कि उस पार्श्व में कोई न कोई विश्वविद्यालय अवश्य हो जिससे आस-पास के कालेजों तथा अन्य सम्बन्धित लोगों को सुविधा हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का अनुमोदन करता हूं।

*श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को देखा और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि शासकीय पक्ष के एक सदस्य ने विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात सदन के सामने रखी। वैसे तो अभी तक लगातार यही बातें सुनने को मिलीं कि यह टैक्स लगा दिया जाय, वह टैक्स लगा दिया जाय। जब भी किसी मेडिकल कालेज अथवा विश्वविद्यालय खोलने की बात रखी गयी तो शासन ने हमेशा यह कह दिया कि इस वर्ष इसकी व्यवस्था नहीं हो सकती क्योंकि धन का अभाव है मानो अच्छी बात के लिये शासन के पास धन का अभाव है और किसी भी प्रकार के विलासिता का कार्य हो उसके लिये शासन के पास कभी धन का अभाव नहीं होता। आज जब यह विश्वविद्यालय की बात हमारे सामने आई तो हृदय में प्रसन्नता हुई। जिस क्षेत्र में मैं हूं वहां विश्वविद्यालय नहीं था। इस वर्ष शासन की ओर से स्वीकार किया गया है कि रूहेलखंड में विश्वविद्यालय की स्थापना होगी लेकिन प्रश्न यह है कि कागजी कार्यवाही करने से कोई लाभ नहीं होता...

श्री अध्यक्ष—

सरकार की आलोचना की बात नहीं है अभी तो घुमाये जाने की बात है।

श्री सत्य प्रकाश—

प्रसारित करने की बात है, यह भी आवश्यक है। लेकिन प्रसारण से जनता की राय जानी जायगी तो कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा, सभी लोग चाहेंगे कि शीघ्र से शीघ्र इसे पारित कर दिया जाय ताकि उस क्षेत्र की आवश्यकता की पूर्ति हो सके।

श्री लोकपति (जिला मिर्जापुर)—

माननीय ओम प्रकाश जी द्वारा प्रस्तावित विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। वाराणसी मंडल में भी एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो जिससे सम्बद्ध कालेजों को सहायता प्राप्त हो सके। काशी में तीन विश्वविद्यालय हैं। एक काशी विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना स्वर्गीय श्री महामना मालवीय जी ने की थी।

श्री अध्यक्ष—

आगा जैदी जी इस प्रकार आप सामने आ जाते हैं, यह ठीक नहीं है।

श्री लोकपति—

दूसरा विश्वविद्यालय था वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय और इस नीयत से उसकी स्थापना हुई थी कि संस्कृत की शिक्षा दी जाय और तीसरा काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई और यह इसलिये बनाया गया क्योंकि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उसका बड़ा योगदान रहा है। इन तीनों में से किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह वहां के किसी कालेज को मान्यता दे सकें। वाराणसी मंडल के अन्तर्गत कालेजों को गोरखपुर विश्वविद्यालय से अपने को सम्बद्ध करना पड़ता था। गोरखपुर विश्वविद्यालय ने यह प्रतिबन्ध लगा दिया है कि भविष्य में अब किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय को मान्यता नहीं देंगे तो इसका अर्थ यह है कि वाराणसी मंडल में कोई महाविद्यालय नहीं हो सकता है। इस बात को मद्देनजर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रखते हुये इसकी आवश्यकता थी कि वहां पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो जो इसकी पूर्ति कर सके। जौनपुर इसलिये उपयुक्त समझा गय ताकि वाराणसी मडल ही नहीं अपितु फैजाबाद और गोरखपुर भी इससे लाभान्वित हो सकें। वहां पर जो महाविद्यालय है उसका प्रारूप एक विश्वविद्यालय की तरह से है। इसलिये उसका ज्यादा भार भी नहीं पड़ेगा। अतः इन शब्दों के साथ मैं माननीय ओम प्रकाश जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री त्रिवेनी (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र माननीय ओम प्रकाश जी को धन्यवाद देता हूं कि वे पूर्वांचल के लिये वहां पर यूनिवर्सिटी का बिल लाये है। श्रीमन्, मुझे यह कहना है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का क्षेत्रफल सवा दो करोड़ का है और उसमें 122 महाविद्यालय हैं। 122 महाविद्यालयों को गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिये कंट्रोल करना बहुत असम्भव है। इस प्रदेश में 9 करोड़ की आबादी में कुल 11 यूनिवर्सिटीज हैं और अकेले गोरखपुर यूनिवर्सिटी सवा दो करोड़ की आबादी की हैं। इसके साथ ही मैं आपका ध्यान आजमगढ़ जनपद की ओर दिलाना चाहता हूं कि वहां पर 12/13 डिग्री कालेजेज हैं और 29 लाख की वहां पर आबादी है। पूर्वांचल में सिबली नेशनल कालेज है। इसे हर व्यक्ति जानता है कि वह एक इस्टेबलिस्ड कालेज है। उसके सम्बंध में भी कई प्रार्थना-पत्र दिये गये और यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन से भी कहलाया गया कि उसे यूनिवर्सिटी का रूप दे दिया जाय। वहां पर हर चीज मौजूद है। इसी प्रकार जौनपुर में एक तिलकधारी कालेज है। उसकी हैसियत भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी अच्छी है और वह भी यूनिवर्सिटी बन सकती है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे यहां बनारस में 2/3 यूनिवर्सिटी काशी विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ तथा एक बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी हैं। लेकिन ये तो पूरे भारतवर्ष की चीज है अकेले पूर्वांचल की यूनिवर्सिटी हम इन्हें नहीं कह सकते। ये तो नेशनल विश्वविद्यालय है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के नाम पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो मैं जो नान-आफीसियल बिल पेश किया गया है उसका जोरदार समर्थन करता हूं और आपक माध्यम से सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ और जौनपुर के बीच भी वह एक यूनिवर्सिटी हमको दे ताकि वहां की जनता की मांग भी पूरी हो सके।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय ओम प्रकाश जी को अपने प्रस्ताव क लिए गोरखपुर के समर्थन की आवश्यकता थी और इसीलिये मैं खड़ा हो गया हूं। मैं उनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं इसमें कोई आक्षेप की बात नहीं समझता कि गोरखपुर विश्वविद्यालय पर बोझ अधिक है और जितना बोझ है उसे हम लोग भी नजदीक में रहकर समझते हैं। कई बार मुझे भी बाहर के लोगों के साथ सिफारिश में वहां पर जाना पड़ा है और वहां उनको कठिनाइयों को मैंने महसूस किया है कि वहां पर नजदीक इस प्रकार का एक विश्वविद्यालय खुल जाय। क्योंकि जितने महाविद्यालय हैं वे काफी दूर पड़ते हैं।

(इस समय 12 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय, पीठासीन हुए।)

यह एक अच्छी बात है, और इसे प्रसारित करने से लोगों की जो भावनायें और इच्छायें हैं, उनका भी समावेश करने का मौका मिलेगा और उन्हें जानकारी भी हो जायेगी। इसके साथ वह भी जिक्र कर देना चाहता हूं, जो काशीनाथ मिश्रा ने गोरखपुर का जिक्र किया था तो वह भूल गये उसे जो प्रि-हिस्टारिकल पीरिएड है, ईसा से पूर्व 2–3 सौ वर्ष का इतिहास है और ईसा के बाद के जो 2–4 सौ वर्षों का इतिहास है, उसमें

---

* वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मधुकर दिघे]

उसके अलावा जो पूर्व मध्ययुगीन इतिहास है, उसे वह भूल गये हैं। ऐसा मुझे मालूम पड़ता है उनका मध्ययुगीन इतिहास से ज्यादा प्रेम रहा है अतः उन्हें जौनपुर ज्यादा याद है। गोरखपुर का भी अपनी जगह पर विशेष महत्व है, उसकी एक परम्परा है और महत्ता है। गोरखपुर ऐसी जगह पर है (स्ट्रेटिजिक), उसकी जो आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति करके सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं जहां श्री ओम प्रकाश जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, वहां जानकारी के उद्देश्य से यह भी कह देना चाहता हूं, पुनः उनके प्रस्ताव का समर्थन करके अपने स्थान को गृहण करता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, भाई ओम प्रकाश जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर विधेयक, 1974 का, मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं इसका समर्थन क्यों करता हूं? क्योंकि जौनपुर, बनारस शहर और जिले के जितने भी कालेज हैं और मिर्जापुर के भी कुछ कालेज हैं उन सबका सम्बन्ध गोरखपुर यूनिवर्सिटी से है और आए दिन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा लोगों को मान्यता लेने के लिए, ब्लाक्स खोलने के लिए भी काफी दौड़ना पड़ता है। काफी परेशानी लोगों को होती है। दूसरे यह भी एक पहलू है कि वहां कोई यूनिवर्सिटी न होने की वजह से जो 4–5 जिलों के बच्चे हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पर सरकार की तरफ से यह कहा जा सकता है कि जौनपुर के सरहद पर ही बनारस है और वहां तीन-तीन यूनिवर्सिटियां हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये कहने के लिए ही हैं। मान्यवर, जो माननीय त्रिवेणी राय जी ने जिसका जिक्र किया काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, संस्कृत यूनिवर्सिटी और काशी विद्यापीठ, इनसे आपका नजदीक का सम्बन्ध है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय नहीं हैं। ये पूरे देश के विश्व-विद्यालय हैं और इनमें पूरे देश के छात्र आ करके पढ़ते हैं। हर कालेज में उनका दाखिला होता है। हम जब इस दृष्टि से विचार करते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इन पूर्वांचल के जिलों के लिए एक यूनिवर्सिटी की तत्काल अति आवश्यकता है।

श्रीमन्, जौनपुर का जो तिलकधारी डिग्री कालेज है, वह अपने आप में बहुत बड़ा कालेज है माननीय त्रिवेणीराय जी ने आजमगढ़ जनपद के जिस कालेज का जिक्र किया वह भी बड़ा है, लेकिन यह उससे भी बड़ा है। आजमगढ़ सरहद पर है, बनारस सरहद पर है और गाजीपुर भी सरहद जौनपुर के है और बलिया से भी रूट है जौनपुर का। इसके अलावा सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और फैजाबाद को भी इससे फायदा होगा। जौनपुर सबसे ज्यादा अच्छी जगह पर स्थित है। अगल-बगल के 8–10 जिलों को इससे लाभ होगा। इसलिए मैं ओम प्रकाश जी के बिल का, जो बहुत ही सामयिक है, जिसका औचित्य है, समर्थन करता हूं और इसका औचित्य भी है। इसलिए मैं ज्यादा तर्क न देकर सरकार से यही कहना चाहता हूं कि जब सरकार ने इस औचित्य को मान लिया है, सिद्धांत में, कि एक-एक रीजन में हम एक विश्वविद्यालय खोलेंगे, तो सरकार इस गम्भीर प्रश्न के ऊपर गम्भीरता पूर्वक विचार करे और जो आठ-दस जिलों की मांग है, उस मांग को सरकार पूरा करे। जौनपुर में ही तिलकधारी डिग्री कालेज है, वह सबसे अच्छी जगह है, बहुत बड़ा कालेज है, उसके पास बहुत जगह भी है, और जगह उपलब्ध करायी जा सकती है, मैं समझता हूं कि यही सेंटर होगा फैजाबाद के लिये, सुल्तानपुर के लिए, प्रतापगढ़ के लिए, बनारस के लिये, और गाजीपुर के लिये, बलिया के लिये। इसलिये मैं बहुत ही मजबूती के साथ जौनपुर के लिये ही चाहता हूं। सरकार इसके ऊपर गम्भीरता से विचार करे। जौनपुर का तिलकधारी कालेज है उसी को यूनिवर्सिटी का रूप देकर सरकार जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी खोले ताकि जो गोरखपुर की यनिवर्सिटी के ऊपर बोझ है, बहुत बड़ा बोझ है, इतना बड़ा बोझ है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी

उसको ढोने में असमर्थ है। वह अपनी जिम्मेदारी को पूरी करने की हैसियत में नहीं है न वह पूरी कर ही रही है। इसलिये मैं चाहता हूं कि उससे सम्बन्धित जो कालेज हैं चाहे जौनपुर के हों, या गाजीपुर के हों, बनारस के हों इन सबको तिलकधारी डिग्री कालेज को यूनिवर्सिटी का रूप देकर, सब को मिला कर उनसे सम्बन्धित करना चाहिये और जौनपुर एक यूनिवर्सिटी पूर्वान्चल जिलों के लिये खोलना चाहिए। इन शब्दों के साथ में अपनी बात खत्म करता हूं और माननीय ओम प्रकाश जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूं।

*श्री प्रभुनारायण (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, जो प्रस्ताव श्री ओम प्रकाश जी ने रखा है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर विधेयक, 1974 जनता की राय जानने के प्रयोजन से 3 मास के लिए परिचालित किया जाय, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज पूर्वांचल विश्वविद्यालय के रूप म जौनपुर का शब्द भी इस विधेयक के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे पूर्वांचल में, गोरखपुर कमिश्नरी, और वाराणसी कमिश्नरी के जिले आते हैं। गोरखपुर क विश्वविद्यालय पूर्वांचल में ही स्थित है। यह ठीक है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय की मांग को अड़ी करके, इसका मतलब यह नहीं है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के सिलसिले में कोई ऐसी बात हो जिससे गोरखपुर विश्वविद्यालय पर कोई असर पड़े। आप भी इससे अवगत हैं कि शिक्षा का प्रसार दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय देश को आजादी मिली और पहली कांग्रेस हुकूमत आयी तो बाबू सम्पूर्णानन्द शिक्षा मंत्री थे। हमें अच्छी तरह से इस बात की जानकारी है कि जिस ढंग से शिक्षा का प्रसार उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर किया आज आवश्यकता इस बात की है कि हर गृहणी को उच्च शिक्षा की स्थिति में पहुंचाया जा सके इस स्थिति में शिक्षा का प्रसार तो बढ़ेगा ही इसलिए ऐसा कोई रास्ता सोचना पड़ेगा जिसमें हम पूरी तरह से जो शिक्षा का विस्तार हो रहा है, जिसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर सकें।

आज गोरखपुर विश्वविद्यालय से जो कालेजेज संबंधित हैं उनकी संख्या करीब-करीब 125–130 आती है। यह जानकारी मुदालियर कमीशन और राधाकृष्णन कमीशन ने दी। इन शिक्षाविदों की देखरेख में इन कमीशनों ने काम किया। राधाकृष्णन कमीशन ने स्पष्टतः कहा है कि 30 से अधिक महाविद्यालय किसी विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं होने चाहिये। मुदालियर कमीशन ने तो कहा है कि 30 से अधिक नहीं होने चाहिए। ऐसी दशा में गोरखपुर विश्वविद्यालय ने जैसा कि प्रस्ताव पास किया है कि यूनिटरी विश्वविद्यालय के रूप में इसको होना चाहिये। यदि हम इस प्रस्ताव को लागू न भी करें तो आज इस विश्वविद्यालय से इतने महाविद्यालयों का संबधीकरण हुआ है कि जिसको संभालना इसकी शक्ति में नहीं रह गया है। यह यूनिटरी विश्वविद्यालय रहे या न रहे और एफीलियेटिंग विश्वविद्यालय रहे तो भी इतने महाविद्यालयों को क्षमता क साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन का कार्य तथा मान्यता का कार्य नहीं कर पायेगा। ऐसी स्थिति में दूसरे विश्वविद्यालय की आवश्यकता है जो एफीलियेटिंग विश्वविद्यालय होना चाहिये। जो एफीलियेटिंग का काम कर सकें।

मान्यवर, सरकार के सामने व्यय का प्रश्न आता है। यह प्रश्न आता है कि किसी विश्वविद्यालय के खोलने के लिये खर्चा इंवाल्व्ड है। लेकिन जौनपुर विश्वविद्यालय या कोई भी स्थान नियत हो, आजमगढ़ की ओर संकेत हुआ, लेकिन इस पर बहस शुरू नहीं की और कहा कि कहीं भी खुले, लेकिन पूर्वी क्षेत्र में खुले।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

आजमगढ़ तो गोरखपुर डिवीजन में है।

श्री प्रभु नारायण—

जी हां। मैं कहना चाहता हूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के साथ-साथ एफीलियेटिंग विश्वविद्यालय की आवश्यकता है और ऐसी शिक्षाविदों की राय रही है। ऐसी स्थिति में यह कहां हो, इस प्रश्न पर जब हम इस विधेयक को प्रसारित करेंगे तो बहुत सी राय आयेंगी। लेकिन आज ऐसे विश्वविद्यालय की आवश्यकता है जिसमें कम पैसा लगे और शिक्षा का कार्य ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सके। सरकार की वित्तीय स्थिति की हमें जानकारी है। आज एफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है, भले ही वह टीचिंग यूनिवर्सिटी न हो और परीक्षा और शोध का कार्य कर सके और कारसपांडेंस कोर्स चला सके। इस तरह के विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। इस समय पैसे की कमी है इसलिये टीचिंग यूनिवर्सिटी न रखें लेकिन एफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी रखें जो, संबंधीकरण के शुल्क और परीक्षा शुल्क से इतना पैसा आ जायगा कि थोड़े पैसे से काम कर सकेगा। ऐसी यूनिवर्सिटी के खोलने के प्रश्न पर सोचने विचारने की आवश्यकता है।

बहुत दिनों से यह बहस रही है रजीडेंशियल टाइप यूनिवर्सिटी अच्छी बात है और यह शिक्षा क्षेत्र में ज्यादा कार्य करती है। यूनिटरी और जुडीशियल यूनिवर्सिटी की बहुत बहस हो चुकी है। शिक्षा के प्रसार के सम्बन्ध में एफीलिएटिंग यूनिवर्सिटी, जहां पर शोध कार्य भी हो, की बड़ी आवश्यकता है। हर डिवीजन को इनकी आवश्यकता है।

मान्यवर, यह बात कहने की हो सकती है कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय या संस्कृत विश्वविद्यालय या काशी विद्यापीठ में क्षात्रों की इतनी संख्या रही है कि यह एफीलिएटिंग विश्वविद्यालय के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। काशी विश्वविद्यालय में 10 हजार, 15 हजार विद्यार्थियों की संख्या है जो एफीलिएशन का कार्य क्या अपने को ही संभाल नहीं पायेगा। उसकी एक विचित्र परम्परा रही है। संयुक्त विश्वविद्यालय का खास उद्देश्य भाषा के माध्यम से शिक्षा को आगे बढ़ाना है। पूर्वी जिलों में एफीलिएटिंग विश्वविद्यालय की बड़ी आवश्यकता है। इस सिलसिले में ओम प्रकाश जी ने मिर्जापुर का नाम लिया और श्री त्रिवेणी सहाय ने आजमगढ़ का संकेत किया उन्होंने नाम तो नहीं लिया। हमारे मित्र ओम प्रकाश जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह जौनपुर जिले में विश्वविद्यालय खोलने के लिए रखा है। जौनपुर में जो कार्य हुआ है विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में उसके बारे में उन माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं जिन्होंने इसे जाहिर की है कि वहां विश्वविद्यालय होना चाहिए। जौनपुर के लोगों ने विश्वविद्यालय का कार्य आरम्भ कर दिया है। विश्वविद्यालय के लिए जौनपुर का स्थान बड़ा मुकम्मिल स्थान है। टी० डी० कालेज उसका सेन्टर होगा। लेकिन वह इस समय बड़ी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। वहां पर झगड़ा है। उस झगड़े का अन्त होना चाहिए। जिन लोगों ने टी० डी० कालेज को बनाया है उसकी स्थिति को देखते हुए सरकार को उसमें सुधारने का प्रयास करना बहुत जरूरी है। राजनीति तो हर जगह है, लेकिन राजनीति करते हुए यह देखना पड़ेगा कि जो अच्छा कार्य कर सकते हैं उनको सहायता दिया जाना चाहिए, उनको मदद पहुंचाना चाहिए। आज उसकी जो शक्ल बिगड़ रही है उसको बचाना चाहिए। टी० डी० कालेज विश्वविद्यालय की कल्पना है, उसको पूरा करना चाहिए। अगर सरकार के पास विसाय साधन कम हैं तो उसे अभी एफीलिएटिंग यूनिवर्सिटी के रूप में ही मान्यता दे और जब उसके वित्तीय साधन ठीक हो जाये तो टीचिंग यूनिवर्सिटी के रूप में विचार करे। एफीलिएटिंग और शोध कार्य के रूप में पूर्वांचल को विश्वविद्यालय की बड़ी आवश्यकता है। इस विधेयक को जनता की राय के लिए जाना चाहिए जिससे सही मान में पूर्वांचल की जनता की राय से सदन के सामने आ सके

*श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, श्री ओम प्रकाश जी द्वारा जो एक प्रस्ताव लाया गया है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के संबंध में, उसका मैं स्वागत करता हूं और उसके समर्थन में मुझे निवेदन यह करना है अधिष्ठाता महोदय, कि पूर्वी जो जिल है जैसे कमिश्नरी गोरखपुर, कमिश्नरी वाराणसी, ये जिले शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ जिले हैं और इन्सान की जितनी आवश्यकताएं होती है उनमें शिक्षा सबसे बहुत जरूरी चीज है। इस चीज को देखते हुए हमशा पूर्वी जिले के लोग यह धारणा बनाये रखे हैं कि शिक्षा के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं, विश्वविद्यालय होना चाहिए। प्रश्न यह है कि जैसे कमिश्नरी गोरखपुर में गोरखपुर विश्वविद्यालय है, वाराणसी में वाराणसी विश्वविद्यालय है, इससे शिक्षा की पूर्ति असम्भव है। बीच में जितने जिले पड़ते हैं इनके बीच में इतनी दूरी और इतनी जनसंख्या पड़ती है कि दोनों विश्वविद्यालयों में खपत मुश्किल हो गई है। इस दृष्टि से जौनपुर में विश्वविद्यालय खोलना चाहिए।

इस प्रस्ताव का हम स्वागत करते हैं कि सरकार इस जौनपुर के विश्वविद्यालय को खोले और कुछ इसमें प्रगति लाये। जैसा कि हमारे माननीय त्रिवेणी राय जी ने कहा कि जौनपुर विश्वविद्यालय होता है तो हमको आशा है कि गोरखपुर कमिश्नरी में आजमगढ़ विश्वविद्यालय भी हो सकता है। तो हम तो उसका स्वागत करते हैं। जिसके लिए पूर्वी जिले तरसते हैं, अगर इस तरह की सुविधा हो जाय तो हमारे पूर्वी जिल का उद्धार हो जाय। एक बात श्रीमन, बहुत जरूरी है कि मैं माननीय मंत्री महोदय स कहना चाहता हूं, आज माननीय शिक्षा मंत्री जी नहीं है, लेकिन पाण्डेय जी मौजूद हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप तो पूर्वी जिले की स्थिति के बारे में जानते ही हैं कि 26-27 साल की आजादी मिलने के बाद भी पूर्वी जिले के लोग आज तक शिक्षा के मामले में जितना बढ़ना चाहिए बिलकुल बढ़ नहीं पाये हैं बल्कि वाराणसी विश्वविद्यालय के मामले में मुझे कहना है कि उस विश्वविद्यालय से दूर-दूर के लोगों ने लाभ उठाया है। लेकिन पूर्वी जिले के लोग पिछड़े हैं वहां के लोग गरीब हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से पूर्वी जिले की भोजन की समस्या, कपड़ की समस्या, मकान की समस्या के बारे में कहना चाहता हूं। मान्यवर, जब आप इन सब पूर्वी जिलों की समस्यायें नहीं ठीक कर सके, वहां की बीमारी की समस्या को नहीं ठीक कर सके। बीमारी पड़ने पर वहां पर दवा आदि की व्यवस्था नहीं कर सके, तो बच्चों की शिक्षा को दृष्टि में रखते हुए पूर्वी अचल में जो प्रस्ताव विश्वविद्यालय खोलने का है, उसे ही कर दीजिए। इन शब्दों के साथ मैं इस श्री ओम प्रकाश जी द्वारा लाये हुए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि इस विश्वविद्यालय को खोलने के लिए मैं स्वागत करता हूं।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि मुझे आपने बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं आज आपके सामने जो हमारे आदरणीय सदस्य, विधान सभा, श्री ओम प्रकाश जी श्रीवास्तव ने प्रस्ताव आपके समक्ष पेश किया है कि जौनपुर में विश्वविद्यालय खोलने की योजना बनाई जाय, तो मैं उसका पूर्णतया समर्थन करती हूं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज इतने दिनों के बाद विरोधी पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी ने दोनों ने राजनैतिक भावना से ऊपर उठकर उन्होंने इस प्रस्ताव का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। यह इस बात का सबूत है कि हमारा देश प्रजातंत्र के मार्ग के उसूलों को समझता है, उनमें आस्था रखता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी]

है और उन्हीं आदर्शों के लेकर आगे कदम बढ़ाना चाहता है। यह हमारे भविष्य के लिये एक बहुत ही शुभ लक्षण है और इसके लिये मैं माननीय ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी को मुबारकबाद देती हूं कि उन्होंने ऐसा प्रस्ताव पेश किया कि जिसने दो दिलों को मिला दिया। मैं विशेषकर महिलाओं की ओर से माननीय ओम प्रकाश जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। यद्यपि सभी माननीय सदस्यों ने इनके प्रस्ताव का समर्थन किया लेकिन मैं समझती हूं कि इसमें कुछ कमी रह गयी है। कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होगा जब तक कि उसमें महिलाओं का स्पर्श नहीं होता। इस भावना को लेकर यह जो यज्ञ की शुरुआत है, उसमें छोटी सी आहुति के रूप में मेरे 2 शब्द समर्पित हैं। स्त्रियों के लिये यह शुभ लक्षण है क्योंकि तमाम तरफ से छात्राओं की समस्या उठी है। और वह यह है कि लखनऊ में रहने वाली बालिकायें गोरखपुर जाकर नहीं पढ़ सकती हैं। लड़का जा सकता है तो उनके लिये लोकल इन्सटीट्यूशन्स का होना नितांत आवश्यक है। महिलाओं में शिक्षा की प्रगति तभी हो सकती है जब कि उनके लिये लोकल इन्स्टीट्यूशन्स हों आप तभी उनको अंधकार से ऊपर उठा सकते हैं। मैं समझती हूं कि जब तक महिलाओं मे शिक्षा का प्रसार नहीं होता जब तक महिलायें शिक्षित नहीं होंगी, आपका देश उन्नति नहो कर सकता है।

आजादी प्राप्त करने के बाद हमारी सरकार ने शिक्षा की ओर खासतौर से ध्यान दिया है लेकिन जितना ध्यान देना चाहिये था उतना नहीं दिया गया। मुझे सोवियत रूस में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने वहां पर शिक्षा के तरीके को देखा ओर आश्चर्य में पड़ गई। सबसे बड़ी उन्नति का कारण जो मुझे वहां जाकर देखने को मिला वह यह था कि वहां पर क्रांति के उपरान्त लेनिन ने रूस में शिक्षा का प्रसार किया और प्रत्येक मनुष्य को शिक्षित करने का प्रयास किया। इस विषय पर वहां की सरकार ने सबसे ज्यादा अहमियत दी और पूरे रूस में विश्वविद्यालयों और विद्यालयों और स्कूलों का जाल सा बिछा दिया लेकिन एक बात करने की जरूरत है जिसको हमें फालो करना चाहिये और उसकी ओर में सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूं। वह देश एक विस्तृत देश है, इतने वहां पर प्रोविन्सेज है, और इतने विश्वविद्यालय हैं लेकिन उसकी शिक्षा का सिस्टम बिल्कुल यूनीफार्म है। यह बात और है कि उजबेगिस्तान में उजबेकी भाषा में पढ़ाई होती है और ताजिकिस्तान में ताजिकी भाषा में शिक्षा होती है लेकिन वह चाहे किसी भी भाषा में हो, किसी भी प्रोविन्स में हो वा मास्को में हो, पढ़ाई का स्टेन्डर्ड यूनिफार्म होता है। इसी प्रकार से हमारे देश में जब तक शिक्षा का स्टेन्डर्ड यूनिफार्म नहीं होगा तब तक इम्मोशनल, इन्टेग्रेशन, पूरे देश को एक सूत्र में बांधना कठिन होगा। इस बात का हमको ध्यान रखना होगा कि शिक्षा में पर्याप्त यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। जब हम आजाद हुए तो मुश्किल से 4–5 यूनिवर्सिटीज थीं अब खुशकिस्मती से 11 हैं, लेकिन मैं समझती हूं 11 भी बहुत कम हैं। हमारे शिक्षक और छात्र का अनुपात एक और 10 का होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 1 और 14 का हो इस प्वाइंट आफ व्यू से देखें तो 9 करोड़ जनता है उसके लिहाज 11 यूनिवर्सिटीज बहुत कम हैं। बहुत खुशी की बात है कि हमारी सरकार ने निश्चय किया है कि हर डिवीजन में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, लेकिन मैं देखती हूं कि जमाना बड़ी तेजी से आ रहा है गंगा की धार की तरह से अगले साल क्या हो कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं समझती हूं 5 साल बाद शायद यह जरूरत हो कि एक डिवीजन में दो यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। मैं लखनऊ के बारे में जानती हूं कि एक विश्वविद्यालय है और उसके अन्तर्गत कई एफीलिएटेड कालेज हैं, लेकिन शिक्षा का जोर इतना बढ़ रहा है,

और शिक्षा की तरफ इतने ज्यादा लोग जा रहे है कि इतने आदमियों को संभालना हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए कठिन हो रहा है ।

यह जो हमारी यूनिवर्सिटीज में इतनी अनुशासनहीनता है, इसके कई कारण हैं, जिनके ऊपर मैं जाना नहीं चाहती क्योंकि उसका कोई इससे सम्बन्ध नहीं है, लेकिन एक कारण यह है कि हमारी यूनिवर्सिटीज के ऊपर हमारी बढ़ती हुई छात्रों की जनसंख्या का बहुत बोझा पड़ रहा है । उसमें रिलीफ देना है, डिसेंट्रलाइजेशन करना है । इसी तरह से गोरखपुर की समस्या है, वहां लखनऊ यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा बोझ है । इसलिए जौनपुर में अगर एक विश्वविद्यालय खुलता है तो गोरखपुर का बोझ कुछ कम हो जाता है । अगर ऐसा नहीं होगा तो वहां की एफिश्येंसी इतनी गिर जायगी कि आपको संभालना मुश्किल होगा । इसलिए बढ़ती हुई छात्र संख्या को ध्यान में रखकर बहुत जरूरी है कि जौनपुर में एक विश्वविद्यालय खोला जाय । बड़ी खुशी की बात है कि आज एक चपरासी का लड़का भी मानेकशा बनना चाहता है एक किसान का लड़का सेठाना बनने का स्वप्न देखता है, एक चौकीदार का लड़का भी चाहता नेहरू बनने का सपना देखता है और एक झोपड़ी में रहने वाली लड़की इंदिरा गांधी बनना चाहती है । हमें इस बढ़ती हुई शिक्षा की इच्छा को पूरा करने के लिए जहां तक हो यूनिवर्सिटीज का अधिक से अधिक संख्या में खोलना पड़ेगा रही पैसे की बात । यह सही है, हमारे पास पैसे की कमी है । मैं पूछती हूं कि जब रूस में खूनी क्रांति हुई, वह अस्त-व्यस्त हो गया, बरबाद हो गया 1917 में उससे भी ज्यादा जितना कि यहां 47 में हुआ । लेकिन उन्होंने इतने आर्थिक संकट और परेशानियों में, इतने संघर्ष और बरबादी के बाद भी अपनी शिक्षा का प्रसार कैसे चन्द ही वर्षों में किया और कैसे इतना विकास किया ? तो जहां एक शुभ कार्य मनुष्य शुरू करने लगता है तो साधन भी जुट जाते हैं । हां, अशुभ कार्य के लिये साधन जुटाना मुश्किल होता है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

आप इतना लम्बा भाषण करवा रहे हैं, अगर सम्बन्धित विषय पर ही लोग बोलें तो अधिक बोल पायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि आपको ऐसा आरोप मेरे ऊपर नहीं करना चाहिये । सदन में ऐसे प्रस्तावों के ऊपर सामान्यतया समय जब निर्धारित हो जाता है तो बात दूसरी होती है । इस पर माननीय अध्यक्ष जी ने कोई सीमा निर्धारित नहीं की और न किसी माननीय सदस्य ने कहा कि इस पर कोई समय निर्धारित होना चाहिये । अगर आप चाहते हैं तो मैं समय तय कर देता हूं ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

वह संक्षेप में बात कहें ।

श्री अधीष्ठाता--

मैं आग्रह करूंगा कि आप जरा संक्षेप में कहें ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मैं संक्षेप में ही बात कह रही हूं । म माननीय सदस्य से पूछना चाहती हूं कि आप महिलाओं के प्रति इतने अनुदार क्यों हैं । कितने पुरुष बोले, कितना समय लिया । मने जो समय लिया उसका रेशियो देख लें ।

श्री अधिष्ठाता--

आप उनसे न उलझिये, आप विषय पर आइये ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

धन के लिए मैं यह कहना चाहती थी कि शुभ कार्य क लिए. . . .

श्री अधीष्ठाता--

यह आप कह चुकी है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

चाहे हमें कितनी ही कष्ट क्यों न हों लेकिन हम शिक्षा ग्रहण करके रहेंगे और हर व्यक्ति यहां पर शिक्षित होगा ऐसा हम चाहते हैं । इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी ने पेश किया है मैं उसका प्रान्त की महिलाओं की ओर से सम्पूर्ण रूप से समर्थन करती हू और इन महिलाओं में वह भी शामिल हैं जो आपके दलों से सबंधित हैं ।

श्री राज ब्रजराज सिंह (जिला लखीमपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने शिक्षा जैसे महत्व-पूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया मैं श्री ओम प्रकाश जी श्रीवास्तव द्वारा जौनपुर में विश्व-विद्यालय खोलने के लिये जनता की राय जानने के लिये विधेयक परिचालित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका हृदय से समर्थन करता हूं। आज चाहे इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों, दोनों सहमत हैं कि हमारे प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है और हमें शिक्षा के प्रसार एवं उसके उत्थान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो विश्वविद्यालय हमारे खुले हुये हैं वह यह कार्य पूर्ण रूप से कर नही पा रहे हैं । सरकार की नीति भी थी कि हर मंडल में एक विश्वविद्यालय को स्थापना अवश्य की जाय । बनारस मंडल में वैसे तो तीन विश्वविद्यालय हैं लेकिन उनसे कोई महाविद्यालय, यहां तक कि बनारस शहर के अन्दर जो महाविद्यालय खुले हैं वह भी उनसे संबद्ध नहीं है। बनारस डिवीजन के अन्दर एक ऐसी अनिवार्यता है कि एक विश्वविद्यालय ऐसे स्थान पर खोला जाय जो अन्य महाविद्यालयों को एक साथ जोड़ सके और उनका कार्यभार सम्हाल सके। इसके लिये जौनपुर से अच्छा स्थान और कोई नहीं होगा। श्रीवास्तव जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसका केवल इस पक्ष से नहीं, उस पक्ष से भी भारी समर्थन हुआ । राजनीति से परे हट कर हमें इस पर विचार करना चाहिये और शिक्षा के उत्थान और विकास के लिए जोर देना चाहिये। मेरे ख्याल से जौनपुर के अन्दर जो टी० डी० महाविद्यालय के ही समान है। वहां के विकास की स्थिति को देखते हुये, वहां के शिक्षा के स्तर को देखते हुये, यह कहा जा सकता है कि टी० डी० महाविद्यालय को एक विश्वविद्यालय बनाना अधिक उपयुक्त होगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय उस क्षेत्र के सभी जिलों में शिक्षा व्यवस्था को अच्छी तरह चलाने में सक्षम नहीं है और उसके ऊपर इतना अधिक भार होने के कारण जो शैक्षिक सुधार होना चाहिये वह नहीं हो पा रहा है । सरकार की यह नीति भी है कि हर मंडल में एक विश्वविद्यालय होना चाहिये । अतः जौनपुर में विश्वविद्यालय खोलने की मांग न्यायोचित ही है। सरकार को इस पर विचार कर शीघ्र उचित कार्यवाही करनी चाहिये ।

श्री बाबूलाल तिवारी (जिला झांसी)--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिये अवसर प्रदान किया । म अपने साथी ओमप्रकाश जी को भी इसके लिये बधाई देना चाहता हूं कि

उन्होंने यहां पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर विधेयक को पेश किया। जैसा माननीया बख्शी जी ने कहा, मैं भी उनके साथ हूं और आज का दिन बड़ा ही शुभ मानता हूं कि आज यह विधेयक इस सदन के सामने आया। मैंने यहां पर महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय भी उस दृष्य को देखा था जो यहां घटित हुआ, और आज जिस प्रकार के सद्भावनापूर्ण वातावरण को देख रहा हूं उसके लिये मैं माननीय ओमप्रकाश जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा विधेयक यहां पेश किया जिस पर कि कोई मतभेद नहीं है। मैं यही कामना करता हूं कि भविष्य में भी, उत्तर प्रदेश के विकास के लिये, ऐसी सद्भावना तथा एकता बनी रहे।

उत्तर प्रदेश में झांसी में भी एक विश्वविद्यालय की स्थापना की बात को स्वीकार किया गया है। मेरा निवेदन है कि यद्यपि हमारी भाषा हिन्दी है, मगर कई अन्य भाषायें हैं जसे भोजपुरी, मैथली, अवधी, बृज, बुन्देली आदि भाषाओं के प्रयोग तथा क्षेत्रों में प्रयोग होने वाले मुहावरों आदि के इस्तेमाल के लिये यह आवश्यक है कि उस क्षेत्र की जन भाषा, जन सस्कृति, जन कला तथा जन संगीत का विकास हो सके। इन शब्दों के साथ जो विधेयक यहां पेश है उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्दर शिक्षा के मामले में सरकार की ओर से उपेक्षा की नीति बरती गयी है। माननीय ओम प्रकाश जी ने इस विधेयक को लाकर विरोध पक्ष और सत्ता पक्ष में एक सद्भावना स्थापित होने की बात कही, लेकिन मेरा विश्वास है कि यह सरकार इसके बाद भी इसे मानने को तैयार नहीं होगी। सरकार की यह नीति रही है कि वह पूर्वी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा करे। बावजूद इसके कि यह कांग्रेस पक्ष से प्रस्ताव आया है, यह सरकार उसे मानेगी नहीं।

मान्यवर, यह विश्वविद्यालय जौनपुर में खुले, आजमगढ़ में खुले या कहीं भी उस तरफ खुले, खुलना चाहिये। मैं इस पक्ष में हूं कि यह आजमगढ़ में खुलना चाहिये क्योंकि पी० डी० कालिज के अन्दर आज जिस प्रकार की पार्टी बन्दी और उलझाव है उसे देखते हुये जौनपुर की अपेक्षा आजमगढ़ में यह विश्वविद्यालय खुलना चाहिये। मेरा निवेदन है कि जौनपुर के लिये हमारे अन्य साथी जिद्द न करें। इसके लिए मैं निवेदन करता हूं कि हमारे साथी बहुत जिद्द न करें क्योंकि आजमगढ़ जिला बीच में पड़ता है। उधर बलिया गाजीपुर जौनपुर और बेवरिया पड़ता है और इन सब के बीच में आजमगढ़ जिला पड़ता है। वहां शिबली डिग्री कालेज है जो टी० डी० डिग्री कालेज से कहीं अच्छी स्थिति में है।

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

श्री राम अधार हमेशा परिस्थितियों का लाभ उठाते हैं। (हंसी)।

श्री राम अधार—

इसलिये मैं चाहता हूं कि आजमगढ़ में यह विश्वविद्यालय बने क्योंकि जौनपुर से आजमगढ़ एक अच्छी जगह है। अगर आजमगढ़ में न बन सके तो जौनपुर में ही बन जाय लेकिन पहले उसके लिये सरकार तैयार तो हो। मुझे मालूम हुआ है कि इस के लिये सरकार तैयार नहीं है और मुझे यह भी मालूम हुआ है कि सरकार की तरफ से दबाव डाला जा रहा है कि माननीय सदस्य इस विधेयक को वापस ले लें। लेकिन मुझे खुशी है कि कांग्रेस के लोग भी तैयार है कि पूर्वांचल में एक विश्वविद्यालय खोला जाय। फिर मैं कहता हूं कि इसके लिये आजमगढ़ बहुत उचित जगह है। इसके साथ-साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम अधार]

विश्वविद्यालय खोलने के साथ अपनी शिक्षा नीति को बदलना होगा, क्योंकि जब तक आप शिक्षा नीति को नहीं बदलगे तब तक उससे कोई लाभ नहीं होने का। विश्वविद्यालयों के अन्दर जो सीमाबन्धी है उसको तोड़ना होगा। विश्वविद्यालन खोलने के सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव यह है कि इस तरह के विश्वविद्यालय खोले जायं जिससे बेकारों की संख्या न बढ़ने पावे और जब विद्यार्थी वहां से निकले तो उनको काम मिल जावे। जितना रुपया आप गढ़वाल व कुमायूं यूनिवर्सिटी खोलकर पहाड़ों पर खर्च कर रहे हैं, जब कि पंत नगर यूनिवर्सिटी पहले से है ही, उतना रुपया अगर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के लिये कर देते तो न केवल एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी बल्कि रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी खोल सकते थे। यह मैं नहीं कहता कि पहाड़ों पर शिक्षा की जरूरत नहीं है लेकिन आबादी के हिसाब से मैं नहीं समझता कि वहां इतना रुपया गढ़वाल यूनिवर्सिटी पर खर्च करने की जरूरत है। इन शब्दों के साथ में फिर कहता हूं कि आजमगढ़ एक सेंट्रेल स्थान पर है इसलिये यह यूनिवर्सिटी वहां खुले। सरकार अगर वहां नहीं खोलना चाहती तो जौनपुर में ही खोले लेकिन मेरे ख्याल से उचित जगह आजमाढ़ ही है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि आज का दिन बहुत सद्भावना पूर्ण है जब कि गवर्नर के भाषण के दिन एक अजीब दृश्य था। यह सही है कि आज हमारे अन्दर सद्भावना है लेकिन मैं माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि सरकार को चाहिये कि वह जन विरोधी नीति को छोड़ कर जनहित में काम करे। अगर सरकार जनहित में काम करेगी तो फिर विरोधी पार्टी को क्या जरूरत है कि उसका विरोध करे। लेकिन अगर सरकार ने अपना रुख नहीं बदला और बराबर वह जनविरोधी काम ही करती रही तो फिर हमारा वही रुख होगा जो गवर्नर के भाषण के दिन रुख था। इन शब्दों क साथ मै इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव जी ने जो जौनपुर विश्व-विद्यालय विधेयक उपस्थित किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। मान्यवर, मुझे बड़ी खुशी है कि आज सरकार की यह पालिसी है कि हर कमिश्नरी में एक-एक विश्वविद्यालय खोला जाय। वैसे तो वाराणसी में संस्कृत विश्व विद्यालय है, वाराणसी विश्व विद्यालय है लेकिन और जो महा विद्यालय हैं वे उससे सम्बन्ध या एफिलिएटेड नहीं हैं। इसलिये जौनपुर विश्व विद्यालय का खोला जाना बहुत आवश्यक है। बनारस कमिश्नरी में चाहे जितनी अच्छी कोई और जगह हो लेकिन जौनपुर में 14 डिगी कालेज हैं और करीब 100 से ज्यादा इंटरमीडिएट कालेज हैं। उन 16 डिग्री कालेजों में जो वहां का टी0 डी0 कालेज है वह इसके लिये सर्वथा उपयुक्त है। अभी श्री राम आधार राय जी ने कहा कि आजमगढ़ में यह विश्व विद्यालय खोला जाय। इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, ठीक है वहां खोला जाय लेकिन जहां तक डिवीजन की बात है, जो हमारी पालिसी है उसके हिसाब से मैं कहता हूं कि इसके लिये जौनपुर सर्वथा उपयुक्त जगह है।

मान्यवर, एक बात की ओर और मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। शिक्षा बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ऊंची शिक्षा भी बढ़ रही है। मेरी अपनी राय है कि ऊंची शिक्षा के लिये अच्छे स्कालर्स ही जांय। जो फर्स्ट क्लास हों, या कुछ ऐसा प्रतिबन्ध नम्बर का लगा दिया जाय जिससे ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिये वे ही लोग जायं। जो थर्ड क्लास हो या किसी तरह से रह कर पढ़ाई को जारी रखा जाय, यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अच्छे स्कालर ही यूनिवर्सिटीज में जांय। बाकी छात्रों को इंटरमीडिएट या नीचे ही रोक देना चाहिये और टेक्नीकल एजूकेशन या इसी तरह की कोई शिक्षा देनी चाहिये जिससे उनको रोजगार मिल सके। इस तरफ

सरकार को ध्यान देना चाहिये। तभी मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव बहुत उपयोगी होगा। मैं जानता हूं कि सरकार को परेशानी है, सरकार को आर्थिक कठिनाई है। यदि किसी वजह से सरकार वहां पर यूनीवर्सिटी उस समय खोलने में समर्थन हो तो इसको कुछ समय के बाद खोले जब सरकार को मौका हो तब खोले। इसलिये मेरा अनुरोध है कि वहां पर अवश्य ही विश्वविद्यालय खोले।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने हमें इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। इस विधेयक को सत्तापक्ष के माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी ने प्रस्तुत किया है। सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है कि करीब-करीब, सत्ता पक्ष और विपक्ष के हर सदस्य ने इसका समर्थन किया है। इसलिये इस पर विशेष बोलने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। मैं सिर्फ चंद बातें ही पेश करना चाहता हूं। वह यह हैं।

पूर्वी जिलों में, पूर्वांचल में टी0 डी0 कालेज ही एक सर्वोपरि कालेज हैं जहां करीब 4–5 हजार छात्रों की संख्या है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज चारों तरफ पूर्वी अंचल के छात्र शिक्षा लेने जाते हैं।

मान्यवर, शिक्षा के बारे में अभी हमारे भाई माता प्रसाद ने यह बताया कि शिक्षा सुलभ हो और शिक्षा में परिवर्तन किया जाय। यह बात तो बीसियों सालों से इस सदन में दोहरायी जा रही है। मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन एक बात कहना जरूर चाहता हूं कि शिक्षा का माध्यम कुछ भी हो पर शिक्षा हर जगह आसानी से सुलभ होनी चाहिये। मान्यवर, आज हजारों छात्र पूर्वी जिलों के, चाहे वह बलिया के हों, गाजीपुर के हों, या कहीं के भी हों बाहरी जिलों को पढ़ने जाते हैं। इस स्थिति को देखते हुय सरकार को ध्यान देना चाहिये कि जिस तरह से छात्रों को सुविधा हो, मैं चाहता हूं कि छात्रों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुये सरकार को उसी तरह से सुविधा प्रदान करनी चाहिये। सरकार चाहे विश्वविद्यालय जौनपुर में खोले या कहीं खोले पर छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये खोले।

मान्यवर, आज शहरों में बड़े-बड़े लोगों, अफसरों, शहरों के उद्योगपतियों, भू-स्वामियों और बड़े-बड़े मिनिस्टरों के लड़कों को ही शिक्षा सुलभ है। क्योंकि उनके पास अर्थ है, उनके पास पढ़ाई के साधन हैं। अभी हमारे भाई माता प्रसाद जी ने कहा कि स्कूलों में अच्छे स्कालर लड़के ही लिये जांय, पर उन्होंने यह नहीं कहा कि अच्छे स्कालर लड़कों की परिभाषा क्या है? अगर माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप विश्वविद्यालयों, कालेजों और स्कूलों में जांय तो देखेंगे कि शिक्षा कितनी महंगी हो गयी है। यह शिक्षा केवल बड़े-बड़े लोगों के के लड़कों को ही सुलभ हो सकती है। गांव के साधारण छात्र ऊंची शिक्षा नहीं पा सकते हैं, यद्यपि वह भी अच्छे नंबरों से पास होते हैं पढ़ाई में अच्छे होते हैं। कारण यह कि उनके गारजियन उनको आगे पढ़ाने के लिये असमर्थ हैं, उनके पास पैसा नहीं हैं। इसलिये वह उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

मान्यवर, इसी तरह से अगर जौनपुर विश्वविद्यालय खोला जाय तो आप देखेंगे कि बगल के जिलों के, जो किनारे के जिले हैं, जैसे प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, रायबरेली आदि जो नजदीक के पोरशन हैं, जैसे आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर वहां के लड़के वहां आसानी से पढ़ने जा सकते हैं। इसलिये वहां गांव के साधारण किसानों के छात्र जा सकते हैं। उस विश्वविद्यालय में जिनकी आय कम है, जिनके पास छोटी खेती है और जिनकी आय 500 रु0 से कम है उनके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

[श्री भगवती प्रसाद]

मान्यवर, इन बातों के साथ में आपके माध्यम से सत्ता पक्ष का ध्यान एक बात की ओर ले जाना चाहता हूं कि जब कभी कहीं और विधेयक आता है, और बातें आती हैं तो मान्यवर, सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि हर काम का विरोध विपक्ष के लोग करते हैं। परन्तु आज देखते हैं कि हम सब लोग एक मत के हैं। मैं सरकार का ध्यान उस तरफ भी ले जाना चाहता हूं कि पुलिस बजट में अधिक से अधिक धन खर्च करने की बात सरकार करती है लेकिन सबसे अधिक जरूरत स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि की है। यदि शिक्षा पर ध्यान दिया जाये तो हिन्दुस्तान शिक्षा में काफी आगे बढ़ सकता है। जबकि आई०ए०एस० और पी०सी०एस० के बच्चे शिक्षा विदेशों में प्राप्त करते हैं लेकिन गांव में सर्वसाधारण की शिक्षा जौनपुर, गोरखपुर, फैजाबाद में हो सकती है या पश्चिमी छोटे शहरों में जो विश्वविद्यालय हैं वहीं हो सकती है। इसलिये माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और इस बात की अर्ज करूंगा कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सभी लोग इसको पास करें जिससे विश्वविद्यालय खोला जाय।

*श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि आज पूर्वांचल विश्वविद्यालय के नाम पर सत्ता कांग्रेस के किसी सदस्य ने इतनी हिम्मत की कि वह यह प्रस्ताव रखा आज प्रदेश की वास्तव में जो स्थिति है और उसमें बैठे हुये यह सत्ता कांग्रेस के सदस्य सिवाय 'एस' के अलावा और बातें कहने के लिये तैयार नहीं होता है। मैं श्री ओम प्रकाश जी का आभारी हूं कि कांग्रेस की उन तमाम बातों को न सोचते हुये इस विधेयक को सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है।

मान्यवर, इसके अन्तर्गत पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर विधेयक, 1974 में जो उद्देश्य दिखाये गये हैं जिसमें प्रथम में विश्वविद्यालयों की संख्या लगभग 125 गोरखपुर में हो गई। उसके दो में कहा गया है कि चूंकि विश्वविद्यालय आयोग ने संस्तुति की है कि 50 विश्वविद्यालयों से अधिक का नियंत्रण एक विश्वविद्यालय नहीं कर सकता है इसलिये 50 से अधिक की संख्या उससे सम्बद्ध नहीं रहनी चाहिये। इसके साथ तीसरे में कहा गया है कि चूंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गठित गजेन्द्र गडकर समिति ने संस्तुति की है कि अधिक से अधिक 60 विद्यालय की देखरेख एक विश्वविद्यालय को करना चाहिये। इन सब बातों को देखते हुये एक नीति सरकार ने बनाई थी कि प्रत्येक मंडल के अन्दर और प्रत्येक कमिश्नरी के अन्दर एक विश्वविद्यालय खोला जाय। ऐसा मुझे लगता है कि वह वास्तव में सही है और वाराणसी मंडल के अन्दर जौनपुर के अन्दर एक विश्वविद्यालय का खुलना आवश्यक है। आज से पूर्व मैंने अपने भाषण में कहा था कि यह कांग्रेस के सत्ताधारी लोग मान्यवर, लखनऊ से दिल्ली के बीच में ही सारी निगाहें लगाते हैं। यदि इनकी निगाहें बैठती हैं तो वह लखनऊ और दिल्ली के बीच में ही सारा रुपया पैसा लगाते हैं और ऐशोआराम होता है। जो कुछ भी होता है वह लखनऊ के बीच होता है। लखनऊ से वाराणसी के बीच देखने का इस सत्ता कांग्रेस के सदस्यों को साहस नहीं होता। और जब कभी भी यह उठकर देखते हैं, नतीजा यह होता है कि आजमगढ़ से साफ हो गये, गाजीपुर से साफ हो गये, मिर्जापुर से साफ हो गये, वाराणसी से साफ हो गये। इसलिये अब यह उपेक्षित नहीं कर सकते।

यह जानते हैं कि जय प्रकाश नारायण जी का आन्दोलन कहीं पूर्व की ओर न आ जाय, इसलिये मजबूर होकर ओम प्रकाश जी ने यह प्रस्ताव सदन में उठाया है। अगर भी जयप्रकाश नारायण जी का आन्दोलन कहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ गया तो जो थोड़े से कांग्रेसी रह गये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है वह कहीं साफ न हो जायं, इस डर से सता कांग्रेस के लोगों ने यह विधेयक विश्वविद्यालय का जौनपुर में खोलने को लाये हैं। लेकिन उनकी मंशा पूरी नहीं हो पायेगी क्योंकि अगर उनसे कहा जायेगा कि वापिस ले लो तो वह वापिस भी ले लेंगे। विरोध पक्ष तो इससे सहमत है कि विश्वविद्यालय खुले। जौनपुर में टी० डी० कालेज है। उसको देखकर उसकी व्यवस्था को देखकर, उसी की बिल्डिग को देखकर इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि वह विश्वविद्यालय से कम होगा। इसके साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार आपने फैजाबाद विश्वविद्यालय का विधेयक पारित किया और श्रीमती इंदिरा गांधी से शिलान्यास करा देने के बाद, सब्जबाग दिखा देने के बाद, आप आगे कुछ करने वाले नहीं हैं क्योंकि पांच वर्ष से अधिक हों गया, वहां आपने आज तक कुछ भी नहीं किया। परिणाम स्वरूप साकेत विश्वविद्यालय के लड़के आन्दोलित हो उठे और आज वह विद्यालय अनिश्चितकाल के लिये बन्द हो गया है। सरकार की अपनी गलत नीतियों के कारण, शिक्षा नीति के कारण ऐसा हो रहा है।

इसके अतिरिक्त मेरी एक बात समझ में यह नहीं आती कि जिस प्रकार आपने माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को सरकारी खजाने से वेतन देना स्वीकार किया है। उसी प्रकार महाविद्यालय के अध्यापकों को सरकारी खजाने से वेतन देना स्वीकार क्यों नहीं किया। आज 27 वर्षों की आजादी के बाद भी शिक्षा के मामले में हम पिछड़े हुये हैं, केरल को देखियेजहां 3/4 लोग शिक्षित हैं। वहां पर हर चीज का विकास दिखाई पड़ता है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो भारत हृदय है, जिसने 27 सालों तक भारत को प्रधान मंत्री दिया, लेकिन आज तक वह पिछड़ा हुआ है। इन शब्दों के साथ मैं इतना ही कहना चाहता हूंउत्तर प्रदेश में शिक्षा के विकास के लिये आवश्यक है पूर्वांचल में एक विश्वविद्यालय खुले। गोरखपुर में एक विश्वविद्यालय है, लेकिन वह अधिक भार उठाने में असमर्थ है। अगर जौनपुर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है तो आस पास के जिलों में लगभग 3-4 करोड़ विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल हो जायेगा। अगर ऐसा न हुआ तो डर है कि वहां के लोगों को उत्तर प्रदेश से अलग होने की बात न सोचना पड़े। जो उन समस्याओं को देखत हुए जौनपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय और कांग्रेस के लोग भी सद्बुद्धि से काम लें और इसका समर्थन करें।

श्री ऊदल—

अब प्रश्न उपस्थित करें।

श्री अधिष्ठाता—

(श्रीमती श्यामा देवी के खड़े होने पर) आप बोलना चाहती हैं।

श्रीमती श्यामा देवी (जिला बस्ती)—

जी हां।

श्री ऊदल—

इनके बाद प्रश्न रख दें।

*श्रीमती श्यामा देवी—

आदरणीय अधिष्ठाता जी, माननीय ओमप्रकाश जी ने जो प्रस्ताव रखा है जौनपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में मैं उसका समर्थन करती हूं। जौनपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना होना बहुत जरूरी है क्योंकि पूर्वांचल में जिस तरह के घनी आबादी है और जिस तरह की गरीबी है तो वहां के छात्र लखनऊ या इलाहाबाद में अलग से जगह लेकर नहीं पढ़

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती श्यामा देवी]

सकते क्योंकि छात्रावासों में स्थानाभाव के कारण जगह नहीं मिलती। इसलिए और भी जरूरी है कि जौनपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय। आपको यह जानकर भी खुशी होगी की पूर्वान्चल का विद्यार्थी बहुत सीधा-सादा और विनम्र है। इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, विश्वविद्यालय के छात्रों नें तमाम बगावत की और इम्तिहान नहीं दिया जिसका कारण है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र आज भी परीक्षा दे रहे हैं और नियमों को तोड़ कर बगावत का झंडा लिए हैं। इन विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने हमारे गोरखपुर के विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को चूड़ियां भेजी थीं और नालायक घोषित किया था। इसलिए आवश्यक है कि जो सीधे सादे छात्र हैं उनके लिए पूर्वी इलाके में विश्वविद्यालय खोला जाय जिससे कि वे गलत लोगों के बीच में न पहुंचे। गोरखपुर विश्वविद्यालय अवश्य है लेकिन उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वह अपने यहां इतनी घनी आबादी को स्थान देकर शिक्षित कर सके। मान्यवर, मनुष्य और जानवर में यही भेद है। मनुष्य ज्ञानार्जन करके सारी चीजों को समझता है जब कि जानवर अज्ञान के कारण लड़ता है। हमारे पूर्वान्चल के लोग भी पिछड़े माने जाते हैं। आपस में लडते हैं। इस दृष्टि से भी आवश्यक है कि यहां विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय। एक शब्द फैजाबाद कृषि विश्वविद्यालय के बार में कहना चाहती है। उसकी घोषणा हो गयी किन्तु आज तक उसका कार्य संचालन नहीं हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता--

वह अलग चीज है। फैजाबाद विश्वविद्यालय की बात नहीं है।

श्रीमती श्यामा देवी--

इतना ही है कि उस पर कार्य शुरू किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं ओम प्रकाश जी द्वारा प्रस्ताव का ससर्थन करती हूं और आशा करती हूं कि पूरा सदन इसका समर्थन करेगा और सर्व समर्थित प्रस्ताव पर सरकार भी विचार करेगी।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव--

मान्यवर, मैं इस सदन के तमाम सदस्यों को विशेष रूप से उन सदस्यों को, जो कि इस प्रस्तावित विश्वविद्यालय के क्षेत्र के बाहर के हैं और जिन्होंने इसका समर्थन किया है, धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं सचमुच में आज इस बात से बहुत ही प्रभावित हूं कि यह जो नई असेम्बली आई है उसमें शायद यह पहला अवसर है जबकि एक भी वक्ता ऐसा खड़ा नहीं हुआ जिसने इस प्रस्तावित विधेयक का विरोध किया हो। इसी के साथ कुछ बातें कही गयी हैं (व्यवधान) इसमें कोई दो राय नहीं हैं जसा इस सदन के सभी माननीय सस्दयों ने कहा है पूर्वांचल में चाहे जौनपुर, मिर्जापुर, बलिया अथवा गाजीपुर हो किसी भी स्थान के लिये मेरा आग्रह नहीं है, यह विश्वविद्यालय खोला जाय। प्रश्न यह है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की जो स्थिति है उसको देखते हुए आज शिक्षा संस्थाओं से जो लोग भी सम्बद्ध हैं, थोड़ा बहुत भी ताल्लुक है वह यह जानते हैं कि उसके लिये यह अनमैनेजेबिल हो गया है कि वह जो सम्बद्ध कालेज हैं, इम्तिहान हैं, लड़कों के कल्याण की व्यवस्था है उसे करने में वह सक्षम नहीं है। इसको देखते हुए यह विधेयक मैंने दिया है। इसी के साथ में सरकार से विशेष रूप से यह आग्रह करूंगा शायद उनके मन में यह भ्रम हो कि इस विधेयक के बनने से सरकार के ऊपर कोई एडीशनल खर्चा पड़ने वाला है। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता था कि सदन में कोई इस तरह का प्रस्ताव पेश होने पर धन की बात कही जायगी।

यही नहीं मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने खुद अपने विभाग पर बोलते हुए यहां तक कहा था कि यह जो वित्त विभाग है यह एक सुपर गवर्नमेंट है जो मंत्रियों पर भी अपना मंत्रित्व चलाता है। ऐसी स्थिति में किसी भी स्टेज पर यह कहा जा सकता है कि यह जो विश्व-

विद्यालय बनने की बात कही जा रही है इस पर सरकार को एडीशनल खर्चा करना होगा। मैंने इस एमरजेंसी को समझते हुए जो हमारे यहां के शिक्षाविद् थे उनसे यह कहा था कि वह कृपया इस प्रस्तावित महाविद्यालय के लिये कम स कम दो वर्ष का बजट बना कर मुझे दें। मैं यह भी जानता था कि सरकार के पास साधनों की कमी है और इस कारण कम से कम इस वर्ष यह विश्वविद्यालय नहीं बन सकता। मेरे पास बजट की कापी मौजूद है। मैं संक्षेप में दो-तीन चीजे रखना चाहता हूं। लगभग 21 लाख रुपये का एक साल का इस पर खर्च आता है और उसका तखमीना इस प्रकार है। 4 लाख रुपया 20 एकड़ भूमि अध्याप्त करने में खर्च होगा। कुलपति की तनख्वाह 2 हजार रुपये माहवार, प्रवक्ताओं, सचिव, सहायक सचिव, रजिस्ट्रार आदि के वेतन का खर्चा होगा। यह सब खर्चा इस 21 लाख रुपये में जोड़ दिया गया है जो मोटे तौर से आता है। चार मदें आमदनी की हैं जो मैं सदन के सामने रख देता हूं ताकि सरकार का दिमाग साफ हो जाय कि उसे कोई एडीशनल खर्चा नहीं करना पड़ेगा। एनरोलमेंट फीस 4 रुपये प्रति विद्यार्थी और विद्यार्थियों की अनुमानित संख्या 25 हजार है। इस पर 1 लाख रुपये की आमदनी होगी। सम्बद्ध शुल्क प्रति महाविद्यालय 1 हजार रुपये। 50 महाविद्यालय पर 50 हजार रुपया की यह आमदनी होगी। इसी तरह से परीक्षा शुल्क 40 रुपये प्रति विद्यार्थी के हिसाब से, औसतन 5 हजार विद्यार्थी एक साल में बैठते हैं, बीस लाख रुपये की आमदनी इस अकेली मद से प्राप्त होगी।

यह मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के आंकड़ों के आधार पर बोल रहा हूं। इसके साथ ही साथ दूसरी जो रकमें प्राप्त होती हैं उसके लिये 5 हजार रुपये भी इसमें जोड़ दिये हैं। इस तरह से 25,550 रुपये होता है। अगर तुरन्त ही वहां पर विश्वविद्यालय बना दिया जाय तो कम से कम 2 लाख रुपये जो इसमें लगाये जाने हैं वह किसी दूसरी मद में खर्च किये जा सकते हैं।

जैसा कि मैंने शुरू में निवेदन किया और फिर उसे दुहराना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव बहुत ही सीधा-सादा है और मेरा यह मतलब नहीं है कि इसे तुरन्त आप पास कर दीजिये लेकिन इसका आशय यह है कि इसे जनता की राय जानने के लिये भिजवा दीजिये, शिक्षाविद् इस पर अच्छी तरह से सोच विचार करके वह फिर यहां पर आपके सामने आयगा। बहुत से भाइयों ने आजमगढ़ के बारे में कहा कि वहां पर तिलकधारी कालेज अकेला ही ऐसा कालेज है मेरे पास 1971 उसके आंकड़े हैं कि तब वहां पर 2823 लड़के स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त करते थे जबकि सिवली नेशनल कालेज में केवल 950 छात्र ही थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने जो यह रखा है वह किन्हीं तथ्यों के आधार पर ही रखा है। उसका जो भवन है, जमीन है, कैम्पस है उसको देखते हुये मैंने कहा था और फिर कहना चाहता हूं वाराणसी मंडल में विद्यार्थियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। सन् 70 तक गोरखपुर विश्वविद्यालय बन गया था लेकिन वहां पर बैठे हुये कुछ निहित स्वार्थ वाले लोगों ने स्नातकोत्तर कक्षायें खोलने की अनुमति नहीं दी। सन् 70 में जब राष्ट्रपति शासन हुआ तो तिलकधारी कालेज में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खुल सके, ऐसी मांग थी। इसके लिये उनके पास भूमि पड़ी हुई है, वातावरण भी बना हुआ है। जैसा मैंने अर्ज किया इस सदन में यह पहला मौका है, पुरानी एसेम्बली के बारे में तो मैं नहीं जानता किन्तु इस एसेम्बली के दो दर्जन से अधिक लोगों ने जो इस पर भाषण दिया, चाहे वे किसी भी पार्टी के लोग हों बिना पार्टी के भेद-भाव किये हुये इस न्यायोचित मांग का समर्थन किया है। इसलिये मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि जो विधेयक है इसे जनता की राय जानने के लिये तीन माह के लिये उसके बीच भेज दिया जाय, इसके लिये सदन स्वीकृति दे। वह फिर लौटकर यहां पर आयेगा। तब भी हम विचार करेंगे।

ुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

अधिष्ठाता जी, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के सम्बन्ध में जब कभी कोई प्रश्न उठता है तो उसके क्रांतिकारी स्वरूप के दर्शन मुझे पहले होते हैं और फिर कोई दूसरी बात उसके सम्बन्ध मे याद आती है। 1857 के मंगल पांडेय से लेकर 1942 के चित्तू पांडेय तक और उस भूमि के सारे जीवन दाताओं जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में जूझ कर अपने प्राणों की आहुति दे दी....

श्री अधिष्ठाता--

मान्यवर, अब्दुल हमीद की परम्पराओं के बारे में....

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

उस पर भी अभी आता हूं। स्वातंत्र्य संग्राम की जो परम्परायें रही हैं, वही एक इलाका रहा है जिसने अंग्रेजों की पराधीनता को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया और इसीलिये वह इलाका पिछड़ गया। जब उसके बढ़ाने की बात सामने आती है तो जी चाहता है कि उसमें अधिक से अधिक योगदान करें। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर खूब अच्छी तरह विचार देकर लेना चाहिए। सन् 47 के बाद भी अपना कीर्तिमान स्थापित करने में पूर्वांचल पीछे नहीं रहा। अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान की लड़ाई में वहां के टैंकों और सेबर-जेटों के तूफानी हमलों में अपने को झोंककर प्राणों की आहुति दी। गाजीपुर के निवासी उन अब्दुल हमीद के गांव और घर पर मैं गया था कांग्रेस की तरफ से, अपनी संवेदना के लिए नहीं, उस मिट्टी को सिर पर लगाने के लिए जिस मिट्टी में ऐसी वीर पैदा हुआ। तो यह सब बातें अपनी जगह पर हैं। उसका घनत्व भी अपनी जगह पर है और यह चीज भी अपनी जगह पर है और सही है कि उसमें भी लालसा है, कामना है नया चोला पहनने की। जब उसकी तरफ उस के प्रति कोई बात की है, तो कुछ विशिष्ट दलों ने हम पर यह लांछन भी लगाया कि हम उस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, उसके साथ कोई पक्षपात कर रहे हैं और दूसरे अंचलों की ओर कम ध्यान दे रहे हैं। फिर भी केवल उत्तर प्रदेश को ही नहीं पूरे भारत को पूर्वी अंचल का कर्जा उतारना है और हमें आशा है कि हम उसे उतारेंगे। लेकिन मैं इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि उस विश्व-विद्यालय के बनने से उस कर्ज को उतारने में मदद मिलती है तो 21 लाख क्या यदि हमें 1 करोड़ भी खर्च करने पड़े तो हम उसे करेंगे। क्योंकि हमारी दृष्टि बिल्कुल साफ है।

उत्तर प्रदेश के उस भूभाग को आगे बढ़ाना है तो जो प्रगति 1947 से अब तक हुई है उस पर हमें गम्भीरता से गौर करना है। उसके कारण जो कठिनाई पैदा हो गई, वहां पर जो नहरों और सड़कों ने वाटर-लागिंग की समस्या पैदा कर दी, घनी आबादी के बावजूद पशुधन में कोई फर्क नहीं है, नौजवान परेशान हैं रोजगार के लिए, उद्योग धन्धों की वहां कोई प्रगति नहीं है। इसका हमें कुछ निराकरण सोचना होगा। उस सबके लिए फी-एकड़ कैसे ज्यादे से ज्यादा पैदावार हो, रोजगार नौजवानों को कैसे उपलब्ध हो, छोटे उद्योगों की स्थापना का कैसे विस्तार हो, प्राकृतिक आपदाओं से कैसे अधिकाधिक उनकी सुरक्षा प्रदान की जाय इस तमाम बातों पर हमें गम्भीरता से विचार करना है और रास्ता निकालना है। यदि उस तरफ जाने में हमें विश्वविद्यालय मदद देता तो मैं ओमप्रकाश जी, जिनको मैं शुद्ध राजनीतिक व्यक्ति मानता हूं ऐड़ी से लेकर चोटी तक, क्योंकि वह अपनी नीतियों की कल्पना के आधार पर सारी बातें करते हैं, बिल के साथ न्याय करते हुए मुझे खुशी होती और मैं अपने विवेक से उसे अस्वीकार करने का साहस न कर पाता किन्तु वर्तमान स्थिति में जब उस दृष्टि से मैं इसे देखता हूं और अपने विवेक से विचार करता हूं तो उसमें ऐसा लगता है कि इस विश्वविद्यालय के बनने से कोई लाभ न होगा। इस समय वैसे हमारे प्रदेश में 14 विश्वविद्यालय हैं, 5 और बनने वाले हैं, आपके सामने जो विधेयक आया था और जिसको अपर हाउस में भेजा था, उसमें फैजाबाद विश्व-

विद्यालय को अवध यूनिवर्सिटी करने की मांग आई थी, उसको सरकार ने स्वीकार कर लिया है। उसको फिर सरकार आपके सामने लाना चाहती है ताकि बाकी यूनिवर्सिटी का कार्य हम तत्काल कर सकें। इसके एक छोटे से अमेण्डमेंट के कारण आना है। तो इस प्रकार कुल 19 यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी। पूर्वांचल में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? गोरखपुर में एक है। यह ठीक है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एफिलिएशन बहुत ज्यादा है और अब एफिलिएशन की गुंजायश बहुत कम है। उसका एक रास्ता है। एक यूनिवर्सिटी और बनाने जा रही है, जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी का बोझ हटा लेगी। पूर्व में इतना एफिलिएशन हुआ है कि एक दिक्कत हो गई है। वहां कुछ जगह 3–3, 4–4 मील पर डिग्री कालेज हो गये हैं। उनका बोझ उठाने का सवाल है हमारे सामने, लेकिन जो बनाये हैं, तो उनका बोझ भी उठाना ही पड़ेगा, लेकिन आगे हमें देखना है। फैजाबाद यूनिवर्सिटी बन जाने के बाद तमाम डिग्री कालेजों को––कितनों को ही गोरखपुर यूनिवर्सिटी में से निकाल कर उसमें कर देंगे।

गोरखपुर यूनिवर्सिटी को रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटी अर्थात् आवासीय विश्वविद्यालय करने की भी मांग हमारे सामने है। इसे अध्यापकों और एक्जीक्यूटिव कमेटी ने किया है। लेकिन जो उस विश्वविद्यालय से एफीलिएटेड कालेज हैं, डिग्री कालेजेज हैं, उनकी मांग है कि यह मांग नहीं मानी जानी चाहिए, हमें इस विश्वविद्यालय का हिस्सा रखो। फिर काशी विद्यापीठ को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। यह ठीक है कि वह एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी नहीं है, उससे कोई बोझ हल्का नहीं होगा। पर स्पष्ट है 50–60 कालेज की बात करते हैं, इतने तक एक यूनिवर्सिटी ऐफीलिएट कर सकती है। बनारस में केन्द्रीय सरकार का एक विश्वविद्यालय, हिन्दू विश्वविद्यालय मौजूद है। वहां संस्कृत विश्वविद्यालय मौजूद है और संस्कृत विश्वविद्यालय दोनों तरह का है, रेजिडेंशल और एफीलिएशन भी एक मानों में देता है। काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वहां बन गयी है। अब इसके बाद हम यह कहें कि जौनपुर में एक विश्वविद्यालय खोलें तो वह पूरा लाभ देने वाला नहीं होगा। हम इस बात पर विचार कर सकते हैं अगर डिग्री कालेजेज की संख्या भविष्य में सौ, डेढ़ सौ, दो सौ पहुंचने लगे तो गजेन्द्रगडकर कमीशन की सिफारिशों के अनुसार और इसके पहले राधाकृष्णन् कमीशन की सिफारिशें हैं, उसके हिसाब से वर्क लोड डिस्ट्रीब्यूट कर लें इन दो यूनिवर्सिटीज में, गोरखपुर और फैजाबाद यूनिवर्सिटी में बांटने की कोशिश करेंगे। काशी विद्यापीठ का राष्ट्रीय रूप है, क्षेत्रीय उसे मैं नहीं कहना चाहता, पर यह बात जरूर है और सच है कि उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः पूर्व के विद्यालयों की होती जा रही है। (व्यवधान) आपकी राय तो ठीक है। माननीय चतुर्वेदी जी मान्यवर, ठीक ही कर रहे हैं। समझाने के लिए कह रहे हैं कि ऐसा न करो ऐसा करना उचित नहीं होगा मेरा इतना ही ओम प्रकाश जी से कहना है कि इस वक्त जो हम बोझ उठा रहे हैं, केन्द्रीय शिक्षा आयोग, यू० जी० सी० ने यूनिवर्सिटी की बात तो छोड़ दीजिये डिग्री कालेज के लिए भी मना कर दिया है।

मैं इस सदन को कोई सरप्राइज में रखना नहीं कर रहा हूं। कुमांऊं विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय, फैजाबाद विश्वविद्यालय, रुहेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी के विश्वविद्यालय को धन देने की अभी उन्होंने स्वीकृति नहीं दी है। कहा कि तुम्हारे सूबे ने जो यूनिवर्सिटीज बनायी है, आप जानें हम पैसा नहीं देंगे। पर हमने निश्चय किया, इस सदन में भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने ऐलान किया था कि हर डिवीजन में एक यूनिवर्सिटी जरूर कर देंगे। उस सरकार के वचन को पूरा करने के लिए हम कृतसंकल्प हैं। हम अपने सीमित साधनों के अन्दर भी यह भार वहन करेंगे।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव––

यह जो प्रस्ताव इस समय विचाराधीन है वह यह है कि इस विधेयक को परिचालित कर दें, राय जानने के लिए, उस पर क्या ऐतराज है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

एतराज का सवाल नहीं है। आम आदमी के मन में किसी गलत दिशा में आशा बंधवाना और फिर उस आशा को तोड़ना यह उचित नहीं है। अगर हमारा करने का इरादा हो और अगर हम कर सकते हों, करने की शक्ति हो, तो हम कहें कि लोगों से राय पूछें।

श्री उमानाथ—

माननीय मुख्य मंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि माननीय ओम प्रकाश ने विधेयक प्रस्तुत अवश्य किया है परन्तु इसको पूरे सदन का समर्थन प्राप्त है। यज्ञ में नारी का योग भी आवश्यक होता है। बख्शी जी ने भी उसका समर्थन किया है। आप उनसे भी बात कर लें। पूरे सदन का एक मत है। मैं आदरपूर्वक निवेदन करूंगा कि जौनपुर में एक मास लगातार आप रह चुके हैं, पंडित कमलापति के निर्वाचन में, उस विद्यालय के सम्बन्ध में जौनपुर के सम्बन्ध में जितनी जानकारी आपको है, उसके बाद पता नहीं क्यों जौनपुर को आप भुला रहे हैं। काशी विद्यापीठ से इतनी अधिक रुचि हो गयी है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जौनपुर के उद्योगों के सम्बन्ध में बहुत विचार कर रहे हैं। यह बात सच है कि जौनपुर के जिले वालों का विश्वास और प्रेम हमको मिला और न मिला होता तो भी जो आवश्यक था उसको जरूर करते। मैं इसलिए नहीं कि माननीय उमानाथ सिंह या राजा साहब छिबरामऊ वहां से विधायक न भी हों, सुलतानपुर से क्यों न हों, लेकिन जौनपुर के सम्बन्ध में यह प्रश्न नहीं है। सच पूछिये तो जौनपुर में जो उद्योग लग सकते ह जैसे एग्रीकल्चर के और फ्रूट प्रोसेसिंग वगैरा के, उनके लगाने की जरूरत है। इस तरह के वहां सेंटर्स बनें जो एग्रीकल्चर और एनीमल हस्बैंडरी उन्नति कर सकें। हम जनता में भ्रम नहीं फैलाना चाहते हैं। प्रदेश में जो 19 विश्वविद्यालय हैं उनका प्रदेश बोझ उठा सके। आप कहते हैं कि 21 लाख का बोझ बढ़ रहा है। लेकिन यह लास्ट्रा आन कैमिल्स बैंक हो जायेगा और हमारी क्षमता इस बोझ को उठाने की नहीं है। हमें सारे प्रदेश का ख्याल रखना है। आप बदायूं, मैनपुरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर तथा रूहेलखण्ड के इलाकों को देखिये कि ये पूर्वांचल से भी पिछड़े हुये हैं। हमें सभी का ख्याल रखना है।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि अगर इस विश्वविद्यालय के लिये धन की आवश्यकता हो तो हम लोग उसके लिये प्रयास करेंगे। हम आपकी सहायता करेंगे और कहीं से रुपया लाकर पूरा करेंग। इस विधयक के प्रसारित करने में कोई हर्ज नहीं है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, राजा साहब छिबरामऊ चारा डालने में बहुत होशियार हैं। लेकिन मैं खाऊंगा नहीं क्योंकि मैं उसमें फंस जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि वह हमें समय दें यह सोचने का कि हम जौनपुर के लिये क्या कर सकते हैं जिससे वहां का जन जीवन ऊंचा उठे। इस विश्वविद्यालय से जौनपुर में कोई विशेष परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन सरकार पर काफी बोझ पड़ने वाला है। इसलिये भी कि 19 यूनिवर्सिटीज के बाद, फैमली प्लानिंग के काम को शुरू कर दिया है। इसके बाद बस जितना होना था वह हो चुका है। आगे बस। इसलिये मैं माननीय ओम प्रकाश जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने विचारों के बावजूद कृपा करें और इसको प्रेस न करें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय ओम प्रकाश जी, आप इस प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव---

वापस लेने की आवश्यकता है ?

श्री अधिष्ठाता---

जी हां ।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव---

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे जौनपुर के कालेजेज के जितने प्रबंधक हैं, उनके पत्र मेरे पास आये हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को सदन के सामने रख दिया जाय जिससे मैं लोगों से कह सकूंगा कि मैंने तो विधेयक सदन में प्रस्तुत कर दिया है। सदन ने रिजेक्ट कर दिया तो हम क्या करें ?

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर विधेयक, 1974 जनता की राय जानने के प्रयोजन से 3 मास के लिए परिचालित किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी)

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव---

दल के नेता की आज्ञा है इसलिए मैं इसको वापस लेता हूं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

(विरोध पक्ष से आवाजें आने पर) इस पर वोट होगा । घबड़ाइये नहीं ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

देखा असर ।

श्री स्वरूप कुमारी बख्शी---

स्त्रियों के उद्योग की ओर विशेष प्रकार से ध्यान दिया जाये ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

महिलाओं के हाथ में तो देश का राज है ।

(घन्टी बन्द होने पर)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर विधेयक, 1974 जनता की राय जानने के प्रयोजन से 3 मास के लिए परिचालित किया जाये ।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

कुंवर श्रीपाल सिंह---

माननीय मुख्य मंत्री जी, आपने जो कुछ कहा है जौनपुर के लिए हम लोगों को आशा है कि उस पर आप स्ट्रिक्ट रहेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

आपके सामने आ जायगा ।

वियार जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत) †

श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं । यह जो संकल्प है, यह मेरी राय में सदन में नहीं आ सकता है ।

श्री अधिष्ठाता--

जिस समय संकल्प प्रस्तुत किया गया था, उसी समय व्यवस्था उठानी चाहिए थी ।

श्री ईश्वरी सिंह--

मान्यवर, मैंने उसी समय उठाया था ।

श्री अधिष्ठाता--

तो उसके ऊपर मैं व्यवस्था दे चुका हूं ।

श्री ईश्वरी सिंह--

मान्यवर, उसी के बारे में मैं अपनी राय जाहिर करना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

संकल्प की राय में कि उसके खिलाफ ?

श्री ईश्वरी सिंह--

मान्यवर, उसके खिलाफ ।

श्री अधिष्ठाता--

यह हमारी कार्यवाही में है ।

श्री ईश्वरी सिंह--

मैं उसके विरुद्ध बोल रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

तो ठीक है, उसके विरुद्ध बोलना है, तो बोलिए ।

श्री ईश्वरी सिंह--

मान्यवर, यह माननीय श्री ओम प्रकाश सिंह जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है इस संबंध में मेरी बहुत ही स्पष्ट राय है । इसी के आधार पर व्यवस्था का प्रश्न मैंने उठाया था । मैं आपके द्वारा पूरे सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि भारत के संविधान की धारा 341-342 में बहुत ही स्पष्ट दिया हुआ है कि राष्ट्रपति को ही केवल यह अधिकार है कि किसी भी राज्य में वह अनुसूचित जाति या परिगणित जाति की सूची तैयार कर सके । यह जो माननीय ओम प्रकाश जी का संकल्प है इस पर यह सदन विचार नहीं कर सकता है और यह हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि संविधान की धारा 341-342 में बहुत ही स्पष्ट दिया गया है कि यह प्रश्न कौन जाति विशेष की सूची में है ।

---

† 31 जुलाई, 1974 की कार्यवाही से ।

श्री ओमप्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

माननीय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, बैधानिकता के बारे में।

(इस समय 2 बजकर 34 मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती मोहसिना किदवई पीठासीन हुईं।)

श्री अधिष्ठाता—

वह तो विरोध में बोल रहे हैं, इसमें व्यवस्था नहीं हो सकती।

श्री ईश्वरी सिंह—

माननीया अधिष्ठाता महोदया, मैं विरोध में बोल रहा हूं कि आप जो संकल्प इस सदन में प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसकी भारतीय संविधान आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि यह प्रश्न धारा 341-342 के अनसार केवल भारत के राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र का है। भारत का राष्ट्रपति यह निश्चय कर सकता है कि कौन सी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाय और किस राज्य में किया जाय, यह बहुत ही स्पष्ट है। माननीया अधिष्ठाता महोदया, आपकी आज्ञा हो तो मैं धारा 341-342 को जो कि अंग्रेजी में है पढ़ कर सुनाता हूं। संविधान की धारा 341 में दिया हुआ है कि :—

(1) The President may with respect to any State, (or Union Territory), and where it is a State, after consultation with the Governor thereof, by public notification, specify the castes, races or tribes or parts of or groups within castes, races or tribes which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be Scheduled castes in relation to that State (or Union Territory, as the case may be).

संविधान की धारा 342 में स्पष्ट दिया हुआ है कि :—

(1) The President (may with respect to any State, or Union Territory) and where it is a State, after consultation with the Governor thereof by public notification, specify the tribes or tribal communities of parts of or groups within tribes or tribal communities which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be Scheduled Tribes in relation to that State (or Union territory as the case may be).

संविधान में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि किसी भी अनुसूचित जाति या शेड्यल ट्राइब के सम्बन्ध में निर्णय करने का अधिकार सूची में किसी भी राज्य के अन्दर राष्ट्रपति को है। वे यदि चाहें तो इस सम्बन्ध में राज्य के गवर्नर से राय ले सकते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि इससे ज्यादा संविधान के अनुसार और कुछ नहीं हो सकता है। अतः इन धाराओं के रहते हुए यदि हम सदन में कुछ निश्चय करते हैं तो वह हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर है। जो चीज इस सदन के अधिकार क्षेत्र से बाहर है उस पर निर्णय करें, मैं समझता हूं मुनासिब नहीं होगा। इससे संविधान का उल्लंघन होगा। हां एक बात अवश्य है कि उस रोज जब मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था तो अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि हम संस्तुति कर सकते हैं लेकिन अफसोस की बात है कि माननीय ओम प्रकाश सिंह के संकल्प की जो भाषा है, वह संस्तुति करने की भाषा नहीं है। इस में बहुत स्पष्ट दिया हुआ है कि इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश की बियार जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर लिया जाय और उन्हें अनुसूचित जाति को मिलने वाली समस्त सुविधायें दी जायं। तो इसके माने यह हैं कि हम सुनिश्चित रूप से राय दे रहे हैं, सदन की ओर से फैसला दे रहे हैं। यदि माननीय ओम

[श्री ईश्वरी सिंह]

प्रकाश सिंह जी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते कि यह सदन इस बात की संस्तुति करता है राष्ट्रपति महोदय से तो ठीक था लेकिन इस भाषा के रहते हुए यह निवेदन है कि इस सदन को उनके इस संकल्प को सोलहों आने ठुकरा देना चाहिए क्योंकि यह भारतीय संविधान के विरुद्ध है। इस तरह से हमारे सदन का कोई निश्चय किया जाये यह संवैधानिक बेचैनी पैदा करने वाला होगा। इन शब्दों के साथ संवैधानिक आधार पर मैं इसका विरोध करता हूं और माननीय ओम प्रकाश सिंह जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इस तरह के संकल्प को, जो कि इस सदन के क्षेत्राधिकार से बाहर है, वापस लेने की कृपा करें और सदन को इस विकट परिस्थिति में डालने की कृपा न करें।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)--

मेरे विचार में इस पर काफी विचार हो चुका है अतः मैं इसके लिए क्लोजर मूव करता हूं।

श्री अधिष्ठाता---

अभी कुछ और सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल--

माननीय बख्शी जी भी बोल चुकी हैं। अब उन्हें और नहीं बोलना है। मैं क्लोजर मूव करता हूं।

तो मैं समझता हूं कि मैं क्लोजर मूव कर चुका हूं, अब इस पर विचार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ओमप्रकाश सिंह---

माननीया, मेरे इस संकल्प पर पिछले दिन काफी लम्बी बहस हुई, पूरे दिन, और अनेक सदस्यों ने अपना मत प्रकट किया। जिन सदस्यों नें कुछ इस दृष्टि से विरोध किया कि यह विरोध पक्ष से लाया गया है इसलिए विरोध करना आवश्यक है, उनसे तो मैं सहमत हूं कि अपने पार्टी के अनुशासन में रहकर वह पहली और अन्तिम पंक्ति कहते कि हम इसका विरोध करते ह, भले ही मंशा उनके समर्थन की थी। मुझे हार्दिक दुख उन सदस्यों के विरोध का होता है जो अनुसूचित जाति का फायदा उठाकर इस सदन में आये हुए हैं, जिन्होंन कहा कि बियार जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए और स्पष्ट मत दिया। मुझे इसका हार्दिक खद और दुख है। इतनी संकीर्णता तो उनमें भी नहीं होगी जो साधारण सदस्य हैं, लेकिन स्वयं अनुसूचित जाति के कोटे से आये हैं उनका यह कहना कि इस जाति को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, यह संकीर्णता और निम्नता की पराकाष्ठा है। जिस लाभ को उठाकर के कुछ वर्ग समाज में ऊचा स्तर प्राप्त करना चाहते हैं, वही कहते हैं कि अन्य गिरे हुए लोगों को इस श्रेणी में मत रखो, यह बात बिलकुल समझ में नहीं आती। बहाना यह है कि गरीबी हटाने के नाम पर सरकार सबको सुविधा देने जा रही है।

मैं मानता हूं कि अगर इस योजना के अन्तर्गत वास्तव में सबको लाभ पहुंचता तो मैं इसको न लाता, लेकिन जब तक संविधान के द्वारा प्रत्येक दलित वर्ग को 18 प्रतिशत की सुविधा आर्थिक क्षेत्र में दी जाती है तब तक इस सुविधा के लिए सभी मांग करेंगे और वह

उन सभी वर्गों को मिलनी चाहिए जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्र में बिल्कुल पिछड़े और गिरे हुए हैं और जिनमें अपने आप में इतनी क्षमता नहीं है कि स्वयं प्रगति कर सकें। मुझे उन सदस्यों से भी विशेष शिकायत नहीं है। कारण यह है कि आज राजनीति की धरती पर राजनीतिक चरित्र को बहने वाली गंगा संकीर्णता और स्वार्थ से इतनी गंदी हो गयी है कि जो भी उससे प्रेरणा लेता है वह गंदा हो जाता है। आज इनके जो नेता हैं, जो राजनैतिक गंगा श्रोत हैं, भले ही वह प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्री हों, कोई भी संकीर्णता और स्वार्थ की भावना इतनी व्याप्त हो गयी है कि उनके चरित्र से बहने वाली राजनीति की गंगा संकीर्णता की प्रेरणा-स्रोत लगती है। जिसके कारण इस सदन में आकर संकीर्णता की बात करते हैं। मैंने कोई एक ही की बात नहीं कही। मैं पुनः दोहराऊंगा कि मेरे इस संकल्प की कोई वैसी मंशा नहीं है कि जातिवाद को फैलायें या किसी के हक को छीनें। मैं आज भी कहता हूं और उस दिन भी कहा था कि बियार जाति को अनुसूचित जाति की सुविधायें इसलिये मिलनी चाहिये कि उसमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान करने की अपने आप में इतनी क्षमता नहीं है कि वह समाज में एक स्थान बना सके। आज अछूत शब्द उसके साथ से हटना चाहिये और वह भी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक प्रगति करके समाज में एक सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। इसीलिये हमने कहा कि 18 प्रतिशत की जो सुविधा है उस श्रेणी में इसको लाया जाय। इसके पीछे और कोई बात नहीं है। मैं तो कहता हूं कि इस प्रदेश की ऐसी जातियों के लिये जिनको आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक उन्नति की आवश्यकता है एक आयोग सरकार बना दे जो इनकी समस्याओं का अध्ययन करे और अगर वह समझे कि सरकार के सहयोग और सहायता के बिना इनका उत्थान सम्भव नहीं है तो सरकार उस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जिन-जिन को उचित समझे उनको आर्थिक, सामाजिक और शक्षणिक सहायता दे जिससे वह उन्नति कर सकें।

इन शब्दों के साथ में पुनः कहता हूं कि इस संकल्प के पीछे मेरी मंशा केवल यही है कि प्रदेश में जो वर्ग बिना सरकार की सहायता के उन्नति नहीं कर सकता उसके लिये सबसे अच्छा रास्ता यही है कि पहले उसको अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया जाय तभी उनको 18 प्रतिशत का संरक्षण मिल सकेगा। मैं समझता हूं कि यह सदन मेरे इस संकल्प का स्वागत करेगा और इसके पक्ष में अपना मत देगा।

श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसमें केवल दो बातें देखने की हैं कि क्या इस सदन के अधिकार क्षेत्र में है कि हम बियार जाति को अनूसूचित जाति डिक्लेयर कर सकें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इस संकल्प को यहां प्रस्तुत करने का कोई कारण और औचित्य नहीं था। यह तो बाद की बात है। बहुत दिन पहले 1963–69 में इसका एक सर्वे कराया गया था जिसमें यह पाया गया था कि शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में यह जाति बहुत पिछड़ी हुई है। लेकिन स्वतः इस जाति के लोगों ने अपने को हरिजन नहीं कहा बल्कि अपने को ये बैकवर्ड बताते हैं। जब वे स्वतः ही अपने को बैकवर्ड बताते हैं तो फिर किसी संकल्प के माध्यम से.....

श्री ओमप्रकाश सिंह—

मैं नहीं कह सकता कि माननीय मंत्री जी यह किस आधार पर कह रहे हैं लेकिन अगर देखा जाय तो इस जाति की एक महासभा है जिसने हर वर्ष एक प्रस्ताव पास करके सरकार से मांग किया है कि हमें अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाय। अगर माननीय मंत्री जो इससे आश्वस्त हो जायं कि वे अनुसूचित जाति में आना चाहते हैं तब विचार करने को तैयार हों तो मैं वह उनके सामने रख दूंगा।

श्री राज मंगल पांडेय—

मैं तो कह रहा हूं कि 1969 में जो सर्वे किया गया था उसमें यह सिफारिश की गयी थी कि इनको बैकवर्ड मान लिया जाय। उस सर्वे में उन्होंने यह भी कहा था कि न हम हरिजन हैं, न अस्पृश्य हैं, हम लोग बैकवर्ड हैं। इसलिये जब स्वतः वे इसके लिए तैयार नहीं हैं तो इस प्रस्ताव को मानने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। मैं चाहूंगा कि पहले इसके औचित्य को माननीय सदस्य यहां प्रस्तुत करें और सदन को कॉविन्स करें। इस वक्त यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं है।

श्री अधिष्ठता—

प्रश्न यह है संकल्प की दूसरी पंक्ति में शब्द "जातियों" के पश्चात् शब्द "तथा मुसहर जाति को अनुसूचित जन जातियों" और चौथी पंक्ति में शब्द "जाति" के पश्चात् शब्द "तथा अनुसूचित जन जातियों" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि संकल्प की दूसरी पंक्ति में शब्द "जातियों" के पश्चात् शब्द "तथा सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के अनवाल जाति को अनुसूचित जन जातियों" और तीसरी पंक्ति में शब्द "जाति" के पश्चात् शब्द "तथा अनुसूचित जन जातियों" बढ़ा दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश की "बियार" जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर लिया जाय और उन्हें अनुसूचित जाति को मिलने वाली समस्त सुविधायें दी जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

विदेशों से उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को नौकरी में प्राथमिकता तथा बेरोजगारी भत्ता देने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

आपकी आज्ञा से मैं निम्न संकल्प प्रस्तुत करता हूं। इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के जो व्यक्ति विदेशों से उच्च शिक्षा प्राप्त करके लौटे हैं तथा जो देश में ही पी० एच० डी० डिग्री या समकक्ष शोध किये हैं उन्हें अनिवार्य रूप से प्राथमिकता के आधार पर योग्यतानुसार नौकरी दी जाय तथा इस प्रकार के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाय।

माननीय, यह जो संकल्प है इसके संबंध में माननीय मंत्री जी यह कहेंगे कि यह सरकार की नीति है, मगर वह नीति किस काम की है जिस पर सरकार अमल न करती हो। जिस नीति पर अमल न हो वह नीति बेकार है। आज शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसके यहां के पढ़े हुये वज्ञानिक और उच्च शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी इतनी बड़ी संख्या में अपना देश छोड़ कर अन्य देशों में सेवा करने चले गये हों हमारा ही देश ऐसा है जहां कि अपने यहां के विद्वानों एवं वैज्ञानिकों की कोई इज्जत व सम्मान नहीं है। यही कारण है कि वे विदेशों में सेवा कर रहे हैं। वे अपने देश में आना चाहते हैं, मगर इस सरकार की गलत नीति एवं करतूतों के कारण वे यहां नहीं आते हैं।

जब यहां वे आते हैं, उन्हें न तो कोई सुरक्षा प्रदान की जाती है और न योग्यता के अधार पर नौकरी ही दी जाती है। जब वे कहां नौकरी के लिये जाते हैं और वहां अयोग्य लोगों को नौकरी में रख लिया जाता है तो उन्हें अपने देश के प्रति और इस प्रशासन के रवैये के प्रति तथा अपने करतूतों के प्रति निराशा होती है और वे यह सोचने लगते हैं कि जो शिक्षा मैंने विदेशों में प्राप्त की है वह सही कदम था या गलत कदम था। आज जो सरकार का रुख है, आज जो सरकार का व्यवहार है और इसके द्वारा स्थापित संस्थाओं का जो व्यवहार है प्रायः यह देखा जाता है कि जब नियुक्ति का कोई प्रश्न आता है तो चाहे कोई कितना सुशिक्षित क्यों न हो उसको न रख कर अपने पक्ष के लोगों को चाहे वह कितना ही अयोग्य क्यों न हो रख लिया जाता है। कागज में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा है उसको पूरा कर लिया जाता है। नियुक्ति करते समय यह नहीं देखा जाता कि जितने लोग नौकरी के लिये आये ह उनमें सबसे योग्य कौन है। उसको योग्यता को सम्मान देना चाहिये, उसको उचित अवसर देना चाहिये, यह कर्त्तव्य समाज का और सरकार का है कि नहीं, इसके बारे में कोई चिन्ता नहीं करता। परिणाम यह होता है कि जो विदेशों से शिक्षा प्राप्त करके आते हैं, कुछ साल यहां रह कर फिर निराश होकर विदेश को लौट जाते हैं। इसका यह परिणाम हो रहा है कि उच्च शिक्षा का स्तर दिन पर दिन निम्न स्तर का होता जा रहा है।

जब समाज की यह नीति हो कि शिक्षित का कोई सम्मान न हो, योग्यता का कोई आदर न हो तो यह शिक्षा या ज्ञान प्राप्त करने का महत्व क्या है। इसका परिणाम यह होता है कि जो यहां पी0 एच0 डी0 वगैरह करते हैं उनके मन में भी निराशा होती है। जो विदेशों स शिक्षा प्राप्त करके यहां आते हैं और फिर निराश होकर लौट जाते हैं, इससे शिक्षा जगत का कितना बड़ा नुकसान होता है यह भी सोचने की जरूरत है। हर देश में तो शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है लेकिन इस देश में शिक्षा का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है। सन् 52 में जो शिक्षा का स्तर हाई स्कूल व इंटर के विद्यार्थियों का था, आज बी० ए० व पास्ट ग्रेजुएट पास विद्यार्थियों का स्तर उससे भी निम्न है। आज हर जगह निराशा है, नौकरी में भी निराशा है और जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग हैं उनमें भी निराशा है। उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। सरकार की कागजी नीति हो सकती है कि किसी को योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाय लेकिन व्यावहारिक नीति बिलकुल नहीं है।

इसके साथ ही जो यहां पी0 एच0 डी0 कर रहे हैं, उनके सम्बन्ध में भी दो शब्द कहना चाहता हूं। अगर सर्वे कराया जाय तो उनमें अधिकांश ऐसे हैं जो नौकरी न पाने के कारण पी0 एच0 डी0 को एक रोजगार सा बनाये हुए हैं। आप पूछ लें, सर्वे करा लें वे यही समझते हैं कि इससे जन समाज में सम्मान मिलता है और 4-5 साल तक सी0 एस0 आई0 व यू0 जी0 सी0 वगैरह के नाम पर स्कालरशिप मिलता रहता है इसका परिणाम यह होता है कि शोध के कार्य में उनकी कोई रुचि नहीं होती है। इससे केवल देश का पैसा खर्च होता है, उससे कोई विकास या शोध कार्य नहीं होता। इन सब चीजों को देखते हुए मैं सरकार से और इस सदन से निवेदन करता हूं कि अगर वाकई में शिक्षा का सही विकास करना है तो योग्यता को आधार बनाना होगा ताकि विदेशों मे जो चले गये हैं वे यहां आकर अज्ञानता के अन्धकार को दूर करें इस तरह से देश में ज्ञान का युग जो छिपा पड़ा है उसको बाहर निकालना पड़ेगा और इसके लिये उनको इतनी शक्ति प्रदान न करनी पड़ेगी जिससे प्रज्वलित होकर अन्धकार दूर हो सके और हम ज्ञान का विकास कर सकें। अगर ऐसा नहीं कर सकेंगे और नीति की बात करते रहेंगे तो जो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं जो हमारे देश की प्रतिभायें हैं वह मातृभूमि को छोड़ कर विदेश को जान पर मजबूर होते

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

रहेंगे। इसलिये मेरा इस सदन से आग्रह है कि इस प्रस्ताव के द्वारा सरकार को मजबूर करें कि सरकार इस बात की नीति बनाये और उसे कार्यान्वित करे कि जो भी नौकरियां होंगी उनमें विदेशों से शिक्षा प्राप्त लोगों को लेंगे, जो वैज्ञानिक हैं, टेक्निशियंश हैं इनको लेंगे। इसके अलावा जो हमारे यहां के उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, पी० एच० डी० हैं और वैज्ञानिक हैं उनको ही लेंगे। इससे सबसे बड़ा एक लाभ यह होगा कि जो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं जो विदेशों में सेवा कर रहे हैं उनके मन में अपने देश की सेवा करने की भावना पैदा होगी और जो हमारे यहां के वैज्ञानिक हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त लोग हैं, उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। और जो यह शिक्षा का स्तर गिर रहा है, शिक्षित वर्ग में जो निराशा है वह सुधरेगी। दूर होगी। और देश की उन्नति होगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि राजनीतिक स्तर से ऊपर उठकर इस प्रस्ताव को पास करें। जिससे जो हमारे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हैं जो हमारे देश को छोड़कर दूसरे देशों में नौकरियां करने पर मजबूर होते हैं, वह इस देश को आगे बढ़ायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूं और सदन से आग्रह करता हूं कि वह इसका समर्थन करे।

*श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

आदरणीय अधिष्ठात्री महोदया, यह माननीय सदस्य ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है यह बड़ा गम्भीर है।

सन् 1958 के जो आंकड़े हैं उनमें कितनी बढ़ोत्तरी हुयी है, इस बात को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो सन् 1958 के सरकारी आंकड़े ह उनके अनुसार इस देश के अच्छे मेधावी, प्रतिभावान 7600 ऐसे लोग थे जो इस देश को छोड़कर चले गये। इनमें से अच्छे चिकित्सक, अच्छे टेक्निशियंश थे अच्छे इंजीनियर्स थे और इस तरह के अन्य निश्नात लोग थे जो हमारे देश के बाहर चले गये हैं।

अधिष्ठात्री महोदय, इस देश को, जो अर्ध विकसित है, या इसको अविकसित कहें या विकासशील कहें या किसी भी श्रेणी में इसको लें, इस देश को इन प्रतिभाओं की बड़ी आवश्यकता थी और आज भी है। बड़े विश्वास के साथ इन सपूतों को इनके अभिभावकों ने शिक्षा दिलायी, प्रतिभाशाली बनाया, अच्छे इंजीनियर बनाया, डाक्टर बनाया कि यह देश की सेवा करेंगे। इन लोगों को प्रतिभाशाली बनाया कि यह देश को बहुमुखी विकास करेंगे लेकिन बड़े दुख और वेदना के साथ कहना पड़ रहा है कि 1958 में ऐसे 7,600 लोगों को दुसरे देशों में जाकर सेवा करनी पड़ी। यह हमारे लिये बड़े खेदजनक अपमानजनक बात है। ऐसी प्रतिभायें हमारे देश में होती इस प्रकार के निश्नात लोग हमारे देश में होते तो यह देश का विकास कर सकते थे।

मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं। एक ऐसे ही हमारे दक्षिण भारत के महामनोषी थे श्री एम० जी० विशेश्वरैया। जिन्होंने मैसूर बंगलौर में जो कार्य किये, जब दूसरे देशों के लोग भारतवष आत ह और इन कार्यों को देखते हैं तो नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसी अनेकों प्रतिभायें हैं जिनको इस देश में सम्मान नहीं मिला, अवसर नहीं मिला और वह इस देश को त्यागने पर मजबूर हो गये। मेरी स्वयं की जानकारी है। मेरे नगर के एक चिकित्सक, अच्छे चिकित्सक और उनके पुत्र यहां सेवा के लिये दर-दर फिरते रहे, भागते रहे पर उनको उचित सेवा न मिली। आज वह इंग्लैंड में ह, अच्छी सेवा में, अच्छी आजीविका में हैं। इस प्रकार के तमाम लोग बाहर चले गये हैं जो इस देश के लिये कलंकपूर्ण चीज है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक डाक्टर के बारे में जो कि बाल रोग विशेषज्ञ, श्री पी. एन. मेहरोत्रा हैं मैं समझता हूं कि वे जहां भी रहे उनकी सेवाओं से यह देश बड़ा लाभान्वित रहा। लेकिन आज वह विदेश में चले गये। यह ऐसी स्थिति है इस देश की। इसका मूल कारण यह है कि प्रतिभावान तथा मेधावी लोगों को प्राथमिकता के आधार पर उनकी योग्यता को परख नहीं की गई जो कि देश के लिये बड़ी दुखद परिस्थिति है। मैं तो यह कहता हूं कि योग्यतानुसार सेवाओं में इस प्रकार के मेधावी लोग जो देश को लाभान्वित कर सकते ह उन्हें रोजगार में, सेवाओं में उनकी सेवायें उपलब्ध की जाय और किसी प्रकार का पक्षपात तथा भाई-भतीजावाद नहीं होना चाहिये। इस प्रकार जिनको आगे योग्यता के अनुसार आना चाहिये वह नहीं आ पाते हैं और शिफारिश के आधार पर दूसरे लोग आ जाते हैं। इसलिये यह संकल्प बड़ा सामयिक है और उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, उच्च तालीम के सिलसिले मे जैसा कि यह गैर सरकारी रेजोलेशन पेश किया गया है मैं उसकी ताईद में बोलना चाहता हूं क्योंकि आज देश को काबिल तरीन आदमियों की जरूरत है। जब तक देश के अन्दर आला काबिलियत क लोग और उच्च तालीम हासिल किये हुए इंसान और ऐसे लोग जिनको कि मौजूदा दौर में और चीजों का भी ज्ञान हो और माडन शिक्षा के सिलसिले में पूरी जानकारी हो वही लोग हमारे देश के लिये ज्यादा मुफीद साबित हो सकते हैं। जो लोग आला तालीम हासिल करने फारेन जाते हैं और अपना तथा सरकार का पैसा खर्च करते हैं लेकिन आला तालीम हासिल करके जब अपने देश वापिस आते हैं और यहां आने के बाद उनको नौकरी न मिले अथवा योग्यता के अनुसार नौकरी न मिले तो दूसरे लोग जो कि तालीम हासिल करना चाहते हैं उनकी हिम्मतें पश्त हो जाती हैं और सोचते हैं कि अगर हमन उच्च तालीम हासिल कर ली और पैसा भी खर्च किया किन्तु उसके बाद म कुछ न मिला, तो उससे बेहतर है कि मामूली तालीम हासिल कर ली जाय जिससे कि अपनी जिन्दगी किसी तरह गुजार ली जाय। चाहे तालीम अपने देश में या दूसरे देश में हासिल की जाय। चूंकि हमारे देश के अन्दर अभी आला तालीम की कमी है इसलिये दूसरे देशों में हमारे विद्यार्थियों को जाना पड़ता है क्योंकि वह चीजें जो कि दूसरे देशों के अन्दर मुल्क की तरक्की के लिय सिखाई जाती हैं अभी हमारे देश के विश्वविद्यालयों के अन्दर नहीं ह जिनसे कि वह दूसरे देशों का मुकाबला कर सकें। इसलिये मेरा ख्याल है और मेरी अपनी राय है कि जहां नौकरियों का ताल्लुक है, गवर्नमेन्ट को उक्त सर्विसेज का ताल्लुक है तो वह ऐसे लोगों को जरूर मिलनी चाहिये जिनको कि वास्तव में योग्यता है तथा जो फारेन से उच्च शिक्षा प्राप्त करके लौटे हैं और उनको प्रिफेरेन्स दिया जाना चाहिये जिससे कि देश को उनकी योग्यता से फायदा हो सके। उनकी योग्यता से देश तरक्की करेगा। अगर उच्च तालीम हासिल करने के बाद अपने धर में बेकार पड़े रहे तो इससे मालूम होगा कि हमारी सरकार की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। परिणामस्वरूप हमारी कौम के एक कीमती शरमाये की बरबादी होगी और वह लोग जो कि आला काबिलियत के मालिक हैं और दूसरे देशों में जाकर पी०एच०डी० कर रहे हैं, या बेरिस्ट्री कर रहे हैं, या कुछ भी तालीम हासिल कर रहे हैं, वह हमारी कौम के कीमती सरमाया हैं। उनसे फायदा उठाने के लिये हमें उन्हें इस बात का मौका देना चाहिये नाकि वह देश की सेवा कर सकें और वह हम तभी कर सकेंगे जब उन्ह बरसरे रोजगार लावें और उन्हें काम पर लगायें। आज हमारे देश में, जैसा म देखता हूं कि एक बहुत बड़ा तबका चाहे वह इन्जीनियर्स हों, या प्रोफेसर्स हों, या दूसरी लाइन के पढ़े-लिखे लोग हों, हजारों आदमी बेकार हैं, लेकिन सरकार को इस तरफ कोई भी तवज्जह नहीं है।

[श्री शफीकुर्रहमान बर्क]

इस मौके पर मैं अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा सरकार की तवज्जह इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे साथी ओम प्रकाश सिंह जी ने जो रेजोलूशन पेश किया है और इसमें पी० एच० डी० हासिल करने वाले या और ऊंची तालीम पाने वाले व्यक्तियों के लिये जो मांग की है उसकी मैं ताईद करता हूं और मेरी ख्वाहिश है कि सरकार संजीदगी से सोचे और मांग को मंजूर करके उन लोगों की हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई करे जो आला तालीम हासिल करने के बाद इस देश के अन्दर आते हैं। चाहे कोई भी इंसान हो, जब किसी देश में तालीम हासिल करने के लिये जाता है वह यह चाहता है कि जब वह अपने देश में वापिस आये तो देश की सेवा करे। मजबूरी चाहे कुछ कराय, लेकिन हमारे देश के काबिल तरीन इंसान आज दूसरे देशों के अन्दर मुलाजमत कर रहे हैं और दूसरे लोग उनकी लियाकत और काबिलियत से फायदा उठा रहे हैं। बदकिस्मती की बात है कि आज हमको अपने ही भाइयों से हमें जो सेवा लेनी चाहिये, उनकी आला-काबलियत से जो फायदा उठाना चाहिये, उससे आज हम महरूम हैं। इसलिये मेरी यह पुरजोर अपील है और गुजारिश है और मेरी तमन्ना है कि हमारे उन भाइयों को देश की सेवा करने का मौका दिया जाय। अगर आप उनको मौका देंगे तो उनके लिये भी यह आसानी होगी कि वह अपने बच्चों के साथ अपने देश के अन्दर रह सकते, हैं और जो खिदमत दूसरे देशों के अन्दर कर रहे हैं वह अपने देश में कर सकेंगे।

लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे अन्दर वह जजबा, जो देश की उन्नति और तरक्की के लिये होना चाहिये, चाहे उसमें मैं हूं या कोई दूसरा आदमी, हमारे अन्दर इस जमाने में नहीं है जब कि हम खुद लालच और खुदगर्जी में डूबे हुये हैं जिसकी वजह से अपने देश की भलाई और तरक्की का उतना ख्याल नहीं करते जितना कि हम अपनी जाति की तरफ ख्याल करते हैं। यही वजह है कि आज हमारा देश बहुत सी कौमों से महरूम है। लेकिन जहां तक मसला तालीम का है आज देश के अन्दर अगर तालीम आम कर दी जाय और हायर एजूकेशन जिस पैमाने पर होनी चाहिये, अगर आज उसको वह मुकाम मिल जाय तो मैं आपको यकीन दिलाऊं कि हिन्दुस्तान में बसने वाले, भारतवर्ष में रहने वाले कोई कम बुद्धिमान या कम अकलमन्द नहीं है, बहरहाल वह भी तरक्की कर सकते हैं और वह भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन चूंकि हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे और हिन्दुस्तान को आजाद हुए 27 साल हो गये लेकिन इतने अर्से के बावजूद भी तालीम का मिमार जितना ऊंचा होना चाहिये था वह नहीं हुआ। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जो आला तालीयाफ्ता लोग बेकार हैं और जो दूसरे देशों से तजर्बा हासिल करके आये हैं या जो दूसरी सर्विसेज में लगे हुए हैं हम उनकी खिदमत हासिल करके उनकी हौसला अफजाई करें। इससे हमारे देश के तमाम शोबों की और हमारे देश के बच्चों को फायदा पहुंचेगा। लिहाजा मैं इस रेजूलूशन की ताइद करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि इस पर तवज्जह फरमाये।

डाक्टर श्याम किशोर (जिला सीतापुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मुझे अफसोस है कि जो प्रस्ताव हमारे ओम प्रकाश सिंह जी ने प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करने में बिल्कुल असमर्थ हूं। मुझे अफसोस है कि हमारे जनसंघ के भाई जो हिन्दू संस्कृत, हिन्दू राष्ट्र और हिन्दू परम्पराओं के बहुत बड़े हिमायती हैं इस प्रकार का प्रस्ताव इस माननीय सदन के सम्मुख प्रस्तुत करने में संकोच नहीं करते प्रश्न यह उठता है कि जो लोग विदेश में नौकरी कर रहे हैं, यद्यपि उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, वहां पर क्यों नौकरी करने गये हैं। क्या वह देश सेवा के लिए वहां नौकरी करने गये हैं या अपने पेट की सेवा के लिए गये हैं। अगर मुझे ठीक याद है तो तीन या दो वर्ष पहले यूरोप और अमेरिका के कुछ चिकित्सकों ने एक प्रस्ताव पास कर भारत

सरकार के स्वास्थ्य मन्त्रालय के पास भेजा था जिसमें उन्होंने जो धनराशि बतलाई थी वह निश्चित रूप से कहीं ज्यादा थी जो हमारे देश के अन्दर अन्य प्रशिक्षित व्यक्तियों को दी जाती है। उन्होंने कहा था कि अगर इतना पैसा दिया जाय तो हम लौट कर हिन्दुस्तान की सेवा कर सकते हैं। उनकी जो मनोवृति है, जो नियत है वह इस प्रकार की मांग से साफ हो जाती है। मुझे याद है कि मैंने एक पत्र केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय को लिखा था और मैंने अपील की थी कि ऐसे लोगों को जो राष्ट्र की कठिनाइयों को नहीं देखते, राष्ट्र की गरीबी को नहीं देखते, राष्ट्र के दुःख दर्द को नहीं समझते और इस तरह की अनुबंधित मांग करते हैं उनको वापस बुलाने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों की सेवा की अपेक्षा हमारा देश गरीबी में बसर कर लेगा। जो हमारे नवयुवक चिकित्सक बन कर निकलेंगे हम उनसे सेवा करा लेंगे लेकिन ऐसे लोगों से सेवा कराने के लिए हम तैयार नहीं हैं जो इस तरह से अपनी मांग पेश करते हैं। अगर विदेश के लोग मांग करें तो वह बात ठीक मानी जा सकती है। परन्तु जितने भी हमारे नवयुवक हैं इस देश से चिकित्सा, इंजीनियरिंग तथा अन्य चीजों के लिये यहां से गये थे वे निश्चित रूप से यह सोचकर गये होंगे कि हम इस देश से जायेंगे, वहां से उच्च शिक्षा प्राप्त करके इस देश को लौटेंगे और यहां पर गरीबी में गुजर करके अपने देश को ऊंचा उठायेंगे। अफसोस इस बात का है कि वहां पर रह कर, ऊंचे स्टैंडर्ड आफ लीविंग के वातावरण में रह कर उसी वातावरण को उन्होंने स्वीकार कर लिया और धन के उपार्जन की जो तृष्णा होती है उसे भी उन्होंने अंगीकार कर लिया और इस देश को अस्वीकार कर दिया। इसलिये आज वह यह कहते हैं कि उनको इतना धन दिया जाय तभी वह इस देश की सेवा कर सकेंगे।

बाबा राम नाथ (जिला मैनपुरी)—

यह संकल्प उन लोगों के मुतालिक है जो विदेशों से लौटे हुए हैं और नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। उनके मुतल्लिक आपको क्या कहना है जिनके पास कोई काम नहीं है ?

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तर कौशिक—

एक तरफ ऐसे प्रतिभावान लोगों को बाहर भेजा जा रहा है उन्हीं को यहां काम नहीं दिया जाता और दूसरी ओर बाहर से हिन्दियों को बुलाने की बात कहा जाती है।

डाक्टर श्याम किशोर —

वे तो आपके साथ हैं। विरोध पक्ष ने दूसरा सवाल यह उठाया कि उनको वरीयता दी जाय। वरीयता किस आधार पर दी जाय जब कि इस देश के अन्दर ओपेन कम्पीटीशन होता है। वह कोई हरिजन, स्वतंत्रता संग्राम के सैनानी नहीं हैं जिसके लिये उनको वरीयता दी जाय। अगर ओपेन कम्पीटीशन में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करेंगे तो हम उनको अवश्य वरीयता देंगे। मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव बहुत खतरनाक है और इसको पास करके हम ऐसी परिस्थितियां अपने देश में पैदा करेंगे जो हमारे लिये बहुत घातक सिद्ध होगी। लिहाजा मैं इस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

आदरणीय अधिष्ठात्री महोदया, यह जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है मैं समझती हूं कि यह बिल्कुल निरर्थक है। इसमें यह लिखा हुआ है "प्रदेश के जो व्यक्ति विदेशों से उच्च शिक्षा प्राप्त करके लौटे हैं तथा जो देश में ही पी० एच० डी० डिग्री या समकक्ष शोध

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती स्वरूप कुमरी बख्शी]

किये हैं उन्हें अनिवार्य रूप से प्राथमिकता के आधार पर योग्यतानुसार नौकरी दी जाय।" इस प्रकार बड़ी हाई क्वालीफिकेशंस प्राप्त लोगों के लिये यह प्रस्ताव पेश किया गया है। मेरी जानकारी यह है कि जो विश्वविद्यालय हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं या सी० डी० आर० आईज हैं जिनमें बड़े-बड़े साइंटिस्ट तथा इंजीनियर्स काम करते हैं उनमें जो नियुक्तियां होती हैं उसके लिये बाकायदा एक्सपर्टस की कमेटी बैठती है जो उन सर्विसेज के लिये लोगों को चुनती है। आप लखनऊ विश्वविद्यालय को देख लें अथवा अन्य विश्वविद्यालयों को ले लें वहां जो भी नियुक्तियां होती हैं उनके लिये एक्सपर्टस की कमेटी बैठती है और जिस के पास सबसे उत्तम डिग्री होती है अथवा जिसके पास सबसे उत्तम शिक्षा होती है। उसी को वह सर्विस दी जाती है और उसी को लेक्चररशिप दी जाती है। आप जानते हैं कि यहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा चुनाव होता है। ऐसा नहीं होता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को प्राथमिकता न दी जाय, वह दी जाती है। यह मेरी समझ में नहीं आता कि "अनिवार्य" शब्द का यहां पर क्या मतलब है। फर्ज कीजिये कि फिजिक्स डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर की जरूरत है और केवल एक ही पोस्ट है। उसमें 6 व्यक्ति क्वालीफाई कर लेते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि उन सभी लोगों को एप्वाइन्ट कर दिया जाय। जितनी वैकेन्सीज होंगी उसी के अनुसार तो नियुक्ति की जायेगी। तो यहां पर जो अनिवार्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वह मेरी समझ में नहीं आता है। जहां तक यह बात है कि हमारे यहा के बड़े बड़े वैज्ञानिक विदेशों को जा रहे हैं तो इस इक्सोडस को रोकना है। यह केवल हमारे प्रदेश की ही बात नहीं है बल्कि यह पूरे भारत का प्रश्न है। इसका सम्बन्ध पूरे देश से है। यह इस विधान सभा के बाहर की चीज है।

आजकल हमारी दुनिया इतनी छोटी हो गई है विज्ञान और यातायात के साधनों के कारण, कि हम एयरोप्लेन से एक घन्टे के अन्दर इग्लैंड पहुंच जाते हैं। यहां तक चांद से भी रिश्ता जोड़ने वाले हैं, एक दूसरे देश निकट आ रहे हैं। तो इस तरह का आदान प्रदान होना आवश्यक है। अगर हमारे बच्चे वहां जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं तो पढ़ लिख कर वे वहां की सेवा करने के अधिकारी भी हैं। अगर हमारे एक्सपर्ट्स वहां जाकर सेवा करते हैं तो वहां के लोग भी आज हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। माननीया, आप गौर करेंगी कि यहां पर जितने भी बड़े-बड़े कारखाने हैं, भिलाई, बोकारो दुर्गापुर तथा और जितनी भी बेसिक इन्डस्ट्रीज हैं, जितने भी साइंस और टेक्नालाजिकल इन्स्टीट्यूट्स हैं– यहां पर लखनऊ में ही एच० ए० एल० का कारखाना है हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनमें कितने विदेशी एक्सपर्ट यहां बाहर आपके देश की सेवा कर रहे हैं। मुझे इन लोगों को देखकर तरस आता है जब वे गरमी के मौसम में पसीने से तर-बतर होकर गांव-गांव में जाकर वहां की जनता की सेवा करते हैं। अगर आपके साइन्स के एक्सपर्ट्स वहां पर सेवा कर रहे हैं तो वहां के लोग भी आपके देश की सेवा कर रहे हैं और वे आपके देश की उन्नति के पथ पर ले जाने के लिये आपको सहयोग दे रहे हैं। इसे आपको नहीं भूलना चाहिये। हम उनके आभारी हैं। यदि हम उनकी सेवा कर सकें तो यह हमारा सौभाग्य है।

दूसरी बात यह है कि कुछ लोग विदेशों में प्रमाण के ख्याल से जाते है। भ्रमण एक स्वाभाविक भावना है कुछ लोग एक्सपीरियेन्स लेने के लिये जाते हैं। वहां जाकर 5,7 साल का तजर्बा हासिल करके यहां आकर देश की उन्नति में हिस्सा बढ़ाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पैसे की वजह से जाते हैं। जैसा कि अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि पैसे की लालच में जाते हैं। यह एक दूसरी बात है। वहां पर इन लोगों को बहुत बड़ी-बड़ी तनख्वाहें दी जाती है। हम गरीब है। हम इतनी तनख्वाह नहीं दे सकते है। एक बच्चा गरीब मां-बाप का बेटा है और मैं समझता हूं कि उसको अपने

घर की सूखी रोटी खाना पसन्द होगा। यदि उससे कहा जाय कि हम तुम्हें महल में रखेंगे, अपने मां-बाप को छोड़ दो तो वहां रहने के लिये वह मां-बाप को नहीं छोड़ेगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, यह जो आज की पाश्चात्य सभ्यता है, जो एंडस्ट्रियल सभ्यता है, उसने लोगों की आंखों को चकाचौंध कर दिया है, जिससे वे अपनी मां की गोद भूल गये हैं और अपनी मिट्टी को भूल गये हैं, जिसने उनको जन्म दिया और इस योग्य बनाया। वह आर्थिक सहूलियतों की वजह से, ऐश्वर्य की चकाचौंध से प्रभावित होकर, मृगतृष्णा वश जैसे रेगिस्तान में मृग भागता है, वैसे ही आज के नौजवान पाश्चात्य रोशनी में, चमक-दमक में भागते चले जाते हैं। मैं आपसे पूछती हूं कि पैसे के पीछे भागने वाले ये जो चन्द लोग हैं, उनके आपके देश को क्या मदद मिल सकती है? वह, माननीय, पैसे से नहीं होती है, वह पसीने से, मेहनत से और खून से होती है और सबसे बढ़कर ईमानदारी से होती है और सच्चाई से होती है। तो हमें ऐसे व्यक्तियों की सेवाओं की आवश्यकता है, जो पैसे का मुंह न देखें। हम लोग इतने अमीर नहीं हैं, इतनी बड़ी-बड़ी तन्ख्वाहें नहीं दे सकते हैं, जितनी उन्हें अमेरिका या कनाडा में मिलेंगी या यूरोप के अन्य देशों में मिलेंगी। जब हम नहीं दे सकते हैं तो उसके लिए चोरी तो नहीं करेंगे। यहां तो सूखी दाल रोटी है, पहले तुम खाओ, फिर हम खाएं। यही सूखी रोटी खाकर हम अपने देश की सेवा करें, यही हमें सोचना चाहिए। हमारे विरोधी पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि वैज्ञानिकों में असन्तोष है। मैं सोचती हूं कि बिलकुल असन्तोष नहीं है। जो है ऊपरी है। यदि यह असन्तोष होता तो जितनी हमने तरक्की की है। वैज्ञानिक क्षेत्र में, उतनी हम प्रगति नहीं कर सकते थे। तरक्की होती है आस्था से, और विश्वास से-तरक्की होती है आत्म-विश्वास से। हमारे देश में ऐसे लोगों की क्या जरूरत है———

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

ऐसे लोगों को हेलीकाप्टर में बिठाकर आप साइबेरिया के जंगल में छोड़ आइये।

श्री पुरुषोतम कौशिक—

ये सब आदर्श की बातें हैं, यथार्थ की नहीं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

आज से 5 हजार वर्ष पूर्व अपने भारतभूमि में एक चमत्कार हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में—गीता का प्रादुर्भाव हुआ था, और आज विज्ञान के मैदान में चमत्कार हुआ है अणुशक्ति के रूप में। यह इतना बड़ा कार्य हमारे वैज्ञानिकों ने किया है, जिस पर आपको गर्व होना चाहिए और आप कहते हैं कि उसमें असन्तोष है और वे अनास्था के गर्त में डूबे हुए हैं। आज हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है, जिन्होंने अपनी झोपड़ी और गरीबी में रहकर देश में अभूतपूर्व वैज्ञानिक उन्नति कार्यों के लिए अणु का विस्फोट करके दुनियां को चकाकौंध कर दिया है। उन्होंने भारतवर्ष के इतिहास में जगमगाता हुआ, हीरों से जगमगाता हुआ एक पन्ना जोड़ दिया है। मैं उन वैज्ञानिकों के सामने अपना सिर झुकाती हूं। फिर यह कहा जाता है कि उन्हें योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएं तथा इस प्रकार के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। मैं समझती हूं, बेरोजगारी दूर करना हमारा फर्ज है, लेकिन बेरोजगारी एक इतना काम्पलीकेटेड और विस्तृत प्रश्न है कि केवल भत्ता देने से उसकी समस्या हल नहीं हो सकती है। हम लोगों के लिए यह बड़े अफसोस की बात है कि हमारे नवयुवक जो हैं, जो पढ़ लिख कर निकलते हैं विज्ञानशालाओं से वे जाब-औरिएन्टेड हैं। वे जब डिग्री लेकर आते हैं, तो ये चाहते हैं कि परोसी हुई थाली उनके सामने पेश कर दी जाए। बना बनाया केक उनके सामने पेश कर दिया जाए।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी]

जीवन संघर्षमय है । जीवन में बना बनाया केक कोई पेश नहीं करता है। जीवन पल पल पर कुरुक्षेत्र है। पल पल पर हमारे जीवन में कौरव पांडव का संघर्ष है । उस संघर्ष से निकलता है मन के अन्दर का ज्ञान, एक रौशनी यह भूल गये हैं कि यह संघर्ष है जीवन का, हमको अपने कदमों पर खड़ा होना है। सरकार के इशारे को नहीं देखना है। हमारे नौजवानों को एक प्रेरणा की जरूरत है कि वह अपने पैरों पर खड़े हों अपने उद्योग-धंधे शुरू करें। नौकरी से इस प्रान्त की आर्थिक समस्या का समाधान नहीं होगा। उन बच्चों को चाहिए उद्योग-धंधे की तरफ अपनी इनर्जीज लगाएं जिसके लिए बैंकों का राष्ट्रीय-करण किया गया जिसका सबसे बड़ा विरोध आपकी पार्टी ने किया। बैंकों का राष्ट्रीय-करण इसलिए किया ताकि मलिक साहब जैसा प्रभावशाली नौजवान को मौका मिले वह इंडस्ट्रीज खोलें। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं।

श्री अधिष्ठाता—

मिसेज बख्शी, अभी बहुत से लोग बोलने वाले हैं। अब खत्म करें।

एक सदस्य—

उद्योग धंधे के लिए रा मैटीरियल की व्यवस्था आप...

श्री स्वरूपकुमारी बख्शी—

एक नौजवान का किस्सा सुना रही हूं।

श्री अधिष्ठाता—

अच्छा एक मिनट ले लें।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

बैंक से लोन लेकर कितनी इंडस्ट्री आपने खोली हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वह नौजवान जैसे मेरे सामने मलिक साहब हैं, सूरत में भी वह ऐसा था, वह नेवी में था। आपने रवि टिक्कू का नाम सुना होगा। टायफून, उसने नेवी छोड़कर यहां शिपिंग इंडस्ट्री शुरू की। जब यहां मदद नहीं मिली तो लन्दन में उसने जाकर खोली है। केवल एक हजार पाउंड उसके पास था। इस वक्त वह दुनिया में सबसे बड़ा टैंकर बनाने वाला है। 50 लाख का टैंकर बनाया। नौजवानों को दिशा चाहिए उनको नौकरी नहीं चाहिए। उनको प्रकाश और रोशनी दीजिये इन शब्दों के साथ में इस संकल्प का घोर विरोध करती हूं।

*बाबा रामनाथ—

मैं आपके माध्यम से यह बात बता देना चाहता हूं कि जहां तक भारतवर्ष की शिक्षा का सवाल है, साइंटिफिक रिसर्च का सवाल है उसकी हालत यह है कि विदेशों से आये हुए मेहमान ने यह कहा कि जो यहां की सभ्यता और संस्कृति को दूषित करता है, उसको हम सितारा कहते हैं जो फिल्मों में काम करता है। जो नाना प्रकार की दूषित फिल्में हमारे देश में बनायी जाती हैं उनमें काम करने वाले सितारे कहे जाते हैं। जो लोग वाकई मेहनत करते हैं, ऐग्रीकल्चर के क्षेत्र के अन्दर, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में, जिनको कुछ सहयोग मिलना चाहिए उनकी अवहेलना की जाती है। अनेकों उदाहरण ऐसे हैं। विदेशों की बात छोड़ दीजिये। जो देश में इंस्टीट्यूट आफ ऐग्रीकल्चरल रिसर्च है, उसमें जो नाना प्रकार की रिसर्च करने वाले हैं उनको इतना वेतन नहीं मिलता है, कि अपनी जीविका चला सकें, उन्होंने अपनी आत्महत्या की है। उन्होंने लिखा है कि भारतवर्ष में वैज्ञानिक होना गुनाह है। अगर हमारे वैज्ञानिकों को मौका मिले तो हमारी कृषि समस्या को दस साल में नहीं दो साल में हल कर दें। हम उन्हें मौका नहीं देते हैं। डाक्टर खुराना इसके विशेष उदाहरण हैं। वे जब हिन्दुस्तान में आये तो उन्होंने कहा था कि हमें देश सेवा करने का मौका मिले। लेकिन उनको कोई मौका नहीं दिया गया और उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारा विरोध नहीं है। हमारे सूबे में जो लोग विशेषज्ञ हैं उनमें आपस में अन्तर्विरोध है। जो किसी विषय में विशेष योग्यता रखते हैं उससे देश को फायदा उठाना चाहिये। जब तक हम उनको कोई काम नहीं दे सकते हैं तब तक उनकी जीवनरक्षा के लिये उनको कुछ न कुछ एलाउन्स अवश्य दिया जाना चाहिये। इसमें कौन सी परेशानी है।

मैं समझता हूं कि इस संकल्प के महत्व को हमारे साथियों ने समझा नहीं है। एक साथी ने कहा कि जो दूसरे देश में सेवा करते है उनको यहां आने की क्या जरूरत है। मैं आप लोगों को डाक्टर मेहता की बात बताता हूं। वह पांच साल तक अमरीका में रहे थे। उनका इरादा हुआ कि वे भारतवर्ष में जाकर सेवा करें। उन्होंने कुछ लोन चाहा लेकिन नहीं दिया गया। वे हड्डी के मामले में और खाद्य के मामले में विशेषज्ञ थे। लेकित इंडस्ट्री विभाग ने उनको कोई सहायता नहीं दी। जो विदेश से आये हैं और हमारे देश के रहने वाले हैं, चाहे वे किसी विषय के विशेषज्ञ हों उनको हर तरह की सहायता देनी चाहिये ता कि उनके ज्ञान से फायदा उठाया जा सके और हमारे और हमारे देश की परेशानी दूर हो सके।

मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में चाहे विदेश से आये हो जो देश के नौजवान हैं, रिसर्च में अपना अस्तित्व रखते हैं, उनको विशेष सुविधायें दी जानी चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि उनको कोई मदद न मिले और विवश होकर उनको आत्महत्या करनी पड़े। यह हमारे लिये शोभनीय बात नहीं है। हमारे यहां के बहुत से डाक्टर, इंजीनियर और टैक्नीशियन्स अमेरिका आदि देशों में पड़े हुये हैं। अगर वे हमारे देश में आतें हैं तो उनके ज्ञान का हमें फायदा उठाना चाहिये। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो प्रतिभा सम्पन्न लोग हैं, अगर वे हमारे देश के विकास में सहायक हो सकते हैं तो उनकी हर तरह से रक्षा की जानी चाहिये और डाक्टर खुराना की तरह उनकी उपेक्षा नहीं होना चाहिये जिससे उनके विदेशों को तो फायदा मिले और हमार देश उनके ज्ञान से वंचित रह जाय।

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

माननीया, यों तो संकल्प इस समय सदन में प्रस्तुत है उसके संबंध में कुछ बोलने की मेरी इच्छा नहीं थी। हमारे पूर्व वक्ता महोदय के भाषण को हमने बड़े गौर से सुना। इस संकल्प में दो बाते कही गई हैं। पहली बात यह कही गई है कि विदेशों से जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करके आते हैं उनको अनिवार्यतया नौकरी दी जाय। यदि न दी जा सके तो उस स्थिति में उनको बेरोजगारी का भत्ता देना चाहिये।

(इस समय 3 बज कर 44 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायण राय]

मान्यवर, अगर संकल्प यह आया होता कि इस देश में जितने बेरोजगार लोग हैं उन सबको काम मिलना चाहिये और इसका समर्थन हमारी कम्यूनिस्ट पार्टी के लोग करते तो मैं समझता कि वह मुनासिब काम होता। आपको शायद मालूम नहीं है कि इस मुल्क में ऐसे अभिजात कुल में उत्पन्न होने वालों के लिये क्या व्यवस्था है ? जो आप मांग कर रहे हैं उन सबकी इस शासन की ओर से व्यवस्था है। स्पेशल सेल खुला हुआ है। उसमें हाइली टैलेंटेड लोग रखे जाते हैं। उनकी योग्यता और दक्षता को देखते हुये उन्हें पूल आफिसर एप्वाइंट किया जाता है। अगर कोई एम० आर० सी० पी० करके लंदन से लौटता है और वह मेडिकल कालेज, लखनऊ में चला जाय तो वहां वह पूल आफिसर एप्वाइंट होता है। इसी तरह से यदि कोई कृषि में विदेश से शिक्षा प्राप्त करके आया है तो कृषि संस्था में उसको पूल आफिसर रखा जाता है। मेरे कहने का आशय यह है कि उसको अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगारी भत्ता मिलने लगता है। मैं अपने सामने बैठे हुये सभी प्रगतिशील लोगों से अर्ज करना चाहता हूं कि जिस दल विशेष की ओर से पेश किया जाता है मैं उसे असामयिक घटना नहीं मानता हूं क्योंकि वह किसी न किसी प्रकार से इस समाज में उत्पन्न मानवी के बीच में देखने के आदी हैं। उनकी मनःस्थिति ऐसी है। इसलिये विशेष प्रतिभा वालों के लिये विशेष मांगे प्रस्तुत की गयी है। उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि कोई भी देश जो अपने सभी बेरोजगारों को रोजगार देने का इरादा रखता है तो उस इरादे को पूरा करने के लिये यह संकल्प करना पड़ेगा कि हम सामाजिक स्वामित्व के सिद्धांत स्वीकार करते हैं। ऐसा क्यों है। जब तक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जाहिर है कि कारखाने खोले जायेंगे जब तक उत्पादत का लक्ष्य पूरा नहीं होगा तब तक यह सम्भव नहीं है कि इम्पलायमेंट पोटेन्शियल बढ़े। मान लीजिये कि सभी लोगों को जूता पहनाना अनिवार्य हो जायें और उत्तर प्रदेश के लोगों को जूता प्रोवाइड करना हो तो जितने लोग इस समय इस उद्योग में लगे हुए हैं उनसे ज्यादा हजारों की संख्या में लोगों को इस धंधे में लगाना पड़ेगा। हम इसी तरह से कभी शिक्षा के नाम पर पी० एच० डी० के लिये विशेष भत्ते का मांग करें, कभी मिल मालिकों के टैक्स माफ करने के लिये मांग करें, तो क्या होगा ?

मान्यवर, दुनिया के जितने देशों ने भी सेन्टपरसेन्ट इम्पलायमेंट अपने बेरोजगारों को दिया है उनको फैसला करना पड़ता है कि हमारे देश की शिक्षा नीति क्या होगी ? मान्यवर चाइना हमारा पड़ोसी मुल्क है। वहां हाई स्कुल तक कम्पलसरी शिक्षा है। शिक्षा प्राप्त सभी बच्चों की इन्टरेंन्स परीक्षा होती है। कालेज आफ टेकनालोजी को कितने लोगों को जरूरत है, कालेज आफ मेडिसिन को कितने लोगों की जरूरत है। इन तमाम दृष्टियों से बच्चों का चयन होता है और शेष लोग घर नहीं जा सकते हैं। सामने गाड़ी खड़ी है। आदेश होगा कि हूवांगहो नदी पर बांध बनाया जाये, कितने दिनो की सेवा होगी यह सब नहीं बताया जाता है। इसी तरह की बहुत सारी चीजें हैं। रोजगार क्या हो शिक्षा नीति क्या हो यह सारी बातें मिली जुली हैं। आपको चाहिये यह था कि यह संकल्प प्रस्तुत किए होते कि इस देश में ऐसी शिक्षा नीति हो जिसके चलते रहते बेरोजगारी दूर हो ...मान्यवर, मैं तो यह मानता हूं।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

आप समर्थन करेंगे, अगर रखा जाय ?

श्री रामायण राय—

मान्यवर, मैं मलिक साहब को विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी ऐसा प्रस्ताव आयेगा तो आपको जातीतौर पर निराश नहीं होना पड़ेगा किसी संकल्प पर। माननीय ओम प्रकाश जी ने एक संकल्प प्रस्तुत किया। इधर के उधर के सभी माननीय सदस्यों ने उसका समर्थन किया।

तो क्या आप समझते है कि इस सदन में अगर कोई संकल्प गिर गया तो प्रेरणा थी, उस दिशा में उनको कोई सफलता नहीं प्राप्त हुई ? मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जनमत ऐसे ही हमारे प्रयासों से बनता है । अगर उनके संकल्प में जीवन है, अगर उस संकल्प की अनिवार्यता को समाज ने स्वीकार किया तो आज नहीं, कल इस सदन में सहर्ष स्वीकार करना पड़ेगा । आप बार बार जो छेड़ते हैं ओम प्रकाश जी को और साथियों को, केवल आपकी दृष्टि इधर ही क्यों जाती है ? में आपसे पूछता हूं कि क्या आप अपने नेता के विपरीत आचरण रखने की क्षमता रखते हैं ? अगर रखते हैं, तो मैं इसको मुनासिब नहीं समझता ।

मान्यवर, मैं अर्ज कर रहा था कि ऐसे लोग जिनके लिए माननीय संकल्प कर्त्ता समझते हैं, वह बहुत देर में आये हैं, कि संकल्प के माध्यम से आपकी जो भी मांग है वह मांग तो यह सरकार पहले ही मान चुकी है । इसका स्पेशल शेल बना रखा है । इसमें टैलेंटेड लोगों का पूल बना रखा है । इस संकल्प का स्वरूप आपको बदलना चाहिए था माननीय ओम प्रकाश जो आप नवजवान आदमी हैं और आपको उन तमाम बेरोजगार लोगों की जीविका के बारें में संकल्प रखना चाहिये । जिनके माता पिता ने पेट काटकर जिनको पढ़ाये हैं, उनके रोजगार की अगर आपने हिमायत की होती तो सचमुच मुझे लगता कि यह किसी नवजवान की कल्पना है । आज सभी यह चाहता है कि हर बेरोजगार रोजी पाये ।

श्री त्रिवेणी सहाय--

आगे एक और संकल्प है उसको पढ़ लीजिए ।

श्री रामायण राय--

आप हमारा ध्यान बिचलित करना चाहते हैं । लेकिन माननीय त्रिवेणी सहाय जी कम से कम आप इसमें कभी भी सफल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि आपको तो नहीं, आपके मन को मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूं । इसलिए कम से कम मेरे जैसे आदमी ऐसे संकल्प से कभी भी बहक नहीं सकते, क्योंकि इधर के बैठने वाले लोगों का यह संकल्प है कि जब तक इस देश को दरिद्रता से मुक्त नहीं करेंगे तब तक देश के हर काम करने वाले को काम नहीं देंगे, हर बेरोजगार को रोजी नहीं देंगे । यह महान अभियान चलता रहेगा । इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं कि बियार जाति के लोगों के नाम पर, मैं बाबा राम नाथ की बड़ी इज्जत करता हूं उनके क्रान्तिकारी बिचारों से मैं सदा प्रभावित रहा हूं लेकिन आज अनजाने में एक गलत संकल्प का वे समर्थन कर गये हैं इसलिए मुझे बोलने के लिए खड़ा होना पड़ा अन्यथा मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी । माननीय ओम प्रकाश जी ऐसा ही प्रतिक्रियावादी संकल्प सदन में लाये हैं क्योंकि वे एक ऐसे ही दल से आते हैं, क्या करें उनकी भी मजबूरी है । लेकिन एक दल जो वसुधैव कुटम्बकम में विश्वास करते हैं, जिनके नारे में मजदूरों और गरीबों का हित करना है, उन्होंने गरीबों की हिमायत में एक भी शब्द नहीं बोला । इसलिए विवश होकर इस संकल्प के बारे में मुझे निवेदन करना पड़ा ।

*श्री त्रिवेणी सहाय—

श्रीमन् यह विषय ऐसा था कि जिस पर दोनों ओर से बड़ी गम्भीरता से विचार होना चाहिए था लेकिन इसे भी हम लोगों ने दलगत उद्देश्य से क्रिटिसाइज करना आरम्भ कर दिया । जो लोग विदेश पढ़ने गये थे, जो वहां से ऊंची ऊंची शिक्षा प्राप्त करके यहां आ गये है, किन्हीं कारणों से बेकार हों तो सचमुच में यह बात इस देश के लिए बहुत ही अपमानजनक है । जो लोग विदेशों से उच्च शिक्षा प्राप्त करके, हमारे यहां या हमारे देश में आते हैं तो वे तो इस देश की पूंजी हो गये हैं । अगर दुनिया के लोग यह जान जाय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया गया ।

[श्री त्रिवेणी सहाय]

कि एक ऐसा भी देश है जहां पर बाहर से पी० एच० डी० इंगलैंड या अमेरिका से साइन्स की डिग्री या इन्जीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करके आये हैं, उनको किसी काम में नहीं लगाया जा रहा है तो इससे ज्यादा लज्जाजनक बात और क्या हो सकती है। तो इस नजरिए से इस बात पर जाना चाहिए। माननीय रामायण राय जी ने कहा है कि गरीबों को काम देने की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्हें काम देने की बात तो बहुत अच्छी है लेकिन हमारा संकल्प इसी बात का है कि संविधान में आप इस प्रकार का प्राविधान करें कि हर आदमी को काम देंगे। इसको फन्डामेंटल राइट्स में जोड़ा जाय, यह हमारा दूसरा संकल्प है। अभी आपने जो भावनायें व्यक्त की हैं, वे इस संकल्प के बिल्कुल विपरीत हैं। जो यहां पर ऊंची-ऊंची शिक्षा प्राप्त करके बैठे हुए हैं, उनके लिए भी सरकार से आदेश जारी हुए हैं कि बी० एड०, सी० टी० या बी० टी० सी० में उन्हीं को लिया जाय जो एम० ए० हैं बी० ए० हैं या जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। इनके लिए पहले आदेश थे कि हाई स्कूल और इन्टरमीएट लिए जायं। आज हमारी सरकार ने अपना ट्रेन्ड बदला है। उन्होंने इस बात पर विचार किया है कि जो उच्च शिक्षा प्राप्त करके समाज में बैठे हैं, पहले उनको अधिकार होना चाहिए कि उनको लिया जाय। यह बात सही है कि जो लोग बाहर चले गये थे, उनको सरकार ने अपने पैसे पर भेजा होगा ....

श्री अध्यक्ष—

अब अगर आप और बोलना चाहते हैं तो अगले दिन जारी रखिए।

समितियों के निर्वाचन के कार्यक्रम में नाम वापसी सम्बन्धी सूचना

श्री अध्यक्ष—

कार्यसूची 13 से पूर्व एक सूचना आपको दे दूं कि समितियों के निर्वाचन के कार्यक्रम में नाम-वापसी की तिथि 19 अगस्त, 1974 को सायं 4 बजे तक रखी गयी थी, किन्तु सभी दलों के अनुरोध करने पर इसे 20 अगस्त, 1974 को 12 बजे मध्याह्न तक नाम-वापसी की तिथि और समय निर्धारित किया जाता है। शेष कार्यक्रम पूर्ववत् रहेगा।

आप जानते हैं कि 19 तारीख को छुट्टी रहेगी इसलिए सभी दलों के नेताओं ने प्रार्थना की थी उसी के अनुसार 10 तारीख को मध्याह्न 12 बजे तक नाम-वापसी का समय रख दिया गया है।

मुद्रास्फीति एवं बढ़ती हुई मंहगाई और कर्मचारियों के वेतन-भत्ते आदि पर रोक से उत्पन्न स्थिति पर नियम 53 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष—

अब कौन शुरू करेगा ?

श्री ओमप्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, आज जिस विषय पर यह सदन चर्चा करने जा रहा है वह विषय देश के सामने आज प्रगति के रास्ते में सबसे बड़ा संकट बनकर खड़ा हो गया है, बल्कि प्रगति के रास्ते में संकट ही नहीं, देश को पीछे भी खींचने की स्थिति में आ गया है। देश ने जितनी प्रगति की है कुछ वर्षों में, मुद्रास्फीति की स्थिति उसे पीछे खींचकर ले जायगी। अब प्रश्न यह उठता है कि आज जो मुद्रास्फीति की स्थिति है, जो बढ़ती हुई महंगाई है उसको रोकने के लिए जो एक कदम उठाया गया है वेतन और भत्ते की कटौती, उसका

परिणाम क्या होगा ? और साथ ही साथ उन कर्मचारियों पर इसका परिणाम क्या होगा ? मान्यवर, इस बीच में आपसे पूछता हूं कि आप कितना समय देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

युक्तिसंगत आप बोलें । 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

धन्यवाद । दूसरा जो मूल प्रश्न है वह यह कि मुद्रास्फीति और महंगाई के कारण क्या हैं और जो उसको रोकने के लिए उपाय होने चाहिए वे सरकार द्वारा अपनाये जा रहे हैं या नहीं ? मूल कारण, जैसा कि सभी जानते हैं उत्पादन में कमी, अनुत्पादक खर्चों में बेतहाशा वृद्धि—ये दोनों मूल कारण हैं । अब प्रश्न उठता है कि मुद्रा स्फीति और मंहगाई की स्थिति क्या इस वर्ष की देन है या कई वर्षों की गलत नीतियों की देन है ? सरकार ने उत्पादन को बढ़ाने के लिए, चाहे औद्योगिक हो या कृषि उत्पादन हो कितना पहले बल दिया था, अनुत्पादक खर्चों में पहले कितना धन दिया था और जब मुदा-स्फीति की स्थिति हो गयी तब कौन कौन से कदम उठाये ? जैसा कि सभी जानते हैं 1972 के बाद केवल दो वर्षों में मुद्रा का प्रसार 32 प्रतिशत बढ़ा है, महंगाई 48 प्रतिशत बढ़ी है, 74 को छोड़ कर, और उत्पादन मुश्किल से साढ़े तीन, चार प्रतिशत बढ़ा है । कितना बेमेल । तीनों में कोई मेल नहीं । परिणाम यह हुआ कि महंगाई बढ़ी । सरकार ने उत्पादन वृद्धि की ओर कभी भी जितना ध्यान दिया जाना चाहिये नहीं दिया जिसके कारण मुद्रास्फीति का स्थिति पदा हो गयी है । कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये इन्होने कोई क्रान्तिकारी कदम नहीं उठाये । आज केन्द्रीय सरकार के बजट में भी उत्पादन पर कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया है । बिजली की कटौती, खाद की कटौती, टैक्सों की बाढ़, क्या इससे उत्पादन बढ़ेगा । यहां तक कि सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिये कर्ज देने की जो बात थी उसमें भी कटौती कर दी और इंटरेस्ट बढ़ा दिया । सरकार कह सकती है कि हमने पैसे को बचाने के लिए ऐसा किया । लेकिन इसका प्रभाव उत्पादन पर क्या पड़ेगा । इससे उत्पादन गिरेगा, बढ़ेगा नहीं । साथ ही साथ कृषि के उत्पादन का मूल्य लाभ से न निर्धारित कर के किसान के हितों का हनन करना है जिससे उत्पादन गिरेगा । इसके अतिरिक्त कच्चे माल पर टैक्स बढ़ाया गया । साथ ही साथ उसके वितरण की जो व्यवस्था है उस पर कोई नियन्त्रण नहीं किया गया । उल्टे सरकार ने उन मजदूरों के वेतन में कटौती की जो आज सरकार की गलत नीतियों के कारण बढ़ी हुई महंगाई के अन्तर्गत जीवन यापन मुश्किल से कर पा रहे हैं और अपनी आवश्यक वस्तुओ को भी नही खरीद पा रहे हैं और सरकार कहती है कि ऐसा करके हम उनकी क्रय शक्ति को कम कर रहे हैं । जिनकी क्रय-सक्ति पहले से ही कम है उसको और कम करने से वे कैसे अपना जीवनयापन कर पायेंगे ।

आज जो मुद्रा स्फीति और महंगाई की स्थिति है यह अनुत्पादक खर्चों में बेतहाशा वृद्धि के कारण है । आज भी मंत्री जहां बाढ़ आदि नहीं है वहां हैलीकाप्टर और हवाई जहाज में जाते हैं । मुझे हवाई जहाज या हैलीकाप्टर में जाने से द्वेष नहीं है लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि जो नेतृत्व वर्ग है उसके कार्यों से जनता को ऐसी प्रेरणा मिलनी चाहिये कि वह भी स्वैच्छा से कटौती करके उत्पादन वृद्धि में मदद करे । मंत्री जी दो हजार या दो लाख बचाते हैं यह महत्व का नहीं है । मंत्री जी के कार्यों से उस दिशा में जनता को कितनी प्रेरणा मिलती है यह मुख्य बात है । आज सरकार बड़ी-बड़ी योजनायें लागू करती है लेकिन जो योजना लागू करने वाला सरकारी पक्ष है उसके कार्यों से कर्मचारियों को बिल्कुल प्रेरणा नहीं मिलती । परिणाम यह होता है कि यह योजनायें बिल्कुल कागजी रह जाती हैं । अनुत्पादक खर्चों में कमी न करके, केवल नौकरी देकर बेरोजगारी को

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

समस्या को दूर करके आप वास्तव में बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं कर पायेंगे। इसके लिये आपको कोई रोजगार देने की व्यवस्था करनी होगी। केवल नौकरी देकर इस समस्या को हल करने की नीति आपकी बड़ी घातक सिद्ध होगी। जो सामान बड़े-बड़े उद्योगों के द्वारा बनता है, वही सामान जैसे कागज है, कापियां हैं, कलम हैं, अन्य छोटी-छोटी चीजें हैं, यदि इनके छोटे-छोटे उद्योगों के द्वारा बनाया जायेगा तो उससे लोगों को रोजगार मिलेगा, वे स्वयं एक कारखानेदार बनेंगे, अपने कारखाने के मालिक बनेंगे, उत्पादन बढ़ेगा और उससे आपकी यह बेरोजगारी की समस्या भी हल होगी। आज का युवा वर्ग नौकरी से खुश नहीं है। वह नौकरी नहीं चाहता, वह स्वावलम्बी बनना चाहता है, मगर उसके लिये सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन नहीं है। कोई उसके लिये आपके पास योजना नहीं है। कागज पर भले ही हो, अमल में नहीं है। जो आपने अनिवार्य जमा योजना लागू की है, इसको लागू करने से पूर्व आपको अपने खर्चों में कटौती करने की व्यापक योजना बनाना चाहिये थी। उससे जनता को एक प्रेरणा मिलती।

मुद्रास्फीति के कारण आज महंगाई बढ़ रही है। मुद्रास्फीति रोकने के लिये काले धन को निकालने की जो कोशिश होनी चाहिये थी नहीं हुई। सरकार ने काले धन को बाहर निकालने के लिये डी० आई० आर० का प्रयोग नहीं किया। न ही कोई योजना उसके लिये बनायी। मामूली आदमी अगर दो बोरी गेंहू या चावल कहीं ले आता है तो उसको डी० आई० आर० में बन्द कर दिया जाता है, मगर काले धन को बाहर निकालने के लिये उसका उपयोग नहीं होता। जब तक सरकार डी० आई० आर० का प्रयोग काले धन को बाहर निकालने में नहीं करेगी, मुद्रास्फीति नहीं रुकेगी और महंगायी भी नहीं रुकेगी।

इस अनिवार्य जमा योजना से मजदूरों और कर्मचारियों में असंतोष की लहर व्याप्त है। इससे उत्पादन गिरेगा। यह कदम आपका अंतिम कदम होना चाहिये था। अनुत्पादक खर्चों में बढ़ोतरी करके तथा कच्चे माल पर अधिक टैक्स लगाने से उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन गिरेगा। इन शब्दों के साथ मैं यह कहूंगा कि सरकार अनुत्पादक खर्चों में कमी करके उसे कार्यरूप में परिणत करे। काले धन को बाहर निकालने में डी० आई० आर० का प्रयोग कर मुद्रास्फीति को रोके। उत्पादन और मुद्रा प्रसार में संतुलन कायम करे। यह नहीं होना चाहिये कि उत्पादन बढ़े 3 प्रतिशत और मुद्रा प्रसार बढ़े 40 प्रतिशत इससे महंगायी बढ़ेगी। इन शब्दों के साथ मैं यह कहूंगा कि आज जो मुद्रास्फीति और महंगाई की स्थिति है उसके लिये केवल सरकार जिम्मेदार है और कर्मचारियों के ऊपर जो अनिवार्य जमा योजना लागू की गयी है वह सबसे अन्तिम कदम होना चाहिये था और उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

ऐसा है कि माननीय वित्त मंत्री इस पर कुछ कहना चाहें तो पहले कह लें। क्योंकि सदन के सामने कोई औपचारिक प्रस्ताव तो है नहीं और न इस पर मतदान होगा। जिन सदस्यों ने सूचना दी है, संक्षेप में वे वक्तव्य देंगे और माननीय मंत्री जी संक्षेप में उसका उत्तर देंगे। क्योंकि नियमावली में है-प्रश्न के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा। जिस सदस्य ने सूचना दी हो वे संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेंगे और मंत्री संक्षेप में उत्तर देंगे। किसी अन्य सदस्य को भी चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी। विषय पुरःस्थापित करने वाले सदस्य को उत्तर देने के लिये दूसरी बार बोलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और सम्बद्ध मंत्री के अन्तिम कथन होने पर चर्चा समाप्त हो जायेगी। तो आप संक्षेप में ही बोलें।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन् माननीय सदस्य श्री त्रिवेणी सहाय, श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री वेद प्रकाश अग्रवाल तथा श्री मोतीलाल देहलवी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुद्रास्फीति जसे महत्व-पूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया श्रीमन, यह ऐसा चिन्तनीय विषय है कि जिस पर आज देश, विदेश के सभी राजनीति चाहे वे किसी विचारधारा के हों, सभी विद्वजन चिन्ता के साथ विचार कर रहे हैं। आखिर यह मुद्रास्फीति का जो वर्तमान प्रकरण है, जो इनफलेशन का दौर है वह कनाडा, अलास्का से लेकर चिली, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तथा सारे संसार के जो देश इंटरनेशनल मोनेटरी फंड की प्रभावी प्रकिया के अंतगत आते हैं वे इनफ्लेशन से परेशान हो रहे हैं। कई सरकारें इंफ्लेशन का सामना न कर सकने के कारण लड़खड़ा चुकी हैं। वे देश जिन्होंने हिम्मत नहीं की इसका मुकाबला करने की वे देश लड़खड़ा रहे हैं। यह हमारे देश के विद्वान और भारतवर्ष तथा प्रदेश के सम्मानित सदस्यों और इस सम्मानित सदन को ही यह गौरव प्राप्त है कि जिन्होंने इस चर्चा को यहां उठाया है और वे सभी सजग हैं, सचेत हैं कि हम इस दानव से, इस दैत्य से मुकाबला करके रहेंगे। हम कभी भी यह कल्पना नहीं कर सकते कि श्री ओम प्रकाश सिंह जी या श्री त्रिवेणी सहाय जी चाहते हैं कि मुद्रास्फीति बढ़े। अगर मैं अतिशयोक्ति नहीं करता तो मैं कहूंगा कि यह सदन इसमें एक मत का है कि इस मुद्रास्फीति का मुकाबला किया जाय। ब्राजील देश ने एक नया तरीका निकाला है कि इनडेक्सिंग सिस्टम से इनफ्लेशन को रोका जाय। जितना कास्ट आफ लीविंग का इनडक्स बढ़ा उसी के अनुरूप वहां बैंक का ब्याज बढ़ गया, डी० ए० उसी हिसाब से बढ़ गया। इस तरह वहां इंडेक्सिंग सिस्टम से काम लिया गया। अमेरिका जिसके लिये यह कहा जाता है कि वह मुनीवादी अर्थशास्त्रियों के अन्तर्गत सबसे बड़ा सशक्त अर्थ तंत्र है वहां पर वहां के प्रेसीडेंट फोर्ड के जो नये इकोनामिक एडवाइजर हैं उन्होंने उसी पुरानी परम्परा के अंतर्गत कहा है कि सरकारी खर्च को कम करो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कट डाउन करो, अन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर यानी अनुत्पादक व्यय को कम करो, उत्पादक व्यय को बढ़ाओ, डेफिसिट फाइनेंसिंग को समाप्त करो, रिजर्व बैंक जो ज्यादा नोट छापता है उसको कम करो यानी मनी सरक्यूलेशन को कम करो। कवल उन्हीं खर्चों को लिया जाय जो उत्पादक हों। अन-उत्पादक कार्यों में व्यय को रोका जाय। ऐसे कार्यों में जो व्यय है उसको कम किया जाय। यह नीति इटली फ्रांस, चिली जैसे देशों में सोची जा रही है और यहां तक योरोप के उन देशों में जहां कि इनफलेशन का इतना प्रभाव नहीं है वहां पर भी आज इस तरह के निर्णय किये जा रहे हैं।

हमारे यहां भी अलग-अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग-अलग निर्णयो को लिया है। श्रीमन् में एक नाम बताता हूं। सेमी बाम्बला, बम्बई के अथशास्त्रियों ने इन्फलेशन को रोकने के लिये यह योजना रखी है। उनका कहना है कि 100 रुपये के नोट का जो मूल्य है उसको कम किया जाय। अगर बाजार में उसे ले जाया जाय तो उसका मूल्य 100 रुपये के बजाय 70-80 रुपये या 60 रुपये ही माना जाय। यह उनका कहना है। श्रीमन् मैं इस विवाद में तो नहीं जाता क्योंकि मैं उनसे सहमत नहीं हूं। यह सेमी बाम्बला उनकी योजना है जो उन्होंने इन्फलेशन को रोकने के लिये रखी है।

एक सदस्य—

मैं तो नाम सुनकर घबड़ा गया कि यह क्या चीज है, बम तो नहीं है?

(हंसी)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

इससे घबड़ाने की कोई बात नहीं है। यह तो एक योजना है जो अर्थशास्त्रियों ने रखी है। जब यह बनी तो लोग मेरे पास आये, कहा भाई तिवारी जी यह क्या है। तो मैंने उनको बताया कि यह बम-वम की बात नहीं है यह तो एक योजना है।

तो श्रीमन् आज मुद्रा स्फीति को रोकने के लिये लाजिमी कदम इस सदन को उठाना होगा, इस देश की जनता को उठाना होगा, सरकार को उठाना होगा जिससे इसका मुकाबला किया जा सके। हमारे जो अनुत्पादक व्यय हैं उनको रोकना होगा। आज हम अगर महंगाई भत्ता बढ़ाते चले जाय तो उसका अन्त में परिमाण होता है कि कीमतें भी बढ़ती चली जाती है। आज कर्मचारी वर्ग यह नहीं कहता है कि महंगाई भत्ता बढ़ाया जाय बल्कि वह तो कहता है कि कीमतों को नियंत्रित किया जाय। अगर हम महंगाई भत्ता 10 रुपये बढ़ा देते हैं तो दूसरी तरफ मान लीजिये कि कोई चीज 10 रुपये की मिलती है तो बाजार में उसकी कीमत पंद्रह रुपये हो जायेगी और इस तरह से 5 रुपये जेब से देने पड़ेंगे। तो प्रश्न यह है कि जो भी कदम उठाये जा रहे हैं वह कीमतों को नियंत्रित करने के लिये हैं। जो मुद्रा स्फीति में बृद्धि हो रही है उसको रोकने के जिये ही इन कदमों को उठाया गया है। अन्ततोगत्वा जो कर्मचारियों की रियल इन्कम हैं उसको स्टेबिलिटी देने के लिये यह कदम हैं। यह कदम कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं है। यह तो कर्मचारियों को राहत देने के लिये अन्ततोगत्वा सिद्ध हो सकता है। मैं नहीं कहता हूं कि इससे मुद्रास्फीति रुक जायेगा। महंगाई भत्ते में 50 परसेंट फ्रीज होने से यह मुद्रास्फीति रुकने वाली नहीं है। पर जो कदम मुद्रास्फीति को रोकने के लिये उठाये गये हैं और उठाये जाने वाले हैं, उन कदमों में यह भी एक कदम है। यह कर्मचारियों की रियल इनकम को स्टेबिलिटी देने का एक कदम है। कर्मचारी वर्ग भी समझता है कि अगर बाजार में कीमतें बढ़ती रहीं, सामान उपलब्ध होने में कमी हुयी तो मंहगाई भत्ते में बृद्धि से कोई फायदा नहीं है? क्योंकि मनी सरकुलेशन से, करेंसी नोटों के बढ़ने से दाम भी अपने आप बढ़ जायेंगे।

यह तो एक मोटी सी बात है कि अगर बाजार में 100 गुड़ की भेली हों और बाजार में आदमियों के पास 100 रुपयें हों तो उनकी कीमत एक रुपया प्रति भेली होगी। चूंकि 100 रुपये हैं और 100 भेली हैं। अगर लोगों की जेबों में 1000 रुपये हों तो दाम 10 रुपये भेली हो जायेंगे। यह तो एक मारकेट ला है कि रुपये ज्यादा होंगे तो चीजों के दाम भी ज्यादा होंगे। अगर रुपये कम हैं तो चीजों के दाम बढ़ना कम हो जायेंगे। दूसरी तरफ अगर गुड़ की एक हजार भेली हो जायें तो उनका दाम एक रुपया प्रति भेली फिर हो जायेगा। पर यह तो प्रोडक्शन बढ़ने पर ही हो सकेगा। यह एक सामान्य सिद्धांत है जैसा आप सभी लोग जानते हैं। तो मान्यवर, जो हमारा उत्पादन है अन्न का या उद्योगों का उसको बढ़ाना है, उसके वितरण का इंतजाय ठीक करना है तो उसको करेंगे और ठीक करन की चेष्टा की जा रही है। इसलिय मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करुंगा कि बढ़ती हुई महंगाई जिसका सम्मानित सदस्यों ने जिक्र किया है उसको रोकने के लिये, उस दानव को चूर-चूर करने के लिय आज यह कदम उठाये गये हैं। मैं अधिक न कहकर अब माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्य क्या चाहते हैं, उनके क्या सुझाव हैं या वह मुद्रा स्फीति को रोकने की नीतियों से सहमत नहीं हैं? लेकिन क्या अल्टरनेटिव हैं। हमें काले धन को निकालने का प्रयास करना चाहिये और आज वे प्रयास जारी हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, इन्होंने घंटी बजा दी कि होशियार हो जाओ और वे लोग होशियार हो गये। चोर बाजारी स काले धन को आप नहीं निकाल सकत हैं क्योंकि वे सब सावधान हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

त्रिवेणी में जाकर सब पाप मुक्त हो जात हैं। (हंसी)

तो श्रीमन् मैं निवेदन कर रहा था कि जो कदम उठाये गये हैं उनके लिये सहयोग मिलना चाहिये और जो कदम उठाये जाने वाले हैं उनके लिये भी सहयोग देना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि इस गम्भीर प्रश्न को पूरी मदद से सही संदर्भ को देखते हुये इस प्रस्ताव के संबंध में औचित्यपूर्ण विचार प्रस्तुत करेंगे और सरकार का जो मत है, जो भारत सरकार का मत है और नीतियां हैं उनका स्वागत करेंगे।

*श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने एक असलियत से ध्यान हटाने की कोशिश की है। कांग्रेस सरकार अपने को समाजवादी कहती है और मैं वही बात कहूंगा जो माननीय वित्त मंत्री जी जब इस तरफ थे और वे कहते रहे और इधर से उधर जब गये तो चूंकि वकालत करने और हास्य करने में दक्ष हैं तो चाहे दिन को रात सिद्ध कर दें और चाहे रात को दिन सिद्ध कर दें। तो मान्यवर, हमने प्रस्ताव दिया था और वह यह है कि जिन्दा रहने की जो जरूरत की चीजें हैं उनके दाम लगातार 27 सालों से बढ़ते चले जा रहे हैं। सबसे बड़े दुख और आश्चर्य की बात है कि बजट शुरू होने के 3 दिन पहले से दाम बढ़ने शुरू हो गये और एक तरफ बजट चल रहा था और दूसरी तरफ चीजों के दाम बढ़ते जा रहे थे। मान्यवर, मैं मोटा-मोटी चीजें जो जिन्दगी की जरूरत की चीजें हैं और जिनके बिना जिन्दा रहा नहीं रहा जा सकता है उनके दाम बराबर बढ़ते चले जा रहे थे। मैं उनमें से कुछ चीजों के दाम नोट किये हूं जो कि इस प्रकार हैं।

गेहूं प्रति किलो मई, के महीने में 1·60 रुपया था, जून में, 1.70 रुपया हो गया और जुलाई में 2 रुपया किलो हो गया। चना प्रति किलो मई के महीने मे 2 रुपया था, जून में 2·20 हो गया और जुलाई में 2.50 रुपया हो गया। मोटा चावल प्रति किलो मई के महीने में 1.75 रुपया जून में 2 रुपया और जुलाई में 2.20 रुपया हो गया। महीन चावल मई के महीने में 2 20 पैसे प्रति किलो, जून के महीने में 2.60 पैसे प्रति किलो और जुलाई नें बढ़ कर 3.00 प्रति किलो हो गया। अरहर की दाल मई के महीने में 2.30 प्रति किलो जून के महीने मे 2.80 पैसे प्रति किलो और जुलाई के महीने में बढ़ कर 3,20 पैसे प्रति किलो हो गयी। दाल मसूर मई के महीने 2.30 प्रति किलो, जून के महीने में 2.50 प्रति किलो और जुलाई में बढ़कर 2.80 पैसे प्रति किलो हो गई। दाल उरद मई के महीने में 2.20 प्रति किलो, जून के महीने में 2.40 पैसे प्रति किलो और जुलाई के महीने में 2.60 पैसे प्रति किलो। इस तरह से जितनी भी जिन्दगी की जरूरत की चीजें हैं जिनके कारण जिन्दा नहीं रह सकते, मैंने उन चीजों के भाव लिखे हैं। हर चीज के दाम बढ़ते चले गये हैं। मान्यवर, 27 सालों से यह दाम बढ़ रहे हैं। ह इतना दुखद नहीं है जितना यह दुखद है कि यह दाम कहां तक बढ़ेंगे और कब तक ढ़ेंगे? इनकी आखिरी सीमा क्या होगी आखिर? इनकी कोई आखिरी सीमा नहीं दिखाई पड़ रही है ठीक उसी तरह से 27 पहले इस बात की कल्पना नहीं का जा सकती थी कि आज देश और प्रदेश के अन्दर जिन्दगी की जरूरत की कीजें इतने भाव पर बिकने लगेंगी, ठीक उसी तरह से आज यह कल्पना नहीं की जा सकती कि चीजों के दाम कहां तक बढ़ेंगे और इनकी आखिरी सीमा क्या होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षन नहीं किया।

[श्री मोती लाल देहलवी–]

मान्यवर, इसका परिणाम क्या हो रहा है ? चीजों के दाम बढ़ने की वजह से पारिवारिक जीवन बोझिल सा हो गया है, जो परिवार का हर्ष और उल्लास था वह बिलकुल एक दुख में परिणत हो गया है। परिवार एक बोझ सा महसूस हो रहा है । बस में जाइये रेल में जाइये, होटल में बैठिये, लोग राजनैतिक लोगों को घृणा की दृष्टि से देखने लगे हैं और यह समझते हैं कि आज जो हमारी जिन्दगी तकलीफ, परेशानी और दुख में है, वह सब इन्हीं लोगों की वजह से है, नेता लोगों की वजह से है। गाली देते हैं आवाजें कसते हैं छीटा कसी करते हैं। मालूम नहीं काशी नाथ मिश्र जी के साथ ऐसा होता है या नहीं आज, मान्यवर, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इसके साथ-साथ भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी चीजों में मिलावट, चरित्र में गिरावट, बराबर आती चली जा रही है। मान्यवर, आप देखें इस देश और प्रदेश में शुद्ध नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है क्यों ? मुनाफाखोर अपनी आमदनी को बराबर रखना चाहता है। महंगाई बढ़ी नहीं, उसके लिये महगाई पहले बढ़ गयी। उसको यह फिकर लगी है कि हमारी आमदनी कम न हो। यह प्रवृत्ति काम करती रहती है मुनाफाखोरी में। यही वजह है कि वह अपने मुनाफे को, अपनी आमदनी को और ज्यादा बढ़ाने के लिये मिलावट करने लगा है। डालडा में चर्बी की मिलावट, मोबिल आइल की मिलावट, कड़वे तेल को खाकर 200 लोगों को इकट्ठे लकवा मार गया। मसाले में घोड़े की लीद, मिर्च में ईट का चूरा, यह इन 27 सालों में इन कांग्रेस के लोगों ने देश का चरित्र कर दिया है। इसको देख कर कहा जा सकता है कि इन कांग्रेस के लोगों ने देश को नाश और विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। मिलावट अगर इन्हीं चीजों में होती तो गांव के लोगों का काम चल सकता था क्योंकि उन्हें कुछ दूसरी चीजें शुद्ध मिल जाती है। लेकिन मान्यवर, दुर्भाग्य की बात है कि दवाओं में भी मिलावट चल गयी है। अगर कोई कैपसूल खाया जाय तो उसमें खड़िया या चूना या न मालूम क्या क्या और खराब चीज मिलेंगी। आजकल मान्यवर, जहर भी शुद्ध नहीं मिलेगा क्योंकि कई लोगों ने जहर खाया मृत्यु नहीं हुई। इस तरह से मान्यवर, अगर कोई बीमार पड़े और वह इलाज करवाये तो वह समझेगा कि दवा खा रहे हैं अच्छे हो जायेंगे लेकिन वास्तव में वह अच्छा नही होगा। मैं अपना ही उदाहरण देता हूं। मैंने अपना इलाज एम० बी० बी० एस० डाक्टर से करवाया, अच्छा नहीं हुआ। उसकी दवा झोड़ दी तो अच्छा हो गया। इस तरह से आज यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देश की है जहां रोंज मंहगाई बढ़ रही है और मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति रुक नहीं रही है। यह कहते हैं कि आखिर मंहगाई को कैसे रोकें।

मान्यवर, डाक्टर लोहिया इनको सुझाव देते देते मर गये, मरे नहीं बल्कि उनकी हत्या करवा दी गयी। डाक्टर लोहिया कहते थे कि अगर इस देश को बचाना चाहते हो तो जिन्दगी की जरूरत की जो चीजें हैं उनके दाम बांधिये। सुझाव है लेकिन आप उसको मान नहीं सकते। आप आखिर मुनाफाखोरों को कितना मुनाफा देना चाहते हैं। डाक्टर लोहिया कहतें थे कि जितनी लागत पर चीज बने उससे डेढ़ गुने से ज्यादा दाम पर वह नहीं बिकनी चाहिये। उन्होंने उस समय मिट्टी के तेल की एक बोतल की लागत 5 पैसे बताई थी। दुर्भाग्य है कि आज वही मिट्टी का तेल ढाई तीन रुपये बोतल पर गांव वालों को मिल रहा है। कौन नहीं जानता ? सब जानते है। अखिर आप कितना मुनाफा कारखनेदारों को करवाना चाहते हैं अगर आपने अब तक दाम बांधने का मन बनाया होता तो कोई कानून बना दिया होता कि कोई चीज इस देश के अन्दर लागत से डेढ़ गुना से ज्यादा कीमत पर नहीं बिकगी। मैं कहता हूं आप न मानिये डाक्टर लोहिया की बात कि डेढ़ गुने से ज्यादा कीमत न हो, आप दुगना कर दें लेकिन कोई सीमा तो बांधे। लेकिन आपने आज तक कोई पाबंदी नहीं लगायी और न लगाना चाहते हैं। क्यों ? इसलिये कि इनके चरित्र में भी

गिरावट आयी हैं। कानून बना हुआ है कि लोकसभा चुनाव 35 हजार रुपये तक में लड़ा जायगा ।

ये अपने दिल पर हाथ रख कर देखें क्या इन्होंने लोक सभा का चुनाव 35 हजार में लड़ा ? सारा देश जानता है कि चार-चार, पांच-पांच और दस-दस लाख रुपये खर्च किये गये । राम सेवक यादव ने दरभंगा से चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में मैं गया था । कानपुर के लोगों ने जो कांग्रेस की एजेन्टी कर रहे थे मुझे बतलाया कि रेल मंत्री महोदय जो आज कल हैं उस चुनाव में एक करोड़ रुपया खर्च हुआ । (व्यवधान) सुन कर ताज्जुब हुआ । दंग रह गया । मैं उनसे जानना चाहता हूं कि चुनाव में जो दो-दो, तीन-तीन और चार-चार लाख रुपये खर्च करते हैं यह रुपया कहां से आता है ? क्या उनको कोई नोट छापने की मशीन दे दी गयी है---छापिये और चुनाव लड़िये । तमाम रुपया नम्बर दो का इन्हीं कारखानेदारों से मिलता है---शकर मिलों से, कपड़ा मिलों से अथवा दियासलाई बनाने वाले कारखानों से---इन महंगाई बढ़ाने वालों के यहां से आता है । क्या यह महंगाई रोकेंगे ? सत्ता से चिपके हुए ये कांग्रेसी महंगाई रोकेंगे ? कांग्रेस के लिये यह असंभव है ।

कोई चीज असंभव नहीं मानी गयी है लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि ये कांग्रेस के लोग अब ऐसे मायाजाल में जकड़ गये हैं कि उनके लिये महंगाई को रोकना असंभव हो गया है । ये सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं, हटना नहीं चाहते । नतीजा क्या होगा ? जिस तरह से महाभारत में "सूच्याग्रे न ददास्यामि विना युद्धेन केशव ।" वही कहावत चरितार्थ हुई । महाभारत हुआ, विनाश हुआ, उसी तरह से ये लोग विनाश की परवाह न करके सत्ता से चिपके रहेंगे और हर हालत में येनकेन प्रमारेण सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं और यही कारण है कि आज महंगई से लोगों को परेशानी है, दुख और तकलीफ है, लोग अपने को जिन्दा रखने में असमर्थ पा रहे हैं और बिहार की जनता जय प्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में आन्दोलित हो रही है । उसको तरह-तरह से दबाने की कोशिश की गयी, सब कुछ किया गया लेकिन आन्दोलन जारी है और दुर्भाग्य की बात है कि 15 अगस्त के दिन---आजादी के दिन ---जहां एक तरफ लोग अपने पेट के लिये रोटी की ज्वाला से पीड़ित होकर अपनी मांगों के लिये आवाज उठा रहे थे तो दूसरी ओर बिहार की निहत्थी जनता पर गोली चलाई गयी---इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है ? धैर्य की कोई सीमा होती है, सहन शक्ति की कोई सीमा होती है । मेरा कहना है कि समय रहते यह सरकार चेते, अपना दिमाग खोले कान खोले और इस महंगाई के लिये कुछ उपाय सोचे ।

अगर इसे नीयत के साथ मन से नहीं सोचेंगे तो 26 अगस्त को जय प्रकाश नारायण यहां आ रहे हैं । और आज इस प्रदेश की जनता महंगाई से इतनी दुखी हो गयी है, इतनी कराह रही है, तड़प रही है जिसकी कि कोई सीमा नहीं है इसीलिये यह स्वाभाविक है कि इस प्रदेश की जनता का जय प्रकाश नारायण को प्रभाव मिले । मैं स्वयं अपने बारे में कह सकता हूं जो दुख मुझे आज जनता के बीच में रहना पड़ रहा है और जिस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं उसके हिसाब से उनके नेतृत्व का प्रभाव मुझ पर पड़ रहा है । इसलिये यह स्वाभाविक है कि प्रदेश की जनता जय प्रकाश नारायण से प्रेरणा ले और प्रदेश में उथल-पुथल मचा दे । इसलिये मैं आपको पहले ही सावधान करना चाहता हूं....सत्ता अगर जायेगी तो आपके हाथों से जायेगी । हम लोग तो सत्ताहीन हैं । अगर आप उससे बचना चाहते हों तो उसके बहुत से उपाय हैं । इस महंगाई को रोकथाम करें, चुनाव के खर्चों को बांधें, चुनाव के लिये महंगाई बढ़ाने वालों से न लें, अनुत्पादक खर्चे बन्द करें, दाम बांधों की नीति अपनायें । माननीय खाद्य मंत्री जी नहीं हैं, चली गई । वे कह रहीं थी कि

[श्री मोती लाल देहलवी-]

हमारी सरकार की दाम नीति है। मैंने पूछा कि क्या आप बता सकेंगी कि वह क्या नीति है, तो वे नहीं बता सकीं। कोई दाम नीति नहीं है। मुनाफाखोरों को इस सरकार ने 27 वर्षों में खुला छोड़ दिया है और मैं फिर कहना चाहता हूं कि अब यह कांग्रेस के बल-बूते की बात नहीं रह गई है कि इसे रोक सकें। उसके लिये यह बिलकुल असम्भव हो गया है। इसलिये इस विनाश से देश और प्रदेश को बचाने के लिये यह जरूरी है कि वह समय रहते आम जनता को उसकी जिन्दगी की जरूरत की हर चीजों के दाम बांधे। यही एक विकल्प है और कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया है।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

मान्यवर, मोतीलाल जी मुद्रा स्फीति के ऊपर बयान दे रहे थे और महंगाई से बड़े त्रस्त मालूम पड़े। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि 27 वर्षों के कांग्रेस राज्य की उन्होंने बार-बार चर्चा की और कहा कि इन्होंने क्या किया? इस बीच ये भी तो सत्ता में रहे, उसका कोई जिक्र उन 27 वर्षों में उन्होंने नहीं किया। 27 वर्षों का कांग्रेस का कुछ परिणाम रहा हो या न रहा हो लेकिन एक परिणाम निश्चित रूप से रहा है कि मोतीलाल जी जैसे सम्मानित सदस्य आज यह बोलने का हौसला रख सकते हैं। यह एक मामूली अचीवमेंट नहीं है। जिन लोगों को आज से 30-35 साल पहले कुछ बोलने का अधिकार भी नहीं थी वे आज स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं और स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। इसके लिये तो उन्हें बधाई देनी चाहिए थी।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

सरकार चलाने वालों का अधिकार के साथ-साथ कर्तव्य भी होता है।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने कितनी खूबी से इस बात की तरफ ध्यान आकृष्ठ किया। माननीय मोतीलाल जी ने एक बात यह कही कि चुनाव खर्चे अनप्रोडक्टिव होते हैं और उनसे मुद्रास्फीति होती है। यह उन्होंने एक अर्थशास्त्री के रूप में कही। यह सही बात है, उसको बन्द कर दिया जाना चाहिये क्यों कि जिस खर्चे से उत्पादन नहीं बढ़ता है उससे मुद्रास्फीति होती है। यह बात सही है कि प्रशासन ने बड़े-बड़े खर्चों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसा कल मैंने जिक्र किया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन के रहने वाली जगह बहुत कम खर्चे में बन सकती थी। जहां विद्युत यन्त्रों पर नियन्त्रण रखते हैं, वह दो-चार लाख के खर्चे में बन सकती थी। लेकिन एक करोड़ में बनी। इस तरह से एअर कंडीशनिंग जो की गई वह भी बेफजूल का ही खर्च समझा जाना चाहिए, देश की वर्तमान परिस्थितियों में या यह जो बड़े-बड़े शहरों में सड़कें बनती हैं ढ़ाई लाख से लेकर चार लाख के लागत में एक किलोमीटर। ये जो तमाम प्रकार का खर्चा किया गया, उसके कारण आज मुद्रास्फीति बढ़ी है। यही तमाम प्रकार के खर्चे हैं, जिन्होंने देश को इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि हमको मुद्रास्फीति के बड़े भयानक राक्षस का सामना करने के लिए बड़े कठोर कदम उठाने पड़ रहे हैं। जैसा माननीय सदस्यों ने कहा यह सरकार मजदूरों के वेतन में कटौती नहीं कर रही है, केवल कम्पलसरी डिपाजिट का जो सवाल है, यही उससे जमा करने को कहा जाता है। जो जमा करता है, उससे थोड़ा अधिक जमा करने के लिए देश की वर्तमान स्थितियों में कहा गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज बड़े-बड़े अर्थशास्त्री इस बात पर विचार कर रहे हैं कि काला-धन जो है, उसको कैसे खत्म किया जाए । इसमें बहुत से लोगों की राय है कि 100 रुपय के नोट का मूल्य घटाकर 50–60 रुपये कर दिया जाए या काला धन जिनके पास है, उसे सफेद धन समझकर उसे प्रोडक्टिव खर्च में लगाने की छूट दे दी जाए और ऐसा करने पर उस पर करों की चोरी का कोई चार्ज न लगे। इस प्रकार का धन यदि हम प्रोडक्टिव खर्चे में लगा सकें, उसे उत्पादन के काम में ला सकें तो मुद्रास्फीति पर हम काबू पा सकते हैं । काला धन जिनके पास है, उन्हें किसी तरह इसके लिए तैयार किया जाए कि वह उसे बाहर निकालकर उसे उत्पादन में लगाएं । इम्पलाएमेंट बढ़ाएं जिससे देश इस भीषण संकट से निकल सके। जिनके पास काला धन है यदि वह किसी तरह से नहीं निकालते हैं, तो सरकार को भी बेरहमी के साथ उस पर काबू पाने के लिए कोई कड़े कदम उठाने पड़ेंगे । एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमने उनको हरा सिगनल दिया है, जिसमें वे काले धन को निकालकर उसे सही कर लें । लेकिन सरकार की यदि मंशा है तो वह हर काम को करने में सक्षम है। अगर एक बार वह निर्णय कर ले कि ऐसे धन पर कब्जा करना है, तो वह कर सकती है, कोई उसे रोक नहीं सकता है। केन्द्रीय सरकार इस दिशा में आज पूर्णरूपेण जागरूक है।

मेरा निवेदन है कि सरकार को एक्सपेंडेचर पर भी नियन्त्रण लगाना होगा । जैसे कि यह नियम बने कि किसी भी व्यक्ति को दो हजार रुपये मासिक से अधिक खर्च करने की इजाजत नहीं होगी । यदि कोई ज्यादा खर्च करता है तो उस पर टैक्स लगे । इसी तरह से मोटर-गाड़ी या ऐय्याशी के अन्य खर्चे हैं, उस पर भी आप सीमा लगाएं, अधिक खर्च करने पर सरचार्ज लगाएं । जैसे कि मोटर की कीमत इस समय 32 हजार है, तो सरकार निश्चय करें कि वह 40 हजार रुपये में मिलेगी । इस तरह से अनेक साधनों से काफी काला-धन निकालकर हम उसे उत्पादक कार्यों में लगा सकते हैं और उत्पादक धन्धों में लगाकर समाज में उन्हें खोल सकते हैं । इस तरह बड़े-बड़े मकान और एयर कंडीशिनिंग हैं, उन पर भी सरकार को कानूनन नियन्त्रण लगाना पड़ेगा । आज प्रोडक्शन जो हो रहा है मिल और कारखानों में टेरिलीन जैसी जो चीजें बन रही हैं, उस पर भी सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। ऐय्याशी के जो सामान बन रहे हैं उन पर बिलकुल रोक लगा दी जाए । जबतक महंगाई समाप्त नहीं होती है, मुद्रास्फीति खत्म नहीं होती है, तब तक ऐसे उत्पादन बन्द रहें, सरकार इस बात का निश्चय करके प्रभावी कानून बनावें।

एक सदस्य—

ऐय्याशी से आपका क्या मतलब है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जो आप समझ रहे हैं, वह नहीं है । एक जरूरी की चीजें हैं और एक विलास की चीजें हैं । टेरिलीन ऐसी चीज नहीं है, जिससे आदमी का काम न चले । सबसे बड़े एक अर्थशास्त्री किन्स का कहना है कि प्रोडक्शन के मुकाबले में यदि सरकयूलेशन आफ मनी ज्यादा है तो मुद्रास्फीति अवश्य रहेगी । सबसे बड़ा उपाय है मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए कि कारखानों, फैक्टरियों में, फार्मों और खेतों में उत्पादन तेजी से बढ़ाया जाए। जब तक खेतों और कारखानों में उत्पादन नहीं बढ़ाया जाता सरकार का हर सम्भव प्रयास इस दिशा में नहीं होता है तब तक मुद्रास्फीति पर काबू नहीं पा सकते। मुद्रास्फीति का समय प्रोडक्शन बढ़ाने का सुअवसर होता है । इस मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिये सरकार को सारे प्रयास करने चाहियें कि हम खेतों की पैदावार बढ़ाएं । आज देहातों में खेतिहर

[श्री काशीनाथ मिश्र]

मजदूर हैं, एक की एक फौज भरती करनी चाहिये। सहकार को खेत मजदूरों की फौज से जो नयी जमीन तोड़ने लायक है उसको तुड़वा कर गल्ले की पैदावार बढ़ानी चाहिये। आज देहात की आर्थिक दशा यह है कि केवल भोजन पर खेत मजदूर मिल सकते हैं। सरकार भोजन और कपड़ा दे, कोई तनख्वाह की जरूरत नहीं है। लाखों मजदूर मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में डेढ़ करोड़ एकड़ जमीन ऐसी है जिसको खेती लायक बना सकते हैं और सारे देश में 10–12 करोड़ एकड़ जमीन खेती लायक बनायी जा सकती है। अन्न सेना की भरती करके, अन्न की पैदावार पर लगायें तो साल दो साल में मुद्रास्फीति पर काबू पा सकेंगे। और बहुत ज्यादा पैदावार इस मुल्क में बढ़ा सकते हैं। 1971 में हमारी इतनी पैदावार हो गयी थी कि हम अपनी आबादी को पूरा भोजन दे सकते थे लेकिन 74 में कुछ ऐसी आपत्तियां खड़ी हो गई कि जिससे प्रोडक्शन घटा और मुद्रास्फीति की यह स्थिति आ गयी। मैं सरकार से अपील करूंगा कि आज का समय प्रोडक्शन बढ़ाने में व्यतीत किया जाय, खेत और खलिहान की पैदावार बढ़ाने में। तब हम इस स्थिति पर काबू पा सकते हैं।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं तो बड़ी उम्मीद लगा रहा था कि माननीय तिवारी जी जो एक जमाने में समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक अपने को कहते थे, इस मुद्रास्फीति के बारे में कुछ कहेंगे। एक लचर दलील दी उन्होंने तमाम दुनियां के अन्दर मुद्रास्फीति है लिहाजा भारतवर्ष में भी है। हम मजबूर हैं। कुछ कर नहीं सकते। लिहाजा मजदूरों पर बोझ डाला गया। मैं तिवारी जी से यह पूछना चाहता हूं कि आप दुनिया की बात करते हैं। कौन सी दुनिया की बात करते हैं। अगर अमेरिका आपके लिये दुनिया है, इंगलैंड आपके लिए दुनिया है, फ्रांस आपके लिये दुनिया है तो सही बात है। पूंजीपति दुनियां में मुद्रास्फीति की स्थिति है। लेकिन दूसरी भी दुनिया है, समाजवादी दुनिया है। समाजवादी दुनिया के अन्दर मुद्रास्फीति का संकट नहीं है। पूंजीवादी दुनिया में मुद्रा स्फीति का संकट इतना गम्भीर होता जा रहा है और इस देश में भी 23 वर्षों के अन्दर जो आपने आर्थिक नीति बनायी है उसका नतीजा क्या हुआ ? पूरे देश की दौलत पर केवल 75 खान्दानों का कब्जा हो गया जो आज दो तिहाई प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। उनके ऊपर नियन्त्रण आप नहीं लगाएंगे। तो कौन सा तरीका है कि आप चीजों के दाम बांधेंगे। लगातार कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे दामों को बांधेंगे। जब तक आपने उन 75 खानदानों को नहीं पकड़ा, मानोपाली हाउसेज के तमाम कल कारखानों को अपने हाथ में नहीं लिया कौन सा रास्ता है कि आप देश में महगाई को बढ़ने से रोक सकें। एक तरफ मानोपलीज बढ़ती जा रही है। आप उनके ऊपर लगाम लगाना नहीं चाहते। आप लगातार उनको कंसेशन देते चले जा रहे हैं। बावजूद इसके कि मानोपलिस्टिक प्रेक्टिसेज कमीशन की रेकमेंडेशंस के, लागू कानून आपके सामने है, आप लगातार बिड़ला को कंसेशन देते चले जा रहे हैं। और इस प्रदेश के अन्दर हाल देख लें। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में देखें कि किस तरह से वह मानोपली हाउसेज के साझेदारी में मिल कर इस प्रदेश के अन्दर आप कारखाने खोलने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो मोनोपोलीज बढ़ रही है दौलत बढ़ रही है और दूसरी तरफ काला धन बढ़ रहा है। आप इस काले धन को क्यों नहीं रोकते हैं ? हम जानते हैं कि चुनाव हुआ और कम्पनियों के कानून में यह बंधन है कि राजनीतिक दलों को चन्दा नहीं दिया जायेगा। लेकिन इसके बावजूद चुनाव में खर्च करने के लिए करोड़ों रुपया कहां से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आया। आखिर देश के किसान और मजदूर तो आपको चन्दा दे नहीं सकते हैं। जब यह मामला सामने आता है तो समझ में नहीं आता कि आप इसको कैसे रोकेंगे। आप इसको रोक नही सकते हैं। आप सौ रुपये के नोट का डिमोनेटेलाइज क्यों नही करते हैं? जब तक आप ब्लैक मनी पर कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक मुद्रा स्फीति नहीं रोक सकते हैं।

आप मजदूरों के वैज फ्रीज की बात करेंगे, सरकारी कर्मचारियों की वेज फ्रीज की बात करेंगे। मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं कि आपने कौन से कदम ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिये उठाये हैं। चाहे केन्द्र में हो या प्रदेश में हो, दोनों जगह कांग्रेस की ही सरकार है। लेकिन आपने ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया है।

होता क्या है? जैसे कहा गया कि सीलिंग का बिल लाने वाले है। जब आपका बिल आया उससे पहले ही जैसा कि माननीय भीखालाल जी ने सूची पेश की थी कि किस तरह से भू-स्वामियों ने अपनी भूमि का प्रबंध करके उस कानून के उद्देश्य को समाप्त कर दिया। आज तिवारी जी ने कहा कि ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिये डिमोनेटेइज करने की बात हम सोच सकते है। अभी तिवारी जी ने संकेत किया है, किया कुछ नहीं है जिससे कैपीटेलिस्टस अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कंवर्ट कर लें। आप हर मामले में इन लोगों को लगातार कंसेशन्स दे रहे है।

आप अपना समाजवाद अपने पास ही रखिये। आज प्रदेश की जनता कहती है कि हमें सस्ती चीनी दीजिये, सस्ता राशम दीजिये, सस्ता डालडा दीजिये। आपका समाजवाद हमें नहीं चाहिए। जब डालडा वाले हड़ताल की बात करते है तो आप दाम बढ़ावे के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह से जब कपड़े के कारखाने के मालिक कहते हैं कि हम सूती कपड़ा नहीं बनायेंगे तो सरकार उनके सामने झुक जाती है और घुटने टेक देती है। इसी तरह से जब चीनी वाले कहते हैं कि हम सस्ती चीनी नहीं बेच सकते हैं तो आप चीनी के दाम बढ़ा देते हैं।

मान्यवर, जिन्दगी का तजुर्बा है और हमारा पिछला तजुर्बा है और मैं कहना चाहा हूं कि समाजवाद की बात अपने पास रखिये। आप इस प्रदेश की जनता को चीनी उस समय तक सस्ती नहीं दे सकते हैं जब तक कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? हमारी इस सरकार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने कहा, वीरेन्द्र वर्मा कमेटी का प्रस्ताव आया और केन्द्र के एटर्नी जनरल की राय है कि प्रदेश की विधान सभा सक्षम है कि वह चीनी मिलों को अपने हाथ में ले। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होती है। जब तक इसका राष्ट्रीयकरण नहीं करते तब तक आप जनता को सस्ती चीनी नहीं दे सकते हैं। वही हिसाब कपड़े का और वही बात डालडा का है। आपके पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि इन कारखानों को ले लें, पैदावार करें और उसकी कीमत बांधें। लेकिन आप इनको अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। आप कपड़े के कारखाने के मालिक को मजबूर नहीं कर सकते है कि वह सूती कपड़ा बनाये जब तक कपड़े के कारखानों को आपने हाथ में नहीं लेते हैं।

मान्यवर, रोज का मामला है। कहीं दूर नहीं जाना है। हमारी इस सरकार ने अनाज के बारे में क्या किया? पहले कह किया कि अनाज के व्यापार का राष्ट्रीयकरण करेंगे आप लगातार एक के बाद एक स्वामियों के समाने झुक रहे हैं। लगातार पूंजपतियों के समाने झुक रहे हैं। इसके बाद बड़-बड़े इजारेदार बढ़ रहे हैं। यह उपदेश किसको देते हैं। ये उपदेश देते हैं बेचारे सरकारी कर्मचारियों को, कारखाने के मजदूरों को और मेहनत कस मजदूरों को उपदेश देते हैं। माननीय मंत्री जी आप समाजबाद नहीं ला सकते हैं क्योंकि आप ऐसी अर्थ व्यवस्था का काम कर रहे हैं जो इसके विपरोत हैं। आपने कहा कि

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

हम इन्टरनेशनल मोनेटरी फन्ड पर डिपेन्ड करेंगे । मैं कहता हूं कि समाजवाद तो दूर रहा आप छोटी-मोटी समस्याओ को भी हल नहीं कर सकते हैं । यह संकट बुनियादी है और इसका हल भी बुनियादी है । आप मजदूरों की तनख्वाहें तब बढ़ाते हैं जब महंगाई बढ़ती है । होता क्या है जब कास्ट इन्डेक्स बढ़ता है तब आप मजदूरी या तनख्वाहें बढ़ाते हैं ? मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से देश की अर्थ व्यवस्था नहीं सुधर सकती है । यह बुनियादी संकट है इस संकट को दूर करने के लिए आपको बुनियादी और क्रान्तिकारी कदम उठाना पड़ेगा ।

श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय अध्यक्ष जी, यह महंगाई और मनुष्य की आवश्यक वस्तुओं का प्रश्न आरोप और प्रत्यारोप से हल नहीं हो सकता है । हमें यह देखना होगा कि इसकी जड़ों में कौन-कौन सी दिक्कते हैं जो यहां के मेहनत कश मजदूरों के सामने एक बड़ा संकट पैदा कर रही हैं और खुदगर्ज लोग नाजायज तरीके से फायदा उठा रहे हैं । यह कहना कि महंगाई सरकार रोक दे, तो मेरा निश्चित मत है कि चाहे केन्द्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो उसे सख्ती के साथ रोकना चाहे तो भी नहीं रोक सकती है । मिसाल के तौर पर पेट्रोल की महंगाई को ले लीजिए । पैट्रोल की महंगाई अरब देशों में अमेरिका की साजिस से इजराइल ने हमला किया और उसकी वजह से इसमें बहुत ही महंगाई बढ़ी । अब प्रदेश को सरकार के सामने या केन्द्र की सरकार के सामने उसका हल निकालने का क्या तरीका है । इसके सामने यही तरीका है । भारत अपनी इज्जत को रखते हुए किसी के सामने झुका नहीं । दूसरे देश अमेरिका के सामने झुक गये जिससे उनको यह सामान उपलब्ध हो गया । मैं भारत सरकार तथा अन्य प्रान्तीय सरकारों को मुबारकबाद देता हूं जो अमेरिका के सामने पेट्रोल के लिए झुकी नहीं । सम्मान के साथ जितना प्राप्त हुआ उससे काम चला रही है ।

लेकिन एक बात यह भी यथार्थ है कि जितना भी है उस चीज को सही ढंग से चलाया जा रहा है और उससे कोई चीज बंद नहीं होने पाई । कमी हुई है, दिक्कतें हुई हैं लेकिन उससे उत्पादन में कमी हुई है । दूसरे में आपसे अर्ज करता हूं । आप ल लीजिए अनाज की कमी । क्या यह तथ्त नहीं है ? भाई गोविन्द सिंह, भाई देहलवी जी के दिल में जो है वह हमारे दिल में भी है, मैं उसको गलत नहीं मानता । लेकिन इसकी जड़ में जाना होगा । क्या यह सत्या नहीं है कि पिछले 2–3 साल से अनाज की कमी हुई है, अकाल की वजह से, वर्षा की वजह से, बाढ़ की वजह से, सूखे की वजह से ? एक बात यह भी है कि हमको बंगला देश को बहुत बड़ी तादाद में अनाज देना पड़ा । बफर स्टाक खत्म हो गया भारत सरकार का प्रदेश की सरकार का, जो पाकिस्तान अमेरिका और चीन की साजिश से बंगला देश पर हमला किया उसका भारत सरकार ने मुकाबिला किया । मैं उसका फल समझता हूं, हमें रत्ती भर रंज नहीं है । हो सकता है आपको रंज हो । अगर हमको अनाज की कमी हुई है बाढ़ की वजह से या सूखे की वजह से । उसका उपाय है कि हम अपने अनाज का उत्पादन बढ़ावें । खेती में तरक्की करें न कि दूसरे मुल्क के समाने जाकर गिड़-गिड़ायें ।

श्री मोती लाल देहलवी--

पी० एल० 480 पर फिर विचार हो रहा है इनको पता ही नहीं है ।

श्री ईश्वरी सिंह--

मान्यवर, मैं यह भी जानता हूं कि क्या विचार हो रहा है और क्या विचार हुआ है और क्या विचार है, वह भी जानता हूं ? आज भारत में इस अकाल, बाढ़ और बफर स्टाक की बंगला देश की लड़ाई में खत्म हो जाने के कारण, आज दो वर्ष से हमारे देश में अनाज

की कमी हुई है। रूस जैसे देश में भी आज अनाज की कमी है। रूस जैसा देश अन्य देशों से गल्ला खरीद रहा है। माफ कीजिएगा कि अपोजीशन के अन्दर इतनी ताकत नहीं है कि किसी गलत काम करने वाले को हटा सके। हमारे अन्दर एहसास है, जो भी शासक दल गलत काम करेगा, उस मंत्री का वहां पर विरोध किया जायगा, उस मंत्री को वहां पर रखकर गड़-बड़ नहीं किया जायगा। एक आदमी को मंत्री से हटाकर राष्ट्रपति बनाना यह तो उसकी और तारीफ करना है। माफ कीजिएगा उसका डिबेट से संबंध नहीं है। मैं यह कह रहा था कि यह जो कारण है महंगाई के बारे में, उत्पादन की कमी है और सबसे बड़ा कारण जो मैं समझता हूं मंहगाई का आज जो नम्बर दो का पैसा है वह व्यापारियों ने सारा सामान जखीरे-बाजी में खरीद कर, रोक कर रख लेना है क्योंकि उन्हें डर है कि पैसे का डिवेल्यूयेशन न हो। नम्बर दो का पैसा न पकड़ा जाय।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मंत्रियों की साठ-गाठ से व्यापारियों ने रखा है।

श्री ईश्वरी सिंह—

लेकिन मैं यह समझता हूं कि आज जो महांगाई है उसके कारणों पर गहराई से अगर विचार करें तो सबसे प्रमुख कारण आवश्यक वस्तुओं की कमी है। आज जखीरेबाजों ने जिनके पास नम्बर 2 का पैसा है, सारा सामान है, जैसे डालडा है, खरीद रखा है और मैं समझता हूं कि सियासी जो लोग हैं, चाहे वे विरोध पक्ष के हों या कांग्रेस पक्ष के हों, इस प्रकार के जलील व्यापारी लोगों को प्रोत्साहन देंगे, उनसे बढ़कर गिरावट हमारे अन्दर और कोई नहीं हो सकती है।

एक सदस्य—

क्या सरकार ने किसी को पकड़ा है?

श्री ईश्वरी सिंह—

सरकार ने पकड़ा है और आप लोगों ने बचाया है। आप लोग केवल यह चाहते हैं कि सरकार सब कुछ करें। आप और हम जनता के प्रतिनिधि हैं, भिन्न-भिन्न जिलों में तमाशा देखते रहते हैं। अब आपके और हमारे अन्दर वह आग पैदा हो जायगी, या तो जनता के प्रतिनिधि हैं, चाहे वे नगर पालिका के सदस्य हों, या जिला परिषद् के सदस्य हों अपने-अपने कार्यकर्ताओं को लेकर इन्कलाब नहीं करेंगे या जखीरेबाजों का पर्दाफाश नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलने वाला है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

विदेशी बैंकों में अरबों रुपया कैसे जमा है। सब कांग्रेस के मंत्रियों का जमा है।

श्री ईश्वरी सिंह—

केवल यह कहना कि आज महंगाई मंत्रियों की साजिश से या सरकार की साजिश से हो रही है, गलत है। आज यह एक गम्भीर समस्या है, इस पर हमें गम्भीरता से विचार करना है। हमारे प्रदेश में भी महंगाई का मूल कारण आवश्यक वस्तुओं की कमी है। इस पर सब लोगों को मिलकर सोचने की आवश्यकता है। तब हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि अगर इस समस्या का समाधान करना है तो सबसे पहले सरकार को इन जखीरेबाजों के खिलाफ, बिना सियासी पार्टियों का ख्याल किए हुए सख्ती करनी होगी और जो माल उन्होंने छिपा रखा है, चाहे वह प्रदेश के अन्दर हो या प्रदेश की सीमाओं के पास हो, उसको निकलवाना होगा। दूसरा प्रयत्न इस सरकार को उत्पादन में वृद्धि करनी होगी अन्यथा कोई समस्या हल होने वाली नहीं है।

[श्री ईश्वरसिंह]

भाई गोविन्द सिंह जी ने एक बुन्यादी सवाल उठाया कि सरकारी कर्मचारियों या मिलों में या कारखानों में काम करने वालों के वेतन स कम्पल्सरी डिपोजिट की स्कीम से समस्या हल नहीं हो सकती है । मैं जानता हूं कि इससे समस्या हल नहीं हो सकती है लेकिन यह भी कदम जरूरी था । मैं इसको गलत नहीं मानता हूं । लेकिन यह कहना कि इससे सारी समस्या का हल हो जायगा, उचित नहीं है । यह कदम उठाने का बहुत छोटा-सा अंश है । सबसे बड़ा कदम यह होगा कि हम अपने खेतों में, कल कारखानों में उत्पादन बढ़ाने की चेष्टा करें, कोशिश करें । साथ ही साथ जिन जखीरेबाजों ने माल को छिपा रखा है, या सियासी असर में उसको छिपाने की कोशिश करते हैं, उनको पकड़ कर मैदान में लायें और सामान को मैदान में लायें और उसके लिए अगर हमें सदन से कोई सख्त कानून भी बनवाना पड़े, तो उसे पास करवायें । तब जाकर महंगाई का हल होगा वर्ना यह प्रचार करना कि सरकार ने जरूरत से ज्यादा करेन्सी नोट छाप कर महगाई कर दी, गलत होगा । मैं मुद्रास्फीति का एक कारण यह भी समझता हूं कि अमेरिका के पास जो गेहूं आने का मूल्य का बकाया पैसा है, जिसको कोलम्बो प्लान कहते हैं वह सी० आई० ए5 के हाथ में लगा है, उस पैसे से भी हिन्दुस्तान में साजिश की जा रही है और हमारे प्रदेश में साजिश की जा रही है । मुझे अफसोस है कि मेरे बहुत से पुराने दोस्त, बड़े-बड़े नेता, साजिश के चक्कर में हैं, अपने अपने इलाकों म काम कर रहे हैं । सियासत से चले जाने के बाद फिर पोलिटिक्स में आना चाहते हैं । अभी हमारे देहलवी साहब ने धमकी दी थी । माफ कीजिये, जयप्रकाश जी आपके लिए खुदा हो सकते हैं । हमारे पुराने साथी हैं । उनके साथ में अपनी सियासी जिन्दगी के 40 वर्ष बिता चुका हूं ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

जयप्रकाश जी की आलोचना मत कीजिये । चुप-चाप बैठिये । आप पूंजीपतियों के दलाल हैं, आप स्वयं सी० आई० ए० के ···

श्री ईश्वरी सिंह—

जयप्रकाश जी महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलायें, हमको कोई रत्ती भर डर नहीं है । शौक से यू० पी० में आयें । लेकिन अगर गलत आन्दोलन चलायेंगे तो उनके दोस्त के नाते से हम उनका मुकाबला करेंगे । वैसे में उनका इस्तकबाल करूंगा । मैं उन मित्रों में से हूं कि मैंने उनसे कह दिया कि जयप्रकाश जी, आप भूदान में जा रहें हैं, याद रखिये, आप सक्रिय राजनीति से अलग हो रहे हैं । एक दिन आयेगा जब सक्रिय राजनीति में घुसने के लिए आप तड़फड़ायेंगे, आन्दोलन करेंगे । ठीक है, वह सक्रिय राजनैतिक आन्दोलन में आयें देश का मार्ग-दर्शन करें । मैं सबसे पहले उनको बधाई दूंगा, लेकिन इस तरीके से इस एक चीज की आड़ में सियासी बल बना करके अराजकता पैदा करना या अवांछनीय तत्वों को साथ लेकर अशान्ति फैलाना यह गलत तरीका है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

आप बैठिये, आपने मक्खनबाजी अच्छी की है सरकार की ··· (व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि जब कोई चीज उठाते हैं तो उसका जवाब भी मिलता है ।

*श्री त्रिवेणी सहाय—

माननीय अध्यक्ष जी, इस बात में कोई भी दो मत नहीं हो सकते हैं कि मुद्रा स्फीति को रोकने का प्रयास होना चाहिए । लेकिन अगर उसके लिए लोगों से सुझाव मांगे जाते

---

*वक्ता ने भाषण का सर्वेक्षण नहीं किया ।

कि वह कौन-कौन से मुद्दे हैं जो पहले टेकअप करने चाहिए थे। हमारा जो मेन प्वाइन्ट है वह यह है कि क्या पहले मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए यहां से कार्यवाही शुरू करनी चाहिए थी या वहां से शुरू करनी चाहिए थी? क्या मुद्रा स्फीति के लिए जो प्लानिंग कमीशन ने आपके सामने सुझाव दिये थे उनके तहत क्या आपने कभी विचार किया? तो ऐसा लगता है कि प्लानिंग कमीशन ने विचार रखा था कि उत्पादन बढ़ाया जायगा, अनुत्पादक खर्चे कम किये जांयगे, बिजली का उत्पादन बढ़ाया जायगा। जितने ऐसे इकोनामिक प्रोग्राम हैं उनको एक एक ही में बांध करके उसके आधार पर योजना बनेगी, आदि आदि विषयों को रखा था। डेफिसिट फाइनेंसिंग को खत्म किया जायगा। ये ऐसे मुद्दे थे जो प्लानिंग कमीशन ने सोंचकर बताये थे, लेकिन सरकार ने उन मुद्दों पर कुछ नहीं विचार किया। पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आज सरकार इन्फ्लेशन रोकने के नाम पर जो उठा रही है वह उन्होंने सबसे आसान समझा कि इसे पहले उठाना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं तिवारी जी कालाबाजारी रोकने के लिए आपने कौन से कदम उठाये? देश के अन्दर जो चोर बाजारी करने वाले लोग हैं उनको पकड़ने, मारने के लिए कौन से कदम उठाये? जखीरेबाज लोग है, उनको खत्म करने के लिए कौन से कदम उठाये?

आपके सामने तो देश के जो कर्मचारी हैं उनकी गर्दन आसान पड़ी। "अन्धेर नगरी चौपट राजा" वाली कहानी में है कि जब मोटे आदमी गर्दन फांसी के फन्दे में नहीं समायी तो उसने कहा कि कोई आदमी ढूंढ़ लाओ जिसकी गर्दन इसमें आती हो उसी को नाप दें। "स्वतन्त्र भारत" ने एक बड़ा अच्छा कार्टून छापा है। उसकी हेडिंग है सींग न छू सको, दुम काटो। अंग्रेजी में है, 'वी डेयर नाट टेक दि बुल आई दि हार्न सो वी हैव टेकेन हिम बाई दि टेल'। और उसमें एक सांड़ दिखाया है। आगे है ब्लैक मनी और अन्डर प्रोडक्शन उसमें खाना खा रहा है और पूंछ काटी जा रही है।

आपने जो अभी दो आर्डिनेन्सेज निकाले पार्लियामेंट में वह पेश किये गये। उसकी कापी मेरे पास है। इसके 21 क्लाज हैं। इसको इतना सजा करके रखा गया है कि अगर इसके इक्कीसों क्लाज पढ़े जायं तो ऐसा लगेगा कि मानो कोई डाकू बड़े बढ़िया कपड़े में लपेट कर रख दिया गया हो जो सब छीन लेगा। इससे 1 करोड़ 80 लाख देश के कर्मचारी प्रस्तावित हुये। आप कहते हैं कि वेतन जाम नहीं है। इसमें से 30 लाख केन्द्रीय कर्मचारी हैं, 46 लाख राज्य कर्मचारी हैं। 61 लाख ऐसे हैं जो लोकल बाडीज आदि में हैं और 25 लाख प्राईवेट कम्पनीज के हैं। उनके लिये आपने कहा कि जो एडिशनल डियरनेस एलाउन्स होगा उसका आधा कट कर दिया जायगा। इस तरह से साढ़े नौ सौ करोड़ रुपया हम इकट्ठा कर लेंगे। अगर ऐसा था तो तिवारी जी जरा कान खोलकर सुन लें कि साढ़े 9 सौ करोड़ रुपये के लिये आपने उस छोटे कर्मचारी की गर्दन नाप दी, अगर आपने सूझबूझ से काम लिया होता तो अरबों रुपया जमा हो जाता इसी उत्तर प्रदेश में। प्रश्नों के माध्यम से पूछा गया कि कितना रुपया सेल्स टैक्स का बकाया है। 60 करोड़ बकाया है। हमारे जिले में ढ़ाई करोड़ कृषि कर बकाया है, इंडस्ट्रीज की बकाया है, कोआपरेटिव का बकाया है। हर जिले का जोड़ा जाय तो अरबों रुपया होगा। और यह कब का बकाया है? यह कोई एक दिन का बकाया नहीं है यह 20-25 साल से लोगों ने कर्जा लेकर पैसा अपनी जेब में रखा है। उनसे मय सूद व्याज के वसूलना चाहिये था। वह आप नहीं कर सकते। आप इससे भागेंगें। इसलिये भागेंगे कि जो आपके पीछे एक पल्टन खड़ी है, शंकर की बारात, यह ऐसी है जो शामिल बाजा है। माननीय नारायणदत्त तिवारी ने एक बाजा बजाया और सब लोगों से कहा कि हमारा बाजा भी बजेगा।

काशीनाथ जो मिश्र जो पहले सोशलिस्ट थे अब उनको ऐसा लगता है जैसे सावन के अन्धे को हरा ही हरा दिखायी देता है। क्या महंगाई नहीं बढ़ी है? 20 साल के आंकड़े

[श्री त्रिवेणी सहाय]

उठाकर देखिये। हर चीज के दाम सुई, धागा, अगरबत्ती, दियासलाई, गेहूं, चावल, दाल, धोती, कपड़ा, मशीन, हर चीज के दाम बढ़ गये। और दाम किसने बढ़ाये ? हमारे लिये मुश्किल यह है कि सरकार में आप भी बैठे हुये हो, अगर हम कहें कि हमने बढ़ा दिये तो यह हमारे लिये बहुत ही गैर जिम्मेदार बात होगी। अगर बढ़ाये तो आपने। आपकी सरकार वहां पर है और आप ही की सरकार दिल्ली में है। आप कहते हैं कि हमने नहीं किया, अपने आप हो गया। किया है आपकी गलत नीतियों ने। सन् 66 में रुपये का अवमूल्यन हो गया। उस समय 20 परसेंट दाम बढ़ गये। उस समय रुपये का अवमूल्यन क्यों हुआ ?

(व्यवधान)

एक सदस्य—

आपके अशोक मेहता निकाले गये थे।

श्री त्रिवेणी सहाय—

अशोक मेहता या मोरारजी देसाई सब आपकी तरफ थे।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

निकाले नहीं गये थे, त्याग-पत्र दिया था (व्यवधान)

श्री त्रिवेणी सहाय—

उन्होंने इस बात की कोशिश की थी और सुझाव पहले ही दिया था कि मुद्राएफीत को रोका जाय। वे बड़े ही सूझबूझ के व्यक्ति थे। आप तो ऐसा करते हैं कि जब घर में आग लग जाये तो कुंवा खोदने लगते हैं। गेहूं के मामले में भी आपकी नीति यही रही। पाठ्य-पुस्तकों तथा कापियों के बारे में भी यही नीति आपकी रही। मई, जून तथा अप्रैल तक के महीने में आपने कुछ नहीं सोचा, पहली जुलाई को जब स्कूल खुल गये तब आपको दिखाई दिया कि कागज की कमी है, पुस्तकों की कमी है, और आपने पहली अगस्त ही तक के लिये स्कूलों को बन्द कर दिया। अगर पहले ही इस पर सोच लिया होता तो यह नौबत क्यों आती। इससे बड़ा फेल्योर आपका और क्या हो सकता है ? जब भी बजट आता है, सरकार की ओर से बड़ी डींग मारी जाती है मुद्रास्फीत रोकने के लिये। मगर देखने में आता है कि शुरू में डेफिसिट बजट दिखाकर टैक्सों के रूप में जनता की जेबों से पैसा खूब खींचा जाता है और बाद में वही बजट सर्पलस में तब्दील हो जाता है। पिछले 20 वर्षों से बराबर यही देखने में आ रहा है। आपके बजट के डिफेक्टिव सिस्टम के कारण यह हो रहा है। केन्द्र में भी यही होता है। वेतन जाम करने से मुद्रास्फीत को रोका नहीं जा सकता, इसका कन्ट्रोल करने के लिये मेरा निवेदन है कि सरकार को अन्य आवश्यक कदम उठाने चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

अब समय नहीं है। कृपया बैठें।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

माननीय, मैं सोच रहा था कि विरोध पक्ष से कुछ ऐसे कान्सट्रक्टिव सुझाव आयेंगे इस मुद्रास्फीत को रोकने के लिये जिससे इसको वास्तव में रोका जा सकता है। मगर किसी भी माननीय सदस्य की ओर से कोई ऐसे सुझाव नहीं आये। माननीय त्रिवेणी सहाय जी ने कहा कि कौन-सा माई का लाल ऐसा होगा जो कहेगा

कि महंगायी नहीं बढ़ी है। वह एक वास्तविकता है, उससे कौन इनकार करेगा ? मोतीलाल जी ने कहा कि 27 सालों से महंगायी बढ़ रही है। मैं कहता हूं कि पिछले 35 सालों से वह बढ़ रही है। जब दूसरा बड़ा युद्ध शुरू हुआ था, उसी समय से महंगायी बढ़ना शुरू हो गयी थी और उसका क्रम आज तक जारी है, आज तक वह बढ़ती चली जा रही है। यह एक वास्तविकता है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है। लेकिन उसके पीछे जो कारण हैं और सरकार ने समय समय पर जो कदम उठाये हैं उस पर भी हमको गौर करना होगा। हमारे भाई गोविन्द सिंह जी ने कहा जब आप कहते हैं कि महंगाई की व्यवस्था है तो आप यह भूल जाते हैं कि कुछ समाजवादी देशों में भी मुद्रास्फीति का संकट नहीं है। यह बात उनकी सही है लेकिन मैं बड़े अदब से कहना चाहूंगा कि उसकी कीमत सोवियट यूनियन को और जो उसके दूसरे साथी देश है उनको कितना अदा करनी पड़ी है उसके ऊपर भी वे गौर करेंगे। उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा लेकिन यह जरूर चाहूंगा कि जो अलग अलग व्यवस्था में है, उसमें कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है। जिस प्रोसेस में हम लोग हैं, जिस जगह हमने अजादी ली, और जो अर्थ व्यवस्था हमारे पास थी वह शनः धीरे-धीरे समाजवाद की ओर ले जाने की कोशिश है। उसके चलते बहुत सी कठिनाइयां पैदा होने वाली हैं, इसमें कोई दो राये नहीं हैं।

उधर जो माननीय सदस्य विरोधी पक्ष में बैठे हैं उन्होंने यह जानना चाहा है कि इसको रोकने के लिये आपने कोई कदम उठाया है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि सारी दुनिया में एक दूसरा भी फेनोमेना है और उसमें समाजवादी देश भी शामिल हैं। उसमें नौकरशाही ही एक यंत्र है। श्रीमन्, अगर मैं भूलता नहीं हूं तो सन 1954 का समय था जब कि यूगोस्लावेकिया के एक लेखक मिसोवान जिसास ने एक किताब लिखी जिसका बहुत महत्व है-- दी न्यू क्लास उसने उसमें लिखा है कि जितने भी समाजवादी देश है उसमें एक नई समस्या पैदा हो गयी है और वहां नौकरशाही का एक तीसरा वर्ग पैदा हो गया है जो जितनी भी बड़ी-बड़ी योजनायें होती हैं, जितनी सुविधायें होती हैं, सुख होता है, उसका इस्तेमाल समाजवाद का यह नया वर्ग बढ़ कर करता है। वही समस्या आज हमारे देश में भी है। आप कानून की बात कहते हैं तो कानून बनने के लिये बनता है लेकिन उसका इम्पलिमेंटेशन जिन लोगों के हाथ में होता है, आज देश का दुर्भाग्य है कि उसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो उसी नये वर्ग के अन्दर शामिल होना चाहते हैं।

एक बात मैं और कहूं कि एक असैंसियल कमोडिटीज ऐक्ट बना था, छापे भी बहुत से मारे गये। जिस वक्त कानून में सजा दी जाती है तो यह लिखा जाता है कि कम से कम 6 महीने की सजा और 2 हजार रुपया जुर्माना होगा। तो इस देश में यह होता है कि वह इंसपेक्टर जो मिलावट करने वाले को पकड़ता है, अगर वह पहले 10 रुपये घूस लेता था तो अब कहता है कि अब तो 2 हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है लिहाजा 200 रुपये लेंगे। यह ऐसी समस्या है जिससे आपको भी उलझना पड़ेगा। आज संयोग कहिये या सौभाग्य कहिये, इधर हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जिस दिन आप इधर आयेंगे तो आपको भी उस समस्या से उलझना पड़ेगा। यह कहा गया कि अनप्रोडक्टिव खर्चे को कम कर दिया जाय। लेकिन अनप्रोडक्टिव खर्चे भी दो तरह के होते हैं। एक तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है और एक अनडेवलपिंग एक्सपेंडिचर होता है डेवलपमेंट सम्बन्धी बहुत से काम सरकार को करने पड़ते हैं लेकिन उससे कोई उत्पादन नहीं होता, लेकिन उन खर्चों को आप रोक नहीं सकते। मान्यवर, मिसाल के तौर पर जौनपुर में एक पुल बन रहा है। सवा करोड़ रुपये की लागत से यह पुल बन रहा है। यह सवा करोड़ रुपया, सामान की ढुलाई मजदूरी और इसी तरह के अन्य कार्यों में खर्च किया जायेगा। और इस तरह से यह सवा करोड़ रुपया मारकेट में आ जायेगा। अब यह देखने की बात है कि इस सवा करोड़ रुपये से कोई ऐसा साधन नहीं बनेगा जो मार्केट में आये। जिसको कि कोई

[श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव]

खरीद सके। तो इस तरह से यह जो सवा करोड़ रुपया मार्केट में आ जायेगा इससे कीमतें तो बढ़ेंगी ही। क्योंकि इस सवा करोड़ रुपये से उत्पादन जैसी कोई चीज बाजार में नहीं आयेगी और केवल रुपया आयेगा जिससे मंहगाई बढ़ेगी। यह पैसा अन-प्रोडिक्टिव चीज पर लगेगा।

एक सदस्य—

माननीय, ब्रिज को आप अन-प्रोडक्टिव चीज कहते हैं।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

अन प्रोडक्टिव चीज मैं नहीं कहता। लेकिन इस तरह से जो पैसा लगेगा उससे उत्पादन बढ़ने की कोई बात नहीं होगी। यह तो अन-डेवलपमेंट के काम हैं और इन कामों को तो हमें करना ही पड़ेगा और इसमें पैसा तो लगेगा ही। चूंकि पैसा लगेगा इसलिये कीमतें जरूर बढ़ेगी। इस बात को आप रोक नहीं सकते हैं। अगर इधर के बैठने वाले कहते हैं कि हम रोक लेंगे तो वह रुकने वाली नहीं है।

हमारे एक भाई मोनोपली कमीशन की बात कर रहे थे। कह रहे थे कि मोनोपली बढ़ती जा रही है। मोनोपली कमीशन बैठा था उसकी रिपोर्ट भी आ गयी है। अगर बिड़ला साहब को कोई कंसेशन दिया जा रहा है, सरकार दे रही है तो वह मजबूरन दे रही है। श्रीमन् भाई गोबिन्द सिंह नेगी कह रहे थे कि सरकार बिड़ला को रियायतें दे रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। केरल में जब कम्युनिस्ट सरकार थी तो वहां के चीफ मिनिस्टर ने बिड़ला साहब से कहा था कि आप हमारे यहां पर कल कारखाने लगाइये। हम आपको छूट देने के लिये तैयार हैं। मैं अपने कम्युनिस्ट भाइयों का ध्यान इस पर दिलाना चाहता हूं। इसके पीछे कारण था, सरकार की मजबूरी थी कि वह पूंजीपतियों का इस्तेमाल करे। और जिससे कल कारखाने लग कर विकास हो।

माननीय, यह जो बहस हो रही है यह एक मानों में निरर्थक हो रही है, क्योंकि मुद्रा स्फीति का ताल्लुक ज्यादातर केन्द्रीय सरकार से है। पर हमारी सरकार भी इस तरफ ध्यान दे रही है। वह बातें देखी जा रही हैं जिनकी वजह से मुद्रा स्फीति बढ़ रही है। हमने बजट के दर्मयान भी कहा था कि सरकार खर्च में किफायत कर रही है। मोटर नहीं खरीद रही है, फर्नीचर नहीं खरीद रही है, नये एप्वाइंटमेंट नहीं कर रहा है। ऐसे ही तमाम चीजों की तरफ हमारी सरकार ने भी ध्यान दिया है। हमारे हाथ में जो चीजें हैं उनको किया जा रहा है। इन बातों को यहां लाने से कोई फायदा नहीं है। मैं कहता हूं कि जमाखोरों, चोर बाजारियों और मिलावट करने वालों के बारे में आप कहें और हम और आप इन चीजों को मिलकर लायें तो किसी हद तक सफलता मिल सकती है।

*श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

माननीय, अभी जो बात कही गयीं उनके बारे में मुझे सिर्फ दो बातें कहनी हैं। एक तो अभी जिक्र किया गया कि जय प्रकाश नारायण जी का आन्दोलन अगर महंगाई और ऐसी ही जो चीजें हैं, उनके खिलाफ होता तो हम उनका साथ देते। आप क्या समझते है कि उनका आन्दोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ महंगाई के खिलाफ नहीं हैं। और जो यह कहते हैं कि वह विधान सभा भंग कराना चाहते हैं और नये चुनाव कराना चाहते हैं, जनतंत्र को खत्म करना चाहते हैं तो इस बारे में मुझे कहना यह है कि यह जो प्रचार किया जा रहा है मूल बातों को छोड़कर उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय, अभी सिंह साहब ने जमाखोरों की बात कही। क्यों, सरकार के ऊपर जब कोई विपत्ति पड़ती है तो कोई न कोई बहाना ढूढ़ लिया जाता है। नाच न आवे आंगन टेढ़ा। सरकार जो गल्ती करती है कभी उसको विरोधी पक्ष पर, कभी कर्मचारियों पर और कभी प्रकृति पर उसका बोझ डाल देती है। अब यह बहाना सरकार अफसरों और जमाखोरो का नाम लेकर कर रही है। मैं तो भाई ओम प्रकाश और भाई ईश्वरी प्रसाद जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कभी इस सरकार ने किसी डालडा मिल के ऊपर छापा मारा है। एक भी मिल पर छापा मारा गया हो तो बतायें। क्या कभी किसी आटा मिल पर छापा मारा गया है, या कभी किसी कपड़ा मिल पर छापा मारा गया है। क्या आप बता सकते हैं। क्योंकि इनके यहां धंधा चल गया है। वह डीलरों से ज्यादा दामों पर लेते हैं और ब्लैक करते हैं। हमारे मित्र श्री धीरेन्द्र सहाय ने पीलीभीत का मामला उठाया जहां कि डालडा के कई ट्रकों का मामला आया और उसको अल्प सूचित प्रश्न के जरिये उठाया गया किन्तु उसको भी दबा दिया गया। छापे मारे गये लेकिन किसके यहां? वह मामूली लोगों के यहां छापे डाले गये। बड़े आदमियों को छुआ तक नहीं। मैं नहीं जानता कि व्यापारी किसके साथ में हैं लेकिन कारण जो है उस कारण में बड़े व्यापारी 99 प्रतिशत आपके साथ में, सत्ता के साथ में हैं।

एक सदस्य—

क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में जो आंदोलन चल रहा है। भाई जयप्रकाश जी ने किस जखीरेबाज का जखीरा बाहर निकाला है?

श्री राम सेवक यादव—

आपकी बात की हम क्या कहें छोड़िये इसको। तो मैं कह रहा था कि यह जो व्यापारी वर्ग है वह हमेशा सत्ता के साथ रहते हैं और चूंकि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पूंजीपति रहते हैं इसलिये वे आपके साथ हैं। बिड़ला साहब भी समाजवादी हैं इसलिये उनको छुआ नहीं गया। हमारे जिले में जो आपके दल के एक सदस्य हैं उनके खिलाफ 82-83 की कार्यवाही भी हुई लेकिन वह भी पूरी नहीं हो पायी और उनको पकड़ कर छोड़ दिया गया। इसलिये मेरा कहना है कि जखीरेबाज पर हमला कहीं नहीं हो रहा है। जखीरेबाजों के खिलाफ कुछ बोलकर के आप अपनी कमजोरियों को छिपा देते हैं क्योंकि उनसे आपकी दोस्ती है। इसी प्रकार विद्युत परिषद् का मामला उठा था तो साफ हो गया था कि बड़े लोगों से किस प्रकार सांठ-गांठ चलती है। आज ही एक प्रश्न उठा था कि राष्ट्रपति शासन काल म राज्यपाल के सलाहकार के लिये 1047 रु० की एक कुर्सी खरीदी गई थी। तो समाजवादी हिन्दुस्तान में जहां भीख अन्न की मांगी जाती है और जहां 20 प्रतिशत से कम आमदनी एक व्यक्ति की है वहां राष्ट्रपति के शासन में, कांग्रेस के शासन और समाजवाद के शासन में जो राज्यपाल महोदय हैं यह भी राज्य सभा के मेम्बर रहे हैं और कांग्रेस दल के आदमी रहे हैं कोई बाहर के आदमी नहीं हैं उनको 1,047 रु० की कुर्सी चाहिये। आप अपने पी० डब्लू० डी० तथा सिंचाई विभाग के इंजीनियरों को देखिये तो वह बड़ी शान शौकत से रहते हैं और फिजूल खर्ची करते हैं। इसलिये आप उन पर रोक नहीं लगाते हैं। आप जबतक इन पर रोक नहीं लगायेंगे तब तक मुद्रा स्फीत की समस्या को नहीं रोक सकते हैं। यह आप पर जितना लागू होता है उतना ही दिल्ली पर भी लागू होता है। इसलिये इसमें आप कमी करें। इसको अध्यक्ष जी आप भी मानते होंगे। हम तो चाहते हैं कि आमदनी और खर्च दोनों की सीमा बांधते। लेकिन आज हिम्मत नहीं है कि सीमा बांध दें। मेरी सलाह मान लीजिये और कम से कम खर्च को सीमा उत्तर प्रदेश में बांध लें कि इतने से कोई ज्यादा नहीं खर्च कर पायेगा

[श्री राम सेवक यादव]

चाहे वह नौकर हो, अधिकारी हो या चाहे आपके पक्ष का आदमी हो। उस सीमा को बांधने में कौन सी दिक्कत है क्योंकि उस सीमा को बांधने से खर्चे में कमी आयेगी। सीमा न बंधने से शानशौकत बढ़ती जा रही है। यह एक बीमारी है जो मंत्री से लेकर नीचे कलेक्टर तक देख सकते हैं। चारों ओर शानशौकत का समुद्र हिलोरे मार रहा है और उसमें अगर आप कर्त्तव्य का टापू खड़ा रखना चाहो तो वह नहीं खड़ा रह सकता। वह जायेगा। यह सम्भव नहीं है। इसलिये मैं कहता हूं कि सीमा को अवश्य बांधा जाय।...

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)—

माननीय, कोरम कम है।

श्री राम सेवक यादव—

शायद तिवारी जी ने बोलते हुये मुद्रा स्फीति को रोकने के लिये 100 रुपये के नोटों को गिराने की बात कही थी कि वह 70 रुपये का रह जाय। इस सिलसिले में आप जानते होंगे कि एक वांचू कमेटी बनी थी। उसने कुछ सुझाव दिये थे। उसमें 100 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण का सवाल था। मैं यह चाहता हूं कि वह सवाल उठे, इस विधान सभा की ओर से मैं यह चाहता हूं कि सरकार की ओर से यह मांगा जाय कि 100 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण हो जाय। ताकि कम से कम जो लोगों ने खरीदने की शक्ति बढ़ गई है बड़े लोगों में, जो दूसरे लोगों का हक मार रहे हैं, उसे रोक लेंगे। इस तरह से लोगों की खरीदने की शक्ति पर रोक लगेगी। लेकिन मैं जानता हूं कि इनसे यह भी नहीं होगा। तो मैं आपसे यह निवदन करना चाहता हूं कि अगर आप इतना नहीं कर सकते हो तो इतनी हिम्मत के साथ यह कह दो, जैसा भाई ओम प्रकाश जी ने कहा कि बिड़ला साहब का सहारा लेकर कम्युनिस्ट पार्टी ने कारखाना लगाया था, उसी तरह से आप न जाने मजबूरी में काम कर रहे हों, किस-किस के नाम पर यह सब हो रहा है। मेरी तो शिकायत यह है कि सरकार का नारा है जखोरेबाजों पर हमला करे लेकिन अमल में हो रहा है कि जमाखोरों को बढ़ाओ, समाजवाद का नारा और पूंजीवाद को बढ़ाओ, भ्रष्टाचार को दूर करो लेकिन भ्रष्टाचार को बढ़ाओ।

बाबा राम नाथ (जिला मैनपुरी)—

माननीय, मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष—

सवाल करोगे जब न, जब कि कोरम पूरा हो। मैं समझता हूं इस समय कोरम की घण्टी बजाना उचित नहीं होगा। अब हम 20-8-74 के 11 बजे तक के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 54 मिनट पर मंगलवार 20 अगस्त, 1974 के 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
17 अगस्त, 1974

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ 145 पर)

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन संशोधन, विधेयक, 1974

(जैसा कि उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।)

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :— संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा ।

2—उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 ई०, जिसे आग मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1852 ई० धारा 2 का संशोधन

"(खख) 'संकाय' का तात्पर्य धारा 41-क के अधिन संघटित होम्योपैथी संकाय से है;"

3—मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :— धारा 4 का प्रतिस्थापन

"4—बोर्ड में निम्नलिखित मेम्बर होंगे, अर्थात :—

(क) सात मेम्बर जो राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डाक्टरों में से नामजद किये जायेंगे ;

(ख) तीन मेम्बर जो उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक संस्थाओं के अध्यापकों द्वारा अपने में से निर्धारित रीति से निर्वाचित किये जायेंगे ;

(ग) पांच ऐसे मेम्बर जिन्होंने होम्योपैथिक में कम से कम दस वर्ष का चिकित्सा कार्य किया हो, जो राज्य के रजिस्टर्ड होम्योपथिक डाक्टरों द्वारा अपने में से निर्धारित रीति से निर्वाचित किये जायेंगे ;

(घ) कानपुर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करनेवाला एक मेम्बर, जो होमोपैथी संकाय के बोर्ड यदि संघटित किया जाय, के मम्बरों द्वारा और जब कि ऐसा बोर्ड संघटित न हो जाय उक्त विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् द्वारा निर्वाचित किया जायगा ;

(ङ) उप निदेशक, होम्योपैथी, उत्तर प्रदेश, पदेन ;

(च) प्राचार्य, गेवर्नमेन्ट होम्योपैथी कालेज, लखनऊ, पदेन ।"

4—मूल अधिनियम की धारा 17 में :— धारा 17 का संशोधन

(1) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात :—

"(च) वह किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश से होम्योपैथ के रूप में चिकित्सा-कार्य करने से विवर्जित कर दिया गया हो; या";

(2) खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात :—

"(छ) वह किसी लाभप्रद पद पर हो या बोर्ड के अधीन कोई सेवा-योजन स्वीकार करे ;"

(3) प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जाय अर्थात :—

"प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ङ) और (च) में अभिदिष्ट अयोग्यतायें राज्य सरकार के आदेश से हटाई जा सकती हैं।"

धारा 22 का निकाला जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 22 निकाल दी जाय।

धारा 41 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 41 में—

(क) खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात :—

"(1) धारा 41-क के अधीन संघटित संकाय की सिफारिश पर सम्बद्धता के प्रयोजनार्थ होम्योपैथिक शैक्षिक अथवा शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना और ऐसी मान्यता को निलम्बित करना अथवा वापस लेना ;"

(ख) खण्ड (2), (3), (6), (7) तथा (8) निकाल दिये जायें।

नयी धारा 41-क, 41-ख तथा 41-ग का बढ़ाया जाना

7—मूल अधिनियम की धारा 41 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं बढ़ा दी जायें, अर्थात् :—

संकाय का संघटन

"41-क—(1) होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली में शिक्षण तथा परीक्षण निकाय के रूप में अपने कर्तव्यों तथा कृत्यों का समुचित निर्वहन करनेके लिए बोर्ड होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली में एक संकाय संघटित करेगा।

(2) संकाय में निम्नलिखित मेम्बर होंगे, अर्थात :—

(क) उप निदेशक, होम्योपैथी, जो संकाय का पदेन डीम होगा ;

(ख) एक मेम्बर, जो धारा 4 के खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचित मेम्बरों द्वारा अपने में से निर्धारित रीति से निर्वाचित किया जायगा;

(ग) कानपुर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाला धारा 4 का खण्ड (घ) के अधीन निर्वाचित मेम्बर;

(घ) एक मेम्बर, जो खण्ड (ख) तथा (ग) में अभिदिष्ट बोर्ड के मेम्बरों से भिन्न मेम्बरों द्वारा अपने में से, निर्धारित रीति से निर्वाचित किया जायगा ;

(ङ) प्राचार्य, नेशनल होम्योपैथिक कालेज, लखनऊ पदेन जो संकाय का सचिव भी होगा।

(3) संकाय चार से अधिक मेम्बरों को ऐसी अवधि के लिए तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये जो निर्धारित किये जायं निर्धारित रीति से सहयोजित कर सकता है।

(4) उपधारा (2) के खण्ड (ख), खण्ड (ग) अथवा खण्ड (घ) के अधीन संकाय का कोई मेम्बर बोर्ड का मेम्बर न रह जाने पर, ऐसा मेम्बर न रह जायगा ।

41-ख—(1) संकाय की निम्नलिखित शक्तियां तथा कृत्य होंगे, अर्थात:— संकाय की शक्तियां तथा कृत्य

(क) बोर्ड से सम्बद्ध संस्थाओं में होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें बोर्ड उचित समझे, सामान्य शिक्षण अथवा विशेष या प्रबन्धन अनुक्रम के लिऐ विषयों की पढ़ाई तथा पाठ्यक्रम निर्धारित करना;

(ख) परीक्षाएं लेना और ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने बोर्ड से सम्बद्ध संस्थाओं में विषयों का अध्ययन किया हो, डिप्लोमा प्रदान करना;

(ग) बोर्ड से सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा निवास स्थान तथा अनुशासन के सम्बद्ध में किये गये प्रबन्धों का सामान्य पर्यवेक्षण करना और उनके विद्यार्थियों के स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण की प्रोन्नति के लिए प्रबन्ध करना ;

(घ) परीक्षकों को नियुक्ति और बोर्ड द्वारा ली गई परीक्षाओं के परीक्षा-फल प्रकाशित करना ;

(ङ) बोर्ड से सम्बद्ध संस्थाओं का निरीक्षण करना और ऐसे निरीक्षणों के आधार पर कार्यवाही करने के लिए बोर्ड को सिफारिश करना।

(च) होम्योपथिक संस्थाओं को सम्बद्धता के लिए तथा ऐसी सम्बद्धता को निलम्बित करने अथवा वापस लेने के लिए बोर्ड को सिफारिश करना;

(छ) बोर्ड से सम्बद्ध संस्थाओं में विभिन्न विषयों को पढ़ाई में प्रवेश की नीति के सिद्धान्त तथा प्रतिमान निर्धारित करना ।

41-ग—होम्योपैथिक शिक्षा से सम्बन्धित किसी मामले पर संकाय तथा बोर्ड के बीच मतभेद होने पर मामला राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायगा। बोर्ड तथा संकाय के बीच मतभेद होने की दशा में वह मामला राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायगा और राज्य सरकार का उस पर निणय अन्तिम होगा।"

8—मूल अधिनियम की धारा 53 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :— नई धा 53—क का बढ़ाया जाना ।

"53-क—(1) राज्य सरकार को बोर्ड द्वारा की गयी अथवा किये जाने के लिये तात्पर्यित किसी बात के सम्बन्ध में अथवा किसी ऐसे अन्य मामले में जो बोर्ड से सम्बन्धित हो, अपनी राय को लिखित रूप में संसूचित करने तथा की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में सलाह देने की शक्ति होगी। निदेश, इत्यादि जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति।

(3) बोर्ड ऐसी सलाह पर की गयी अथवा किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही को, यदि कोई हो, संसूचना राज्य सरकार को देगा।

(3) यदि बोर्ड युक्तियुक्त समय के भीतर राज्य सरकार के सन्तोषानुसार आवश्यक कार्यवाही करने में असफल रहे तो राज्य सरकार बोर्ड द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण अथवा प्रत्यावेदन पर विचार करने के पश्चात इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप ऐसे निदेश जारी कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे, और बोर्ड ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा।

(4) यदि राज्य सरकार की राय में, बोर्ड से सम्बन्धित किसी विषय में, बोर्ड का कार्य समुचित रूप से किये जाने के लिये तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह बोर्ड से पूर्व परामर्श किये बिना, स्वयं ही इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप ऐसी कार्यवाही कर सकती है जो आवश्यक हो और उसकी सूचना बोर्ड को दी जायगी।

धारा 56 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) में,—

(1) खण्ड (क) निकाल दिया जाय,

(2) खण्ड (कक) तथा (क क क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय,

अर्थात्:—

"(क क) अवधि तथा प्रयोजन जिसके लिए धारा 41-क की उपधारा (3) के अधीन संकाय द्वारा मेम्बर सहयोजित किये जा सकते हैं।"

उद्देश्य और कारण

राज्य में तेरह प्राइवेट होम्योपैथिक संस्थायें हैं जो उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 के अधीन गठित होम्योपैथिक बोर्ड से सम्बद्ध हैं। इन प्राइवेट संस्थाओं के पास न तो पर्याप्त भवन, प्रयोगशाला अथवा पुस्तकालय है और न अर्हित अध्यापक ही है।

इन प्राइवेट संस्थाओं में शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने तथा होम्योपैथिक बोर्ड के नियन्त्रण को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक समझा गया है। यह प्रस्तावित है कि उप निदेशक, होम्योपैथी और प्राचार्य नेशनल होम्योपैथिक कालेज, लखनऊ को होम्योपैथिक बोर्ड से सहयुक्त कर दिया जाय तथा शिक्षा सम्बन्धी अपने कर्तव्यों का समुचित पालन करने के लिए होम्योपैथी का संकाय गठित किये जाने की व्यवस्था की जाय। इस अवसर का लाभ अधिनियम में कतिपय अन्य छोटे-मोटे संशोधन करने के लिये भी उठाया जा रहा है।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है

साबिर राम जायसवाल,
स्वास्थ्य मन्त्री।

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ 150 पर)

पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर विधेयक, 1974

(जौनपुर में पूर्वांचल विश्वविद्यालय की स्थापना तथा निगमन हेतु विधेयक)

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय 1

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

(2) यह अधिनियम ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ नियत करे और विश्वविद्यालय के संबंध में तथा इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिये भी विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

परिभाषाएं

2—जब तक कि विषय या प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में:—

(क) "संबद्ध कलेज" का तात्पर्य किसी ऐसी संस्था से है जो किसी विश्वविद्यालय से इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबंधों के अनुसार सम्बद्ध हो।

(ख) "विश्वविद्यालय क्षेत्र" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन निर्दिष्ट क्षेत्र से है,

(ग) "स्वायत्त कालेज" का तात्पर्य ऐसे सम्बद्ध कालेज से है जो धारा 39 के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्वायत्त कालेज घोषित किया जाय,

(घ) "संघटक कालेज" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा या राज्य सरकार द्वारा संधारित तथा विश्वविद्यालय के परिनियमों द्वारा इस प्रकार नामित संस्था से है,

(ङ) शोध संस्थान से तात्पर्य परिनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा मान्य शोध संस्थान से है।

(च) शिष्ट सभा का तात्पर्य विश्वविद्यालय की शिष्ट सभा से है,

(छ) "कार्यकारिणी परिषद्" और "विद्वत् परिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की क्रमशः कार्यकारिणी परिषद् तथा विद्वत परिषद् से है,

(ज) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी संकाय से है,

(झ) "प्रबन्धकारिणी" का तात्पर्य ऐसी प्रबन्ध समिति या संस्था से है जिस पर किसी सम्बद्ध कालेज के कार्यों के प्रबन्ध का भार हो,

(ञ) "प्राचार्य या आचार्य" का तात्पर्य किसी सम्बद्ध कालेज या संघटक कालेज के अध्यक्ष से है जो इस पद पर कार्य करने के लिये यथाविधि नियुक्त किया गया हो,

(ट) "नियत" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा नियत से है,

(ठ) "निबद्ध स्नातक" का तात्पर्य ऐसे स्नातक से है जो विश्वविद्यालय के परिनियमों में दिये गये उपबन्धों के अनुसार निबद्ध हो,

(ड) "परिनियमों" "अध्यादेशों" तथा "विनियमों" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों से है,

(ढ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है,

(ण) "अध्यापक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो विश्वविद्यालय के किसी संघटक कालेज या सम्बद्ध कालेज या स्वायत्त कालेज या शोध संस्थान द्वारा पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम के किसी विषय पर शिक्षण देने या शोध कार्य का पथ प्रदर्शन या संचालन करने के लिए सेवायोजित हो और इसके अन्तर्गत प्राचार्य भी है,

(त) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित, यथास्थिति, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर से है ।

अध्याय 2

विश्वविद्यालय

स्थापना तथा निगमन

3—(1) पूर्वांचल विश्वविद्यालय जो जौनपुर में स्थित होगा ऐसे दिनांक से स्थापित किया जायेगा जिसे राज्य सरकार उसके लिए गजट में विज्ञापित करे ।

(2) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति, कुलपति तथा शिष्ट सभा कार्यकारिणी परिषद् तथा विद्वत परिषद् के प्रथम सदस्य और ऐसे समस्त व्यक्तियों को जो एतदपश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य बने जब तक कि वे ऐसे पद पर रहे या सदस्य बने रहे, विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित संस्था संगठित होगी ।

(3) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुहर होगी तथा वह उक्त नाम से ही वाद प्रस्तुत करेगा और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जायेगा ।

क्षेत्राधिकार तथा सम्बद्धता

4—(1) इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, फैजाबाद, प्रतापगढ़ सुल्तानपुर, मिर्जापुर तथा जौनपुर जिलों में जिसके अन्तर्गत बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में नहीं होगा ।

(2) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के पूर्व अनुमोदन के बिना तदर्थ कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की जायेगी ।

(3) पूर्वांचल विश्वविद्यालय के क्षेत्र के भीतर स्थित कालेज, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय आगरा यूनिवर्सिटी एक्ट, 1926 के अधीन

आगरा विश्वविद्यालय से अथवा गोरखपुर यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 1956 के अधीन गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हों, ऐसे दिनांक से जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करे पूर्वांचल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समझे जायंगे। विभिन्न कालेजों के लिए विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

विश्वविद्यालय के अधिकार तथा कृत्य कर्तव्य

5—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकार तथा कर्त्तव्य होंगे अर्थात्:—

(1) शिक्षा को व्यवसाय-निष्ठ बानने के उद्देश्य से ऐसे विषयों में तथा इस प्रकार से शिक्षण एवं शोध व्यवस्था करना, जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे,

(2) विश्वविद्यालय के क्षेत्र में उच्च कृषि शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करना जो क्षेत्र का सर्वतोमुखी उन्नयन कर सके और इस प्रकार की शिक्षा से सम्बन्धित अनुसंधान और प्रसार की समुचित व्यवस्था करना,

(3) सामान्य शिक्षा के साथ-साथ विद्यार्थियों लिए के औद्योगिक तथा प्राविधिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना,

(4) उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर स्थित किसी कालेज को तथा उच्च शिक्षा अथवा अनुसंधान संस्थानों का नियत शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम निर्धारण तथा परीक्षा संचालन का विशेषाधिकार प्रदान करना,

(5) उपाधियों, डिप्लोमाओं तथा शिक्षा सम्बन्धी अन्य विशिष्टताओं की स्थापना करना,

(6) उपाधियों, डिप्लोमाओं तथा शिक्षा सम्बन्धी अन्य विशिष्टताओं के निमित्त परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उन्हें ऐसे व्यक्तियों को प्रदान एवं संप्रदान करना:—

(क) जिन्होंने विश्वविद्यालय के किसी सम्बद्ध, स्वायत्त या संघटक कलेज अथवा संस्थान में अनुमोदित पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हों, या

(ख) जिन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा तदर्थ मान्यता प्राप्त किसी संस्था में या स्वतंत्र रूप से परिनियमों तथा अध्यादेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन शोध कार्य किया हो, या

(ग) जो शिक्षा संस्थाओं में अध्यापक हों या शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से सेवायोजित निरीक्षण अधिकारी हों, और परिनियमों तथा अध्यादेशों में तदर्थ निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों, या

(घ) जो महिलाएं हों और जिन्होंने परिनियमों तथा अध्यादेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन निजी रूप से अध्ययन किया हो, या

(ङ) जो संघटक अथवा सम्बद्ध कालेजों या संस्थानों के पुस्तकालयाध्यक्ष हों और परिनियमों तथा अध्यादेशों में तदर्थ निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों,

(7) परिनियमों में निर्धारित रीति से तथा शर्तों के अधीन सम्मान सूचक उपाधियों अथवा अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना,

(8) ऐसे अन्य व्यक्तियों को जो विश्वविद्यालय के किसी संघटक, स्वायत्त अथवा सम्बद्ध कालेज अथवा संस्थान के छात्र न हों, ऐसे डिप्लोमा प्रदान करना और उनके लिए ऐसे व्या ख्यानों तथा शिक्षण की व्यवस्था करना जिसे विश्वविद्यालय अवधारित करे,

(9) अन्य विश्वविद्यालयों तथा अधिकरणों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहयोग करना जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे,

(10) विभिन्न संघटक तथा सम्बद्ध कालेजों व स्थानों में अपेक्षित अध्यापन पदों एवं पीठों की व्यवस्था करना एवं उन पर नियुक्ति की विधि को नियत करना,

(11) कालेजों तथा संस्थानों की सम्बद्धता सम्बन्धी शर्तों को नियत करना और नियतकालिक निरीक्षणों द्वारा अथवा अन्य प्रकार से अपना यह समाधान करना कि शर्तें पूरी की जा रही हैं,

(12) परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार अधि छात्रवृत्तियां (followship) छात्रवृत्तियां, विद्यार्थी वृत्तियों (studentship) तथा पारितोषिकों की स्थापना करना और उन्हें प्रदान करना,

(13) ऐसे शुल्क और अन्य परिव्यय मांगना तथा प्राप्त करना जो अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायं,

(14) विश्वविद्यालय के संघटक तथा सम्बद्ध कालेजों व संस्थानों के छात्रों के अनुशासन का पर्यवेक्षण तथा उनमें चरित्र निर्माण व जनतांत्रिक नेतृत्व के विकास के उद्देश्य के नियमन करना,

(15) प्रशासकीय, लिपिकीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना, और

(16) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए अपेक्षित समस्त कार्य करना, चाहे वे उपर्युक्त अधिकारों से आनुषंगिक हों या नहीं।

अध्याय 3

निरीक्षण कार्य तथा जांच

निरीक्षण तथा जांच

6—(1) राज्य सरकार को, किसी ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निदेश दें विश्वविद्यालय का या विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी संस्था का अथवा किसी सम्बद्ध कालेज का, जिसके अन्तर्गत उसके भवन, प्रयोगशालायें तथा सज्जा (equipments) भी हैं और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या सम्पादित परीक्षाओं, अध्यापन कार्यों तथा अन्य कार्य का निरीक्षण करने अथवा विश्वविद्यालय, संस्था या सम्बद्ध कालेज के प्रशासन परीक्षा तथा वित्त से सम्बन्धित किसी विषय के सम्बन्ध में उसी प्रकार जांच करवाने का अधिकार होगा।

(2) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय या उसके द्वारा संधारित संस्था की दशा में विश्वविद्यालय की और सम्बद्ध कालेज की दशा में विश्वविद्यालय तथा प्रबन्धकारिणी को अपने इस आशय का एक नोटिस देगी कि वह निरीक्षण या

जांच करवाना चाहती है और, यथा स्थिति, विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय तथा प्रबन्धकारिणी को ऐसे निरीक्षण या जांच के समय अपना प्रतिनिधि भेजने तथा सुनवाई का अधिकार होगा।

(3) विश्वविद्यालय अथवा उसके द्वारा संधारित किसी संस्था से सम्बद्ध निरीक्षण या जांच की दशा में, राज्य सरकार, ऐसे निरीक्षण या जांच का परिणाम तथा उसके सम्बन्ध में अपने विचारों को कुलपति को सूचित कर सकती है और की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में परामर्श दे सकती है तथा कुलपति उसे कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष रखेगा।

(4) किसी सम्बद्ध कालेज से सम्बद्ध निरीक्षण या जांच की दशा में राज्य सरकार अपने विचारों के साथ ऐसे निरीक्षण या जांच का परिणाम प्रबन्ध-कारिणी को सूचित कर सकती है और की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में परामर्श दे सकती है।

(5) यथास्थिति, कुलपति या प्रबन्धकारिणी, राज्य सरकार को ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम पर की गयी अथवा की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही, यदि कोई हो, की सूचना देगी।

(6) यदि, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या प्रबन्धकारिणी राज्य सरकार सन्तोषानुसार कार्यवाही न करे तो, राज्य सरकार यथास्थिति विश्वविद्यालय या प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत किसी स्पष्टीकरण या उसके द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे निदेश जारी कर सकती है जो वह उचित समझे, और यथास्थिति विश्वविद्यालय या प्रबन्धकारिणी ऐसे निदेशों का पालन करेगी।

अध्याय 4

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

7—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :—

1—कुलाधिपति,

2—कुलपति,

3—वित्त अधिकारी,

4—रजिस्ट्रार,

5—छात्र कल्याण के डीन,

6—फैकल्टियों के डीन,

7—विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाधिपति

8—(1) उत्तर प्रदेश का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। वह पदेन विश्वविद्यालय का अध्यक्ष, और शिष्ट सभा का सभापति होगा और उपस्थित रहने पर विश्वविद्यालय की शिष्ट सभा की तथा किसी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(2) कुलाधिपति को ऐसे अन्य अधिकार होंगे जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उन्हें दिये जायं।

कुलपति

9—(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा वह कुलाधिपति द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायगा जिनके नाम उस विश्वविद्यालय के लिए उसे उपधारा (4) के उपबन्धों के अनुसार संघटित समिति द्वारा प्रस्तुत किये जायं :

प्रतिबन्ध यह है कि प्रथम कुलपति को नियुक्ति तथा कोई अनुवर्ती नियुक्ति, जिसे समिति के इस प्रकार संघटित होने तक के लिए करना अपेक्षित हो कुलाधिपति द्वारा की जा सकती है :

(2) कुलपति अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर 5 वर्ष के लिए पद धारण करेगा, किन्तु वह कुलाधिपतियों को संबोधित लिखित त्याग-पत्र देकर अपना पद त्याग सकता है। साधारणतया वह त्याग-पत्र उस दिनांक से जब कुलपति कार्यभार से मुक्त होना चाहता हो 60 दिन पूर्व कुलाधिपति को दिया जायेगा।

(3) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलपति की उपलब्धियों तथा सेवा की अन्य शर्तें वे होगी जो नियत की जायं।

(4) (1) उपधारा (1) में उल्लिखित समिति में तीन व्यक्ति होंगे अर्थात्—

(क) कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निर्वाचित एक ऐसा व्यक्ति होगा जो विश्वविद्यालय, संघटक कालेज, शोध संस्थान, सम्बद्ध कालेज या छात्रावास की सेवा में न हो और विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण, बोर्ड या संस्था अथवा किसी ऐसे कालेज की प्रबन्ध समिति का सदस्य न हो;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन अथवा उसके द्वारा नाम निर्देशित कोई, शिक्षा शास्त्री ;

(ग) एक व्यक्ति जो कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा और वह समिति का संयोजक भी होगा।

(2) समिति, यथासम्भव, उस दिनांक से कम से कम तीस दिन पूर्व, जब उपधारा (2) के अधीन कुलपति का पद कार्यालय की समाप्ति अथवा पद त्याग करने के कारण रिक्त होने वाला हो, और जब कभी भी कुलाधिपति द्वारा यह अपेक्षित हो, कुलाधिपति को तीन व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी जो कुलपति का पद धारण करने के लिए उपयुक्त हों। समिति, नाम प्रस्तुत करते समय कुलाधिपति को एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी जिसमें उक्त तीन व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हतायें तथा अन्य विशिष्टताएं दी जायेंगी, किन्तु उसमें कोई अधिमान क्रम इंगित न होगा।

(3) यदि खण्ड (2) के अधीन समिति द्वारा सिफारिश किये गये एक या अधिक व्यक्ति कुलपति के रूप में नियुक्त करने के लिये उपलब्ध न हों और कुलाधिपति को तीन से कम व्यक्तियों में चयन करना हो तो यदि वह चाहें तो समिति को नाम वापस भेज सकता है और तदुपरान्त समिति तीन उपयुक्त व्यक्तियों के नाम, जो कुलपति के रूप में नियुक्ति के लिये सम्मत और उपलब्ध हों, पुनः प्रस्तुत करेगी।

(5) यदि कुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण अथवा पद त्याग या कार्यकाल की समाप्ति को छोड़कर, किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाय अथवा उसके रिक्त होने की संभावना हो तो, रजिस्ट्रार इस बात की सूचना तुरन्त कुलाधिपति को देगा, जो

(क) यदि रिक्ति छः महीने से अधिक अवधि के लिए हो अथवा होने की सम्भावना हो, उपधारा (1) तथा (4) के उपबन्धों के अनुसार कुलपति की नियुक्ति के लिए कार्यवाही करेगा,

(ख) यदि रिक्ति छः महीने से कम अवधि के लिए हो, अथवा होने की सम्भावना हो तो वह कुलपति के पद पर किसी उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त करेगा।

(6) उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में दिये गये उपबन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किन्तु इस धारा में कहीं भी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कुलाधिपति किसी आपातिक दशा में, जिसका निर्णय वह स्वयं करेगा, अथवा किसी ऐसी दशा में जब रिक्ति की पूर्ति उपधारा (1) तथा (4) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा से तथा शीघ्रता से न की जा सकती हो, किसी उपयुक्त व्यक्ति को कुलपति के पद पर नियुक्त कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई भी नियुक्ति छः महीने से अधिक अवधि के लिए न की जायगी,

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस प्रकार की गई नियुक्ति, उपधारा (1) तथा (4) के उपबन्धों के अनुसार कुलपति की नियुक्ति हो जाने पर समाप्त हो जायेगी।

(7) जब उपधारा (6) के अधीन नियुक्ति की जाय तो कुलाधिपति यथाशक्य शीघ्र उपधारा (1) तथा (4) के उपबन्धों के अनुसार कुलपति की नियुक्त के लिए कार्यवाही करेगा।

(8) उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन कुलाधिपति द्वारा नियुक्ति की जाने तक, रजिस्ट्रार, कुलपति के नैत्यिक कर्त्तव्यों को करेगा किन्तु शिष्ट सभा की किसी बैठक की अध्यक्षता न करेगा।

कुलपति के अधिकार तथा कर्तव्य

10—(1)—कुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य कार्य चालक तथा शैक्षिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थित में शिष्टसभा की बैठकों तथा विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोहों की अध्यक्षता करेगा। वह कार्यकारिणी परिषद् तथा विद्वत् परिषद् का पदेन सदस्य तथा सभापति होगा। उसे विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था की बैठकों में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु केवल इस उपधारा के कारण, उसे उस सभा में तब तक मत देने का हक न होगा जब तक कि वह उस प्राधिकरण या संस्था का सदस्य न हो।

(2) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित कर ले इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठा के साथ पालन किया जाता है, और धारा 8 के अधीन कुलाधिपति के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसे सब अधिकार प्राप्त होंगे जो तदर्थ आवश्यक हों।

(3) कुलपति को शिष्ट सभा, कार्यकारिणी परिषद् तथा विद्वत् परिषद् की बैठकें बुलाने का अधिकार होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि वह इस अधिकार को विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को प्रतिनिहित कर सकता है।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय तथा संघटक, स्वायत्त और सम्बद्ध कालेजों तथा शोध संस्थाओं के कार्यों पर सामान्य नियन्त्रण रखेगा और विश्वविद्यालय में समुचित रूप से अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) यदि किसी ऐसे आवश्यक मामले में जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो किन्तु जिस पर उस अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा तत्काल कार्यवाही न की जा सकती हो जो उसे करने के लिए इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन अधिकृत हो, तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह उचित समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट कुलाधिपति को तथा साथ ही कार्यकारिणी परिषद् को देगा, और कार्यकारिणी परिषद्, या तो कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही की पुष्टि कर सकती है अथवा उसे विखंडित कर सकती है या उसे ऐसी रीति से परिष्कृत कर सकती है जो वह उचित समझे। यदि कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही विखंडित या परिष्कृत की जाय तो वह इस प्रकार विखंडित या परिष्कृत किये जाने के दिनांक से या तो प्रभावी न रह जायेगी अथवा परिष्कृत रूप में प्रभावी होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि—

(क) प्रत्येक मामले में जिसमें इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा कार्यवाही की जाय, वह ऐसा करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा,

(ख) इस उपधारा की किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय करने का अधिकार दिया गया नहीं समझा जायेगा जो यथाविधि न हो और जिसकी व्यवस्था बजट में न की गई हो,

(ग) यदि इस अधिकार के प्रयोग में कुलपति विश्वविद्यालय में कोई अधिकारी या अध्यापक नियुक्त करे तो ऐसी नियुक्ति, नियत रीति से नियुक्त की जाने पर अथवा कुलपति के आदेश के दिनांक से छः महीने की समाप्ति पर इसमें जो भी पहले हो, समाप्त हो जायेगी।

(6) यदि उपधारा (5) के अधीन कुलपति की किसी कार्यवाही से विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो तो, वह व्यक्ति कार्यवाही की सूचना पाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर कार्यकारिणी परिषद् को अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(7) कुलपति ऐसे अन्य अधिकारों को प्रयोग और ऐसे कृत्यों का सम्पादन तथा कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा नियत किये जाये।

वित्त अधिकारी

11—(1) वित्त अधिकारी आगे दी गयी रीति से कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा :—

(क) कार्यकारिणी परिषद्, यथाशक्य शीघ्र उस दिनांक से, जब से वित्त अधिकारी का पद रिक्त होने वाला हो, कम से कम तीस दिन पूर्व और जब कभी भी कुलाधिपति द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो, कुलाधिपति के पास वित्त अधिकारी पद ग्रहण करने के लिए उपयुक्त तीन व्यक्तियों से अनधिक के नाम भेजेगी।

(ख) यदि ऐसे प्रस्तावित नाम या नामों की संख्या, जिसे या जिन्हें खण्ड (क) के अधीन कुलाधिपति को प्रस्तुत किया गया हो, तीन से अधिक न हो, तो परिषद् इन सभी नामों को प्रस्तुत करेगी, किन्तु यदि

नामों की संख्या तीन से अधिक हो तो परिषद् प्रस्तावित नामों में से तीन नामों का निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा करेगी ।

(ग) यदि कार्यकारिणी परिषद् द्वारा केवल एक ही नाम प्रस्तुत किया गया हो तो कुलाधिपति उस व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसका नाम इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हो । अन्य दशाओं में कुलाधिपति उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति नियुक्त करेगा जिनके नाम खण्ड (ख) के अधीन कार्यकारिणी परिषद् द्वारा प्रस्तुत किये गये हों :

प्रतिबन्ध यह है कि प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति और कोई अनुवर्ती नियुक्ति, जिसे कार्यकारिणी परिषद् के संघटित होने तक के लिए करना अपेक्षित हो, कुलाधिपति द्वारा की जा सकती है ।

(2) वित्त अधिकारी का कार्यकाल, उक्त पद धारण करने के दिनांक से 6 वर्ष के लिए होगा, किन्तु वह कार्यकाल की समाप्ति पर भी, तब तक अपने पद पर कार्य करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाय । उसे विश्वविद्यालय की निधियों में से ऐसा पारिश्रमिक (यदि कोई हो) मिलेगा जो नियत किया जाय ।

(3) वित्त अधिकारी के त्याग-पत्र, सेवा की शर्तें, अस्थायी रिक्तियों की पूर्ति उसके साम्प्रतिक कर्तव्यों का पालन करने की व्यवस्थाओं से सम्बद्ध उपबन्ध वही होंगे जो नियत किये जायें ।

(4) वित्त अधिकारी, कार्यकारिणी परिषद् का पदेन सदस्य होगा और विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनियोजित धनराशियों का प्रबन्ध करेगा और उसकी वित्तीय नीति के सम्बन्ध में परामर्श देगा । वह वार्षिक अनुमानों (जिन्हें आगे बजट कहा गया है) तथा लेखों का विवरण प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा ।

(5) वित्त अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :—

(अ) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय की निधियों का पर्यवेक्षण करेगा और वित्त सम्बन्धी नीतियों पर विश्वविद्यालय को सलाह देगा ।

(ग) वह ऐसे कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जो कार्यकारिणी परिषद् अथवा नियमों द्वारा उसके लिए निर्धारित किये जायें :

प्रतिबन्ध यह है कि वित्त अधिकारी बिना कार्यकारिणी परिषद् के पूर्व स्वीकृति के 10,000 रुपये से अधिक न व्यय करेगा और न कहीं विनियुक्ति (invest) करेगा ।

(6) (अ) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विधियों व न्यासों तथा सन्दानों का संरक्षण तथा प्रबन्ध करेगा ।

(ब) उसका कर्त्तव्य होगा कि वह देखे कि परामर्श समिति द्वारा वर्ष के लिए निर्धारित आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय की सीमा का अतिक्रमण नहीं होता और सभी धन उस कार्य के लिए व्यय किया जाता है जिसके लिए वह दिया गया या प्राप्त हुआ है ।

(स) वह वार्षिक लेखा की ओर आगामी वर्ष के लिए विश्वविद्यालय के आय-व्ययक की तैयारी और उनके कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष प्रस्तुतीकरण के लिए उत्तरदायी होगा ।

(द) उसका कर्तव्य होगा कि वह नकद और रोकड़ बाकी तथा विनियुक्त धन की स्थिति के ऊपर निरन्तर सतर्क दृष्टि रखे ।

(य) उसका कर्तव्य होगा कि राजस्व या धन की वसूली पर सतर्क दृष्टि रखे और वसूली की विधि पर उचित परामर्श दे ।

(र) उसका कर्त्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के लेखा का आन्तरिक सम्प्रेक्षक दल द्वारा संपरीक्षा कराता रहे ।

(ल) विश्वविद्यालय के भवनों, भूमि, साज-सज्जा की पंजिकाओं का अद्यावधिक अनुरक्षण और सभी कार्यालयों के उपभोग्य तथा स्थायी पदार्थों की वार्षिक संपरीक्षा कराना उसका कर्तव्य होगा ।

(व) अनधिकृत व्यय तथा अन्य अनियमितताओं के लिए जवाब-तलब करना और सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का सुझाव देना भी उसका कर्तव्य होगा ।

(श) अपने वित्तीय कर्त्तव्यों के निर्वाह के लिए विश्वविद्यालय के अन्तर्गत किसी भी कार्यालय अथवा संस्था से सूचना तथा परिलेख मांगने का उसे अधिकार होगा ।

(7) वित्त अधिकारी को रसीद विश्वविद्यालय को देय किसी धन के लिए पर्याप्त प्रमुक्ति मानी जायगी ।

कुल सचिव

12—(1) कुल सचिव, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा जिसे परिषद् चयन समिति सिफारिश पर नियुक्त करेगी, जिसमें (समिति में) निम्नलिखित होंगे, अर्थात ।

(1) कुलपति,

(2) कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट एक शिक्षाविद, और

(3) उत्तर प्रदेश लोक-सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा तदर्थ नाम निर्दिष्ट एक सदस्य ।

(2) कुल सचिव की सेवा की शर्तें, जिसके अन्तर्गत उसे देय वेतन तथा भत्ते भी हैं, वही होंगी जो अध्यादेशों द्वारा नियत की जायें ।

(3) कुल सचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुहर की यथोचित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा । वह शिष्ट परिषद्, कार्यकारिणी परिषद्, विद्युत् परिषद् तथा अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समितियों का पदेन सचिव होगा, और इन प्राधिकरणो के समक्ष ऐसी समस्त सूचनाएं रखने के लिये वाध्य होगा जो उनके कार्य संपादन के लिये आवश्यक हों । वह ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन तथा कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायें अथवा समय-समय पर कार्यकारिणी परिषद् या कुलपति द्वारा अपेक्षित हों ।

(4) वह, विद्वत् परिषद् द्वारा किये गये किन्हीं निर्देशों क अधीन रहते हुए परीक्षाओं का संचालन करेगा और उनके लिए अन्य सभी आवश्यक प्रबन्ध करेगा तथा उनसे सम्बद्ध सभी प्रक्रियाओं के यथोचित निष्पादन क लिए उत्तर-दायी होगा ।

(5) कुल सचिव को विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए, ऐसे पारि-श्रमिक के अतिरिक्त जिसकी व्यवस्था परिनियम या अध्यादेशों द्वारा की जाय, न तो कोई पारिश्रमिक दिया जायेगा, और न वह उसे स्वीकार करेगा ।

अन्य अधि-कारियों के अधिकार तथा कर्तव्य

13—कुलाधिपति, कुलपति, वित्त अधिकारी तथा कुलसचिव के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के अधिकार, कृत्य तथा कर्तव्य वही होंगे जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायें ।

अध्याय 5

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

14—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे :

(1) शिष्ट सभा,
(2) कार्यकारिणी परिषद्,
(3) वित्त समिति,
(4) विद्वत् परिषद्,
(5) संकाय,
(6) अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समितियां, और
(7) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय प्राधि-करण घोषित किये जायें ।

शिष्ट सभा

15—शिष्ट सभा में निम्नलिखत होंगें:—

वर्ग 1—पदेन सदस्य:—

(1) कुलाधिपति,
(2) कुलपति,
(3) शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार,
(4) सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार,
(5) कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य,
(6) शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश,
(7) स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश,
(8) कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश,
(9) विश्वविद्यालय तथा संघटक कालेजों में, यदि कोई हो, शिक्षण विभागों के सभी अध्यक्ष,

(10) समस्त स्वायत्त तथा संघटक कालेजों के, यदि कोई हो, प्राचार्य, और

(11) शोध संस्थानों तथा सम्बद्ध कालेजों के प्राचार्य उतनी संख्या में जो नियत किये जायं,

वर्ग 2—आजीवन सदस्य—

(1) ऐसे व्यक्ति जो विश्वविद्यालय या शिक्षा के प्रति की गयी उत्कृष्ट सेवाओं के आधार पर कुलाधिपति द्वारा आजीवन सदस्य नियुक्त किये जायें :

प्रतिबन्ध यह है कि शिष्ट सभा में उनकी संख्या किसी समय 4 से अधिक न होगी ।

(2) ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विश्वविद्यालय या उसके किसी संघटक कालेज के प्रयोजनार्थ कम से कम बीस हजार रुपये का दान दिया हो,

(3) ऐसे व्यक्ति जो पूरे एक कार्यकाल के लिए उस विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर रहे हो ।

वर्ग 3—दान दाता एवं उनके प्रतिनिधि—

ऐसे व्यक्तियों के, जिनमें से प्रत्येक ने विश्वविद्यालय या उसके किसी संघटक कालेज के प्रयोजनार्थ कम से कम पांच हजार रुपये किन्तु बीस हजार रुपये से अनधिक का दान दिया हो, दस से अनधिक ऐसी संख्या में प्रतिनिधि, जो परिनियमों द्वारा अवधारित किए जांय,

वर्ग 4—विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति—

पांच से अनधिक व्यक्ति जो विश्वद्यालय क्षेत्र के भीतर वाणिज्य, कृषि, विद्युत् संस्थाओं तथा विद्युत व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायं,

वर्ग 5—निबद्ध स्नातकों के प्रतिनिधि—

विश्वविद्यालय के निबद्ध स्नातकों के प्रतिनिधि उतनी संख्या में, जो नियत की जाये,

वर्ग 6—उत्तर प्रदेश के विधान मण्डल के प्रतिनिधि—

(1) उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के दो सदस्य जो परिषद् द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे,

(2) उत्तर प्रदेश बिधान सभा के 3 प्रतिनिधि जो विधान सभा द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे,

वर्ग 7—अध्यापकों, छात्रावासों के पर्यवेक्षी कर्मचारि वर्ग तथा प्रबन्धकारिणी के प्रतिनिधि—

(1) विश्वविद्यालय, संघटक कालेजों, स्वायत्त कालेजों, यदि कोई हों, और सम्बद्ध कालेज के अध्यापकों के प्रतिनिधि उतनी संख्या में जो नियत की जाये,

(2) छत्रावासों के पर्यवेक्षी कर्मचारिवर्ग तथा विश्वविद्यालय के बाहर पाठ्यचर्यातिरिक्त (Extramural) कार्य कलापों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति इतनी संख्या जो नियत की जाय,

(3) सम्बद्ध कालेजों की प्रबन्धकारिणी के उतनी संख्या में प्रतिनिधि, जो नियत की जाये,

वर्ग 8—कुलाधिपति के नामांकित—

(1) कुलाधिपति के दस से अनाधिक नामांकित व्यक्ति ।

वर्ग 9—छात्र सदस्य—

छात्र सदस्यों की संख्या 10 से अधिक नहीं होगी । इनमें से 3 छात्रों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मण्डल द्वारा होगा जिनके सदस्य विश्वविद्यालय स्वायत्त या संधारित कालेजों के छात्र परिषदों के अध्यक्ष एवं मंत्रिगण, होंगे । 3 छात्रों का निर्वाचन उन छात्रों में से होगा जिन्होंने विशेष शैक्षणिक योग्यता का परिचय दिया है तथा जिनकी नामावली संबंधी नियम बनाये जायेंगे । एक छात्र पूरे विश्वविद्यालय के शोध छात्रों द्वारा निर्वाचित होगा तथा शेष 3 छात्र कालेजों की क्रीड़ा समितियों, सांस्कृतिक कार्यक्रम समितियों तथा समाज सेवा समितियों व अनुशासित वर्ग के छात्र सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे ।

ऐसे सभी छात्र सदस्यों के लिए कोर्ट के सदस्य होने के पूर्व कम से कम एक वर्ष पूर्व से विश्वविद्यालय या उसके किसी सम्बद्ध या संधारित कालेज का छात्र होना आवश्यक होगा तथा उनके लिए आवश्यक होगा कि कभी उनको अनुशासनहीनता के अपराध में दण्डित न किया गया हो ।

ऐसे सदस्य, छात्र न रहने पर शिष्ट सभा की सदस्यता से भी तत्काल वंचित हो जायेंगे ।

ऐसा कोई छात्र कोर्ट का सदस्य नहीं होगा जिसने सदस्य होने के पूर्व आठ वर्ष से अधिक पहले हाई स्कूल परीक्षा पास की हो या इण्टर परीक्षा 7 वर्ष से अधिक पहले पास की हो अथवा किसी कक्षा में 1 वर्ष से अधिक बार फेल हुआ हो ।

नोट :—विश्वविद्यालय यदि किसी कालज, छात्रसंघ का सभापति, मंत्री न चुना गया हो तो उसके बिना भी अन्य अध्यक्षों तथा मंत्रियों में से प्रतिनिधि चुने जायेंगे :

(1) इस अधिनियम में अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए प्रत्येक वर्ग के सदस्यों की संख्या, उनका कार्यकाल, उनकी नियुक्ति, निर्वाचन या नाम निदेशन की रीति वही होगी जो नियत की जाये,

(2) शिष्ट सभा पदेन अथवा आजीवन सदस्यों को छोड़कर किसी भी ऐसे सदस्य के स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है, जो बिना पर्याप्त कारण के कोर्ट की तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन तब तक कार्यवाही नहीं की जायेगी जब तक कि प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर न दे दिया जाये ।

शिष्ट सभा की बैठक

16—(1) प्रत्येक वर्ष ऐसे दिनांक पर जिसे कुलपति निश्चित करेगा शिष्ट सभा की एक बैठक होगी, जो शिष्ट सभा की वार्षिक बैठक कहलायेगी ।

(2) कुलपति जब कभी भी वह उचित समझे शिष्ट सभा की विशेष बैठक बुला सकत है और शिष्ट सभा के कम से कम पैंतीस सदस्यों के हस्ताक्षर से लिखित अधियाचन पर शिष्ट सभा की विशेष बठक अवश्य बुलायेगा ।

17—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, शिष्ट सभा की कार्यकारिणी परिषद् या विद्वत् परिषद् के उन कार्यों की समीक्षा करने का अधिकार होगा जिन्हें वह इस अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों के अनुकूल न पाये तथा वह विश्वविद्यालय के ऐसे सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा जिनकी इस अधिनियम के परिनियमों में अन्यथा व्यवस्था न की गई हो। विशेषतया वह निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात्— शिष्ट सभा के अधिकार तथा कर्तव्य

(क) परिनियम बनाना तथा उनका संशोधन और निरसन करना,

(ख) अध्यादेशों पर विचार करना तथा उन्हें रद्द करना, और

(ग) वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक, लेखा, बजट और विश्वविद्यालय की शिक्षा तथा प्रशासन सम्बन्धी सामान्य नीति से किसी विषय पर विचार करना तथा संकल्प पारित करना ।

18—(1) कार्यकारणी परिषद् विश्वविद्यालय की कार्यपालिका निकाय होगी और उसमें निम्नलिखित होंगे :— कार्यकारिणी परिषद्

(1) कुलपति,

(2) विश्वविद्यालय के संकायों के 6 डीन,

(3) छात्र कल्याण के डीन, यदि कोई हों,

(4) सम्बद्ध कालेजों के 5 प्राचार्य, जिनमें 2 स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के तथा 3 अन्य कालेजों के होंगे और जो निर्धारित रीति से चुने जायेंगे,

(5) शिष्ट सभा के पांच ऐसे सदस्य, जो खंड (1) से (4) में उल्लिखित व्यक्ति न हों या विश्वविद्यालय अथवा किसी संघटक या सम्बद्ध कालेज के अध्यापक न हों और जिन्हें कोटे अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित करें,

(6) सम्बद्ध कलेजों के 2 वरिष्ठ प्राध्यापक वरीयता के क्रम से जिनमें 1 रीडर तथा 1 प्रवक्ता प्रतिनिधि हों,

(7) कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट 3 व्यक्ति ।

(2) कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के चयन, नाम निर्देशन, निर्वाचन तथा नियुक्त से सम्बद्ध परिनियमों में ऐसे समुचित उपबन्ध होंगे जिनसे यह सुनिश्चित हो जाये कि किसी एक सम्बद्ध कालेज के प्रिंसिपल या अध्यापक या कर्मचारी के रूप में अथवा प्रबन्धकारिणी के सदस्य के रूप में एक से अधिक व्यक्ति कार्यकारणी परिषद् के सदस्य न हों ।

(3) पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य का कार्यकाल उसकी नियुक्त के दिनांक से तीन वर्ष होगा ।

(4) कुलसचिव तथा वित्त अधिकारी कार्यकारणी की बैठक में भाग लेगे किन्तु सदस्य नहीं होंगे ।

19—(1) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कार्यकारिणी परिषद् के निम्नलिखित अधिकार तथा कृत्त होंगे अर्थात्— कार्यकारिणी परिषद् के अधिकार

(क) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों पर नियंत्रण रखना और उनका प्रशासन करना,

(ख) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की ओर किसी चल या अचल सम्पत्ति का अर्जन तथा संक्रमण करना ।

(ग) किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय के अधिकार में दी गयी किसी निधि का प्रशासन करना,

(घ) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना,

(ङ) उसके परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार अधिछात्रवृत्तियां निर्धन छात्रवृत्तियां (Bursaries), पदक तथा अन्य पारितोषिक प्रदान करना,

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, तथा सेवकों की नियुक्ति करना, उनके कर्त्तव्यों तथा उनकी सेवा की शर्तों को निर्धारित करना और उनके पदों की स्थाई तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति की व्यवस्था करना,

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण-पत्र तथा उपाधियां प्रदान करने के लिये परीक्षाओं के निमित्त पाठ्यक्रम नियत करना,

(ज) परीक्षक नियुक्त करना तथा परीक्षाओं के आयोजन और परीक्षा फल के प्रकाशन के सम्बन्ध में निदेश देना,

(झ) कुलाधिपति की पूर्ण स्वीकृति के अधीन रहते हुए किसी कालेज को निर्दिष्ट उपाधियों के निमित्त अध्यापन कार्य के लिये सम्बद्ध करने की स्वीकृति देना तथा ऐसी सम्बद्धता को वापस लेना,

(ञ) स्वायत्त तथा सम्बद्ध कालेजों तथा शोध संस्थानों के निरीक्षण का प्रबन्ध करना और निदेश देना,

(ट) विश्वविद्यालय की सामान्य मुहर के आकार तथा प्रयोग के संबंध में निदेश देना,

(ठ) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय से संबंधित सभी विषयों को विनियमित तथा निर्धारित करना, और

(ड) ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का सम्पादन करना जो अधिनियम या परिनियमों के किसी अन्य उपबन्ध द्वारा निर्दिष्ट किये जाय ।

(2) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, कार्यकारिणी परिषद् बन्धक, बिक्री, विनियम, उपहार या अन्य रूप से विश्वविद्यालय की किसी अचल सम्पत्ति का तो संक्रमण न करेगी और न उसकी प्रतिभूति पर कोई धनराशि उधार या अग्रिम लेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ सामान्य रूप में दिया गया पट्टा इस उपधारा के अर्थ में संक्रमण नहीं समझा जायेगा ।

(3) कार्यकारिणी परिषद् किसी वित्तीय वर्ष में किये जाने वाले आवर्तक तथा अनावर्तक व्ययों को उन सीमाओं से अधिक व्यय नहीं करेगी जो वित्त समिति द्वारा निर्धारित की गई हो ।

(4) कार्यकारिणी परिषद् शिष्ट सभा के संकल्पों पर यथोचित रूप से विचार करेगी और उन पर ऐसी कार्यवाही करेगी जिन्हें वह उचित समझे और उसकी सूचना शिष्ट सभा को देगी । यदि किसी दशा में कार्यकारिणी परिषद् शिष्ट सभा के किसी संकल्प के अनुसार कार्यवाही करने में असमर्थ हो तो वह शिष्ट सभा को अपनी असमर्थता के कारणों की सूचना देगी ।

(5) कार्यकारिणी परिषद् ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जायें अपने किन्हीं अधिकारों का प्रतिनिधान विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को कर सकती है।

वित्त समिति

20—(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे :

(1) कुलपति

(2) वित्त अधिकारी,

(3) शिष्ट सभा के तीन ऐसे सदस्य जो कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य न हों और जो अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे, जिनमें से दो व्यक्ति ऐसे होंगे जो विश्वविद्यालय, किसी संघटक कालेज, किसी सम्बन्ध कालेज या किसी छात्रावास की सेवा में न हों,

(4) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो व्यक्ति ।

(2) वित्त समिति का सभापति, कुलपति तथा सचिव कुल सचिव होगा ।

(3) वित्त समिति, विश्वविद्यालय के आय तथा साधनों को ध्यान में रखते हुए, किसी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्तक तथा कुल अनावर्तक व्ययों की सीमा निश्चित करेगी, तथा ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का पालन करेगी जो इस अधिनियम या अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायें ।

(4) वित्त समिति किसी विशेष कारण से वित्तीय वर्ष के दौरान में उस व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकती है जो उसने उपधारा (3) के अधीन निश्चित की हो ।

विद्वत् परिषद्

21—(1) विद्वत परिषद् विश्वविद्यालय की विद्वत् संस्था होगी और इस अधिनियम परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संघारित व संबद्धक महाविद्यालय में शिक्षण अध्यापन, परीक्षा तथा शोध-कार्य के स्तर का नियंत्रण और सामान्य विनिमय करेगी और उसके संधारण के लिए उत्तरदायी होगी, और ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा उसे दिये या उस पर आरोपित किये जायें । उसे शिक्षा संबंधी समस्त विषयों पर कार्यकारिणी परिषद् को परामर्श देन का अधिकार होगा ।

(2) विद्वत् परिषद् का संघटक तथा उसके सदस्यों का कार्यकाल वही होगा जो नियत किया जाये ।

फैकल्टियां

22—(1) विश्वविद्यालय में ऐसी फैकल्टियां होंगी जो नियत की जायें ।

(2) प्रत्येक फैकल्टी में अध्यापन के ऐसे विभाग होंगे जो नियत किये जायें । विभिन्न विभागों के लिए पाठ्य विषय, अध्यादेशों के अनुसार निर्दिष्ट किये जायेंगे ।

(3) प्रत्येक फैकल्टी का एक बोर्ड होगा जिसका संघटक तथा जिसके अधिकार वही होंगे जो नियत किये जायें ।

(4) प्रत्येक फैकल्टी का एक डीन होगा जो ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि के लिए नियत किया जायेगा जो नियत की जाये।

(5) डीन, फैकल्टी के बोर्ड का सभापति होगा और फैकल्टी से सम्बद्ध परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उचित अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा। वह फैकल्टी के विभागों के अध्यापन तथा शोध कार्यों के प्रबन्ध तथा संचालन के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(6) एक या एकाधिक पाठ्य विषयों के संबंध में अध्ययन बोर्ड स्थापित किये जायेंग इन बोर्डों का संगठन अध्यादेशों द्वारा नियत किया जायेगा।

चयन समिति

23—(1) प्रत्येक पाठ्य विषय के संबंध में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समितियां होंगी।

(2) चयन समितियों का संगठन, उनके अधिकार तथा कृत्य और नियुक्तियां करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जो नियत की जाये।

अन्य अधिकरण

24—अन्य प्राधिकरणों का संगठन उनके अधिकार तथा कर्तव्य वही होंगे जो नियत किये जायें।

अध्याय 6

बोर्ड का संगठन तथा अध्यापकों और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति

बोर्ड

25—(1) विश्वविद्यालय में एक समन्वय बोर्ड, एक छात्र-कल्याण बोर्ड तथा अन्य ऐसे बोर्ड होंगे जो नियत किये जायें।

(2) बोर्ड का संगठन, उनके अधिकार तथा कर्तव्य वही होंगे जो नियत किये जायें।

अध्यापकों की नियुक्ति

26—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये कालेजों के अध्यापक, उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, प्रबन्धकारिणी द्वारा नियत रीति से नियुक्त किये जायेंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक अध्यापक, प्रथमतः ऐसी अवधि के लिये परिवीक्षाधीन रहेगा जो नियत की जाये और तब तक स्थायी न किया जायेगा जब तक प्राचार्य और उस विषय के ज्येष्ठतम अध्यापक की संस्तुति पर विचार करने के पश्चात् प्रबंधकारिणी आदेश न दे दें:

प्रतिबन्ध यह है कि प्राचार्य के स्थायीकरण की दशा में, इस खंड के अधीन कोई संस्तुति आवश्यक न होगी, और ज्येष्ठतम अध्यापक की दशा में केवल प्राचार्य की ही संस्तुति आवश्यक होगी।

(3) किसी ऐसे सम्बद्ध कालेज में, जो केवल राज्य सरकार द्वारा संधारित न हो, किसी अध्यापक की छः महीने या उससे अधिक अवधि के लिये मौलिक या अस्थायी अथवा स्थानापन्न नियुक्ति की सूचना प्रबन्धकारिणी द्वारा ऐसी नियुक्ति के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर समस्त प्रार्थना-पत्र तथा संबद्ध पत्रादि के साथ कुलपति को दी जायेगी। नियुक्ति का बना रहना कुलपति के अनुमोदन के अधीन होगा जो या तो नियुक्ति का अनुमोदन कर सकता है अथवा

उसे अस्वीकार कर सकता है और उपरोक्त दशा में वह नियुक्ति, यथाशक्य शीघ्र किन्तु परिवीक्षा काल की अवधि की समाप्ति के दिनांक के पूर्व ही समाप्त कर दी जायेगी।

अधिकारियों की सेवा की शर्तें

27—(1) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, विश्वविद्यालय का प्रत्येक वैतनिक अधिकारी एक लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जायेगा जो विश्वविद्यालय में रखी जायेगी और उसकी एक प्रतिलिपि सम्बद्ध अधिकारी को दी जायेगी।

(2) उपधारा (1) में अभिविष्ट संविदा से उठने वाला कोई विवाद मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अभिदिष्ट किया जायेगा, जिसमें कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य, सम्बद्ध अधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य तथा कुलाधिपति द्वारा नियुक्त एक सदस्य जो संयोजक होगा और न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा। ऐसे अभिदेश पर आर्बीट्रेशन ऐक्ट, 1940 के सभी उपबन्ध यहां दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए लागू होंगे।

(3) विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभार्थ ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जाये, ऐसा निवृत्ति वेतन, आनुतोषिक (gratuity) बीमा तथा भविष्य निधि की व्यवस्था करेगा जो वह उचित समझे।

संबद्ध कालेजों के अध्यापकों की सेवा की शर्तें

28—(1) "केवल सरकार द्वारा संधारित कालेज से भिन्न" किसी संबद्ध स्वायत्त या संघटक कालेज का प्रत्येक अध्यापक एक लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जायेगा, जिसमें ऐसी शर्तें तथा प्रतिबन्ध होंगे जो नियत किये जायें। लिखित संविदा विश्वविद्यालय में रखी जायेगी और इसकी एक प्रतिलिपि संबद्ध प्रबन्धकारिणी तथा अध्यापक को दी जायेगी।

(2) संबद्ध संघटक या स्वायत्त कालेज तथा उसके किसी अध्यापक के बीच उपधारा (1) में उल्लिखित संविदा से उठने वाला कोई विवाद मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अभिदिष्ट किया जायेगा, जिसमें प्रबन्धकारिणी द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य, संबंधित अध्यापक द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलपति द्वारा नियुक्त एक सदस्य जो संयोजक होगा। न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा। ऐसे अभिदेश पर आर्बीट्रेशन ऐक्ट, 1940 के सभी उपबन्ध यहां पर दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए लागू होंगे।

(3) केवल सरकार द्वारा संधारित कालेज से भिन्न, किसी संबद्ध संघटन या स्वायत्त कालेज की प्रबन्ध कारिणी द्वारा किसी अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने अथवा हटाने के लिये किये गये प्रत्येक निर्णय की सूचना कुलपति को तुरन्त दी जायेगी, और परिनियमों में दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुये, ऐसा निर्णय तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि कुलपति उसका अनुमोदन न कर दें। यदि 3 महीने के भीतर वे अनुमति न दें तो निर्णय प्रभावी होगा।

कतिपय अन्य उपबन्ध

29—ऐसे समय जब तक कि विश्वविद्यालय के संगत प्राधिकरण यथाविधि संघटित न हो जाये, इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी समय कुलपति, कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकता है।

अध्याय 7

परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम

परिनियम

30—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में विश्वविद्यालय से संबंधित किसी विषय के लिये व्यवस्था की जा सकती है, और विशेषत: निम्नलिखित की व्यवस्था की जायेगी:—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का संगठन, उनके अधिकार और कर्तव्य,

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के सदस्यों का चयन, निर्वाचन, नियुक्त और कार्यालय तथा रिक्तियों की पूर्ति और उनसे संबद्ध अन्य विषय,

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति की शर्तें तथा उनके अधिकार और कर्तव्य,

(घ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, तथा अन्य कर्मचारियों के लाभार्थ निवृत्ति वेतन या भविष्य निधि की व्यवस्था तथा बीमा योजना की स्थापना,

(ङ) अध्यापकों का वर्गीकरण तथा उनकी नियुक्ति की रीति,

(च) उपाधियों तथा डिप्लोमाओं की स्थापना,

(छ) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान,

(ज) उपाधियों डिप्लोमाओं, प्रमाण-पत्रों तथा अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं का वापस लेना,

(झ) संकायों की स्थापना, अनुमेलन, उप विभाजन और उनका बन्द किया जाना,

(ञ) संकायों में अध्यापन विभागों की स्थापना,

(ट) शर्तें जिनके अधीन कालेज तथा अन्य संस्थायें, विश्वविद्यालय से संबद्ध की जा सके और जिनके अधीन संबद्धता वापिस ली जा सके,

(ठ) संबद्ध स्वायत्त, कालेजों तथा शैक्षिक स्थानों का निरीक्षण

(ड) निबद्ध स्नातकों के रजिस्टर का रखा जाना और नियंत्रण की अर्हतायें, शर्तें तथा रीति,

(ढ) दीक्षांत समारोह करना,

(ण) अधिछात्रवृत्ति (फेलोशिप), छात्रवृत्तियों, पदकों तथा परितोषिकों की स्थापना, और

(त) अन्य सभी विषय जिनके लिये परिनियमों द्वारा व्यवस्था करना इस अधिनियम में अपेक्षित हो ।

परिनियमों का बनाया जाना

31—(1) प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा बनाये जायेंगे और उनकी एक-एक प्रतिलिपि राज्य सरकार विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, उसके

एक या एकाधिक अनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखें और वे ऐसे परिवर्तनों तथा अभिशून्ययों (Annulments) के अधीन होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन संबद्ध परिनियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर, प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

(2) इस धारा में व्यवस्थित रीति से शिष्ट सभा समय-समय पर अतिरिक्त परिनियम बना सकती है तथा किसी परिनियम को संशोधित अथवा निरस्त कर सकती है ।

(3) कार्यकारिणी परिषद, शिष्ट सभा के समक्ष उसके द्वारा पारित होने के निमित्त किसी परिनियम का प्रारूप प्रस्तावित कर सकती है, और ऐसे प्ररूप पर कोर्ट अपनी अगली सामान्य बठक में विचार करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कार्यकारिणी परिषद् किसी ऐसे परिनियम का अथवा किसी परिनियम के ऐसे संशोधन के प्रारूप का प्रस्ताव नहीं करेगी जिससे विश्वविद्यालय के किसी वर्तमान प्राधिकरण की प्रस्थिति (Status), अधिकार या संघटन पर प्रभाव पड़ता हो जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को उस प्रस्ताव पर अपना मत प्रकट करने का अवसर न दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त मत पर कोर्ट विचार करेगा ।

(4) शिष्ट सभा उपधारा (3) में अभिदिष्ट किसी ऐसे प्रारूप का अनुमोदन कर सकती है और परिनियम पारित कर सकता है अथवा उसे अस्वीकार कर सकती है या उसे कार्यकारिणी परिषद् को, पूर्णतः या अंशतः पुनः विचारार्थ किसी ऐसे संशोधन के साथ वापस कर सकती है जिसका वह सुझाव दें ।

(5) शिष्ट सभा का कोई सदस्य शिष्ट सभा के समक्ष किसी परिनियम अथवा किसी परिनियम के संशोधन के प्रारूप का प्रस्ताव कर सकता है और शिष्ट सभा या तो उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती है अथवा अस्वीकार कर सकती है अथवा ऐसे प्रारूप को कार्यकारिणी परिषद् के विचारार्थ अभिदिष्ट कर सकती है जो शिष्ट सभा को या तो यह प्रतिवेदन दे सकती है कि प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती अथवा उक्त प्रारूप को शिष्ट सभा के समक्ष ऐसे रूप में प्रस्तुत कर सकती है जिसे कार्यकारिणी परिषद अनुमोदित करे और इस धारा के उपलब्ध इस प्रकार प्रस्तुत प्रारूप पर उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे कि वे कार्यकारिणी परिषद् द्वारा शिष्ट सभा के समक्ष प्रस्तावित प्रारूप पर लागू होते हैं ।

(6) शिष्ट सभा द्वारा बनाया गया कोई परिनियम अथवा उसमें किया गया कोई संशोधन या निरसन तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि कुलाधिपति उसका अनुमोदन न कर दें । कुलाधिपति उसका या तो अनुमोदन कर सकते हैं अथवा अस्वीकार कर सकते हैं या उसे शिष्ट सभा द्वारा विचार करने के लिए वापस भेज सकते हैं ।

अध्यादेश

32—(1) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय की व्यवस्था की जा सकती है जिसके लिए इस अधिनियम या परिनियम या परिनियमों द्वारा इस प्रकार व्यवस्था की जाने की अनुज्ञा दी गई हो तथा किसी ऐसे अन्य विषय की व्यवस्था की जा सकती है जिसके लिए कार्यकारिणी परिषद् अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था करना उचित समझें ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी विषयों अथवा किसी एक विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

(क) कालेजों में छात्रों का प्रदेश तथा नामांकन और उनका इस प्रकार बना रहना,

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिए निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम,

(ग) शर्तें, जिनके अधीन, छात्र उपाधि डिप्लोमाओं तथा अन्य पाठ्यक्रमों और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रविष्ट किये जायेंगे, तथा वे उपाधियां और डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे,

(घ) विश्वविद्यालय के वैतनिक अधिकारियों की संख्या, उनकी अर्हतायें, उपलब्धियां तथा सेवा की अन्य शत, जिनके अन्तर्गत सेवा-निवृत्ति की आयु भी है, तथा उनकी सेवा और कार्य-कलापों का अभिलेख तैयार करना और उनका रखा जाना,

(ङ) शुल्क जो विश्वविद्यालय द्वारा किसी प्रयोजन के लिये लिया जा सके,

(च) परीक्षण संस्थाओं, परीक्षकों तथा परिमार्जकों (Moderators) की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्त्तव्य,

(छ) परीक्षाओं का संचालन,

(ज) विश्वविद्यालय के कार्यों में सेवायोजित व्यक्तियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक, तथा भत्ता, जिनके अन्तर्गत यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते भी हैं,

(झ) अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां, निर्धन छात्रवृत्तियां पदक तथा पारितोषिक प्रदान करने की शर्तें, और

(ञ) अन्य समस्त विषय जिनकी इस अधिनियम का परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था करना अपेक्षित हो या व्यवस्था की जाय ।

अध्यादेशों का बनाया जाना

33—(1) इस धारा में अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए अध्यादेश कार्यकारिणी परिषद् द्वारा बनाये जायेंगे और वे उस दिनांक से प्रभावी होंगे जिसे कार्यकारिणी परिषद् निदेशित करें:

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा अध्यादेश नहीं बनाया जायेगा—

(क) जिससे विश्वविद्यालय की आय तथा व्यय पर प्रभाव पड़े, जब तक, कि ऐसे अध्यादेश का प्रारुप राज्य सरकार को प्रस्तुत न कर दिया गया हो और उसके द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो, या

(ख) जिसमें कालेज में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिये शर्तें निर्धारित हों अथवा जिससे किसी अन्य प्रकार से छात्रों के प्रवेश पर प्रभाव पड़े, जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्वत् परिषद् ने प्रस्तावित न किया हो, या

(ग) जिससे किसी पाठ्यक्रम, किसी परीक्षा के संचालन या स्तर, अथवा परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तों तथा रीति और उनके कर्तव्यों

प्रारूप का पर प्रभाव पड़े, जब तक कि ऐसे अध्यादेश को एक । ।वद्वत् परिषद् बोर्ड या फैकल्टी ने प्रस्तावित न किया हो, और विद्वत् परिषद् तब तक ऐसे प्रस्ताव नहीं करेगी जब तक कि सम्बद्ध फैकल्टियों के बोर्ड या फैकल्टी द्वारा अनुरोध न किया जाय, या

(2) कार्यकारिणी परिषद् की उपधारा (1) के अधीन विद्वत् परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप को संशोधित करने का अधिकार नहीं होगा, किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकती है या उसे विद्वत् परिषद् को पूर्णतः अथवा अंशतः पुनः विचारार्थ किसी ऐसे संशोधन के साथ वापस कर सकती हैं जिसका कार्यकारिणी परिषद् सुझाव दें।

(3) कार्यकारिणी परिषद् द्वारा बनाये गये अध्यादेश की एक प्रतिलिपि तुरन्त कुलाधिपति और शिष्ट सभा को प्रस्तुत की जायेगी और शिष्ट सभा उस पर अपनी अगली बैठक में विचार करेगा। शिष्ट सभा उक्त अध्यादेश को स्वीकार कर सकती है अथवा वह ऐसी बैठक में उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यादेश को रद्द कर सकती है और उस दशा में अध्यादेश ऐसे संकल्प के दिनांक से निरर्थक हो जायेगा। शिष्ट सभा अध्यादेश को यथास्थिति, स्वीकार करने अथवा रद्द करने की सूचना तुरन्त कुलाधिपति को देगी।

(4) कुलाधिपति, शिष्ट सभा द्वारा किसी अध्यादेश पर विचार कर लिय जाने और उस पर सहमति दिये जाने के पश्चात् किसी समय या तो उसे स्वीकार कर सकता है अथवा उसे रद्द कर सकता है, और पश्चातवर्ती दशा में कार्यकारिणी परिषद् को इस प्रकार रद्द किये जाने की सूचना प्राप्त होने के दिनांक से अध्यादेश निरर्थक हो जायेगा।

(5) कुलाधिपति यह निर्देश दे सकता है कि किसी अध्यादेश का प्रवर्तन उस समय तक के लिए निलम्बित रहेगा, जब तक कि वह उपधारा (4) के अधीन उसके द्वारा स्वीकार अथवा रद्द न किया गया हो। इस उपधारा के अधीन निलम्बन का आदेश कुलाधिपति को, अध्यादेश स्वीकार करने के संबंध में शिष्ट सभा को सूचना प्राप्त होने के दिनांक से पंद्रह दिन की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जायेगा।

(6) यदि विद्वत् परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी अध्यादेश के प्रारूप को कार्यकारिणी परिषद् ने अस्वीकार कर दिया हो तो, विद्वत परिषद् शिष्ट सभा के समक्ष अपील कर सकती है, और यदि शिष्ट सभा कार्यकारिणी परिषद् के विचार प्राप्त कर लेने के पश्चात्, प्रारूप का अनुमोदन करे तो वह अध्यादेश बना सकती है और उसे कुलाधिपति को प्रस्तुत कर सकती है। इस प्रकार बनाया गया अध्यादेश ऐसे दिनांक से प्रभावी होगा जो शिष्ट सभा निर्दिष्ट करे। कुलाधिपति अध्यादेश को या तो स्वीकार कर सकता है अथवा रद्द कर सकता है और पश्चात्वर्ती दशा में कार्यकारिणी परिषद् को इस प्रकार रद्द किये जाने की सूचना प्राप्त होने के दिनांक से अध्यादेश निरर्थक हो जायेगा।

34.—(1) विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकरण या कोई इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकता है, जिनमें—

(क) उसकी बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाये,

(ख, ऐसे समस्त विषयों की व्यवस्था इस अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों के अधीन, विनियमों द्वारा की जानी हो, और

(ग) किन्हीं ऐसे विषयों की व्यवस्था की जाये जिनका सम्बन्ध केवल उक्त प्राधिकरण या बोर्ड से हो और जिनकी व्यवस्था इस अधिनियमों, परिनियमों और अध्यादेशों में न की गई हो।

(2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या बोर्ड द्वारा बनाये गये विनियमों में, उसके सदस्यों की बैठकों के दिनांकों की ओर उनमें किये जाने वाले कार्य की सूचना देने तथा ऐसी बैठकों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखने की व्यवस्था की जायेगी।

(3) कार्यकारिणी परिषद शिष्ट सभा से भिन्न, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या बोर्ड को यह निदेश दे सकती है कि वह ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड द्वारा बनाये गये किसी विनियम को इस प्रकार रद्द कर दे अथवा उसमें संशोधन कर दे जो निदेश में निर्दिष्ट किया जाय और ऐसा प्राधिकरण या बोर्ड तद्नुसार विनियम को रद्द करेगा अथवा उसमें संशोधन करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि विश्वविद्यालय का प्राधिकरण या बोर्ड किसी ऐसे निदेश से असन्तुष्ट हो तो वह कुलाधिपति को अपील कर सकता है जो कार्यकारिणी परिषद् का विचार प्राप्त कर लेने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे।

अध्याय 8

प्रवेश तथा परीक्षाएं

छात्रों का प्रवेश

35—(1) छात्र किसी भी उपाधि के पाठ्यक्रम में उस समय तक प्रवेश पाने के पात्र न होंगे, जब तक उन्होंने बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐण्ड इण्टरमीडिएट एजूकेशन उत्तर प्रदेश की, अथवा तत्समय प्रचलित किसी विधि द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा विश्वविद्यालय द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा पास न कर ली हो तथा वे ऐसी अतिरिक्त अर्हतायें, यदि कोई हों, न रखते हों, जो अध्यादेशों द्वारा नियत की जायं।

(2) विश्वविद्यालय कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी उपाधि के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी भी उपाधि को अपनी उपाधियों के समकक्ष या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा संचालित किसी परीक्षा को बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐण्ड इण्टरमीडियेट एजूकेशन उत्तर प्रदेश को इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्यता न देगा।

परीक्षायें

36—(1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विद्वत् परिषद् परीक्षाओं के संचालन के लिए प्रबन्ध करने का निदेश देगी।

(2) यदि कोई परीक्षक किसी कारण से परीक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो तो कुलपति उस रिक्ति की पूर्ति के लिए परीक्षक नियुक्त करेगा। प्रत्येक ऐसी नियुक्ति की सूचना कार्यकारिणी परिषद् को दी जायेगी।

(3) किसी उपाधि के निमित्त नियत प्रत्यक विषय के लिए नियुक्त परीक्षकों की यथाशक्य, आधी संख्या ऐसे व्यक्तियों की होगी जो बिश्वविद्यालय अथवा उसके किसी संघटक या सम्बद्ध कालेज की सेवा में न हों ।

(4) प्रत्येक संकाय की परिषद् उस संकाय में सम्मिलित किसी विभाग को सौपे गए प्रत्येक विषय के लिए एक परीक्षा समिति नियुक्त करेगी। समिति म ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें परिषद् विद्वत परिषद्, के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, अपने सदस्यों में से अथवा बाहर से नियक्त करे । समिति को किसी परीक्षा के लिए तैयार किए गए प्रश्न-पत्रों का परिमार्जन करन, किसी परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा किए गए कार्य के गुण दोषों की समीक्षा करने, साफल्यस्तर (Standard of Attainments) के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देने तथा इनमें से किसी भी विषय के सम्बन्ध में सिफारिशें करने का अधिकार होगा । समिति द्वारा की गयी कोई भी समीक्षा, प्रतिवेदन अथवा सिफारिश विद्वत् परिषद् के समक्ष विचारार्थ रखी जायगी ।

अध्याय 9

सम्बद्धता तथा मान्यता

37—(1) किसी कालेज की सम्बद्धता की शर्तें वही होंगी जो नियत सम्बद्ध कालेज की जायें ।

(2) कोई सम्बद्ध कालेज, उसी स्थान पर स्थित किसी अन्य सम्बद्ध कालेज या विश्वविद्यालय से अध्यापन कार्य में सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था कर सकता है ।

(3) इस अधिनियम में की गई व्यवस्था के अधीन रहत हुए, किसी सम्बद्ध या स्वायत्त कालेज शोध संस्थान की प्रबन्धकारिणी कालेज के कार्यों का प्रबन्ध तथा नियंत्रण करने के लिए स्वतन्त्र होगी और उसके संधारण तथा रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होगी ।

(4) प्रत्येक सम्बद्ध या स्वायत्त, कालेज या संघटक या शोध संस्थान ऐसे प्रतिवेदन, विवरणियां तथा अन्य ब्योरे प्रस्तुत करेगा जिन्हें कार्यकारिणी परिषद् स्वतः अथवा विद्वत् परिषद् के अनुरोध पर मांगे ।

(5) कार्यकारिणी परिषद् प्रत्येक सम्बद्ध स्वायत्त या संघटक कालेज या शोध संस्थान का अपने द्वारा तदर्थ प्राधिकृत एक या एकाधिक व्यक्तियों से समय-समय पर पांच वर्ष से अनधिक अन्तरालों पर निरीक्षण करायेगी ।

(6) कार्यकारिणी परिषद् इस प्रकार निरीक्षित किसी सम्बद्ध स्वायत्त, संघटक कालेज या शोध संस्थान को ऐसी अवधि के भीतर, जो उसके द्वारा निर्दिष्ट की जाय, ऐसी कार्यवाही करने का निदेश दे सकती है जो उसे आवश्यक प्रतीत हो ।

(7) यदि कोई सम्बद्ध या स्वायत्त कालेज कार्यकारिणी परिषद् के निदेशों का अथवा सम्बद्धता की शर्तों का पालन न करे तो उसकी सम्बद्धता परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार वापस ली जा सकती है अथवा राज्य सरकार सम्बद्ध या स्वायत्त कालेज की प्रबन्ध समिति को अपदस्थ करके तीन वर्षों के लिए उसका प्रबन्ध 5 शिक्षा शास्त्रियों की एक समिति को सौंप सकते हैं जिनमें से एक को वह अध्यक्ष तथा एक अन्य को नाम-निर्देशित कर सकती है ।

स्वायत्त कालेज

38—विश्वविद्यालय, नियत रीति से, किसी ऐसे सम्बद्ध कालेज को जो तदर्थ नियत शर्तों को पूरा करे, उस कालेज में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए, उन पाठ्यक्रमों में जो विश्वविद्यालय द्वारा नियत किये गये हों, परिवर्तन करने, और इस प्रकार परिवर्तित पाठ्यक्रमों में परीक्षा लेने का विशेषाधिकार दे सकती है। ऐसे कालेज द्वारा पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने की सीमा तथा परीक्षा लेने की रीति प्रत्येक मामले में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जायगी। ऐसा कालेज नियत रीति से स्वायत्त कालेज घोषित किया जायगा।

कर्मकार कालेज

39—विश्वविद्यालय ऐसी शर्तों के अधीन जो नियत की जायें, ऐसे व्यक्तियों के लिए उपाधियों के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने के प्रयोजनार्थ जो उन पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिये अन्यथा पात्र हो, किन्तु जो व्यवसाय, व्यापार, कृषि या उद्योग में लगे रहने, अथवा किसी अन्य प्रकार की सेवा में सेवायोजित होने के कारण पूर्णकालिक छात्र के रूप में अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, किसी संबद्ध कालेज को कर्मकार कालेज के रूप में मान्यता प्रदान कर सकता है। ऐसे छात्रों के लिए पाठ्यक्रम की अवधि अन्य छात्रों के निमित्त ऐसे पाठ्यक्रम के लिए नियत अवधि की डेढ़ गुनी से कम न होगी। प्रत्येक ऐसे पाठ्यक्रम का आयोजन पृथक रूप से किया जायगा।

संघटक कालेज

40—(1) विश्वविद्यालय में ऐसे संघटक कालेज हो सकते हैं जो परिनियमों द्वारा नामित किये जायें।

(2) किसी संघटक कालेज का प्राचार्य उस कालेज के छात्रों के अनुशासन के लिए उत्तरदायी होगा और उसका उस कालेज के लिपिकीय तथा निम्नवर्ग के कर्मचारियों पर सामान्य नियंत्रण होगा। वह ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों द्वारा नियत किय जायें।

अध्याय 10

वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा

वार्षिक प्रतिवेदन

41—विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कार्यकारिणी परिषद् के निदेशाधीन तैयार किया जायगा और शिष्ट सभा को वार्षिक बैठक में प्रस्तुत किया जायगा, जिसमें उस पर विचार किया जायगा। शिष्ट सभा उस पर अपनी टीकायें, यदि कोई हो, कर सकती है और उस पर संकल्प पारित कर सकती है तथा उसकी सूचना कार्यकारिणी परिषद् को दे सकती है जो उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी जो वह उचित समझे।

लेखा तथा लेखा परीक्षा

42—(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा पक्का चिट्ठा कार्यकारिणी परिषद् के निदेशाधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी साधन से विश्वविद्यालय को प्राप्य या प्राप्त समस्त धनराशियां और ऐसी समस्त धनराशियां जिनका वितरण अथवा भुगतान किया गया हो विश्वविद्यालय द्वारा रखे गये लेखे में दर्ज की जायेगी।

(2) वार्षिक लेखे तथा पक्के चिट्ठे की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी जो उनकी लेखा परीक्षा करायेगी।

(3) वार्षिक लेखा तथा पक्के चिट्ठे की लेखा परीक्षा हो जाने के पश्चात् मुद्रित किया जायगा और उनकी प्रतिलिपियां तथा लेखा प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां कार्यकारिणी परिषद् द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

(4) राज्य सरकार किसी ऐसे व्यक्ति से जिनके सम्बन्ध में यह पता चले कि उसने बजट में सम्मत मद के लिये व्यवस्थित धनराशि से अथवा इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के किसी उपबन्ध की उपेक्षा करके अधिक धनराशि व्यय की है या ऐसा करने का अधिकार दिया है, यह अपेक्षा कर सकती है कि वह इस प्रकार व्यय की गई अथवा व्यय करने के लिये अधिकृत धनराशि की भरपाई करे और राज्य सरकार इस विषय में ऐसी सभी कार्यवाही कर सकती है जो आवश्यक समझी जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, किसी व्यक्ति से ऐसी किसी धनराशि की भरपाई करने की अपेक्षा करने के पूर्व, उस अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देगी।

(5) कार्यकारिणी परिषद् उस दिनांक से पूर्व जो नियत किया जाय आगामी वर्ष का बजट भी तैयार करेगी।

(6) व्यय की प्रत्येक नयी मद जो ऐसी धनराशि से अधिक हो जो नियत की जाये और जिसे बजट में सम्मिलित करने का प्रस्ताव हो, कार्यकारिणी परिषद द्वारा वित्त समिति को उसकी सिफारिशों के लिए अभिविष्ट की जायगी।

(7) कार्यकारिणी परिषद्, वित्त समिति की सिफारिशों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात्, शिष्ट सभा के समक्ष परिषद् द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित वार्षिक लेखे तथा बजट प्रस्तुत करेगी जिनके साथ ऐसी सिफारिशें भी होंगी।

(8) वार्षिक लेखे तथा बजट पर शिष्ट सभा अपनी वार्षिक बैठक में विचार करेगी और वह इसके सम्बन्ध में संकल्प पारित कर सकती है और उसकी सूचना कार्यकारिणी परिषद् को दे सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपधारा (6) में अभिविष्ट व्यय की किसी मद पर कार्यकारिणी परिषद् तथा वित्त समिति में मतभेद हो तो उसके सम्बन्ध में शिष्ट सभा का निर्णय अन्तिम होगा।

(9) उस दशा को छोड़कर जब धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में उल्लिखित निधियों में से कोई व्यय किया जाय, कुलपति या कार्यकारिणी परिषद् के लिए वह वैध न होगा कि वह कोई ऐसा व्यय करे जिसकी बजट में स्वीकृति न दी गई हो।

अध्याय 11

विविध

अधिकारियों तथा प्राधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति करने की रीति

43—(1) इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के अधिकारी तथा किसी प्राधिकरण के सदस्य ऐसी रीति से चुने जायेंगे जो नियत की जाय।

(2) यदि इस अधिनियम या परिनियमों में, आवर्तन से (By rotation) या वे ज्येष्ठता अथवा अन्य अर्हता के अनुसार किसी नियुक्ति के लिये कोई उपबन्ध हो तो आवर्तन या ज्येष्ठता अथवा अन्य अर्हता निर्धारित करने की रीति वही होगी जो नियत की जाय।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

44—(1) विश्वविद्यालय किसी प्राधिकरण या संस्था के, पदेन सदस्यों से भिन्न, सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति, यथासम्भव सुविधानुसार, उसी रीति से की जायगी, जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी,

रिक्ति की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो, और आकस्मिक रिक्ति को पूरि करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या संस्था का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिये होगा जिसके लिये पद रिक्त करने वाला व्यक्ति सदस्य रहता।

(2) कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य संस्था के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य हो, चाहे वह संस्था विश्वविद्यालय की हो अथवा बाहरी, तब तक ऐसे प्राधिकरण में अपने पद पर रहेगा जब तक कि वह उस संस्था का प्रतिनिधि बना रहे और तत्पश्चात् जब तक कि उसका उत्तराधिकारी यथाविधि नियुक्त न हो जाय।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना और उपाधि डिप-लोमा आदि वापस लेना

45—शिष्ट सभा कार्यकारिणी परिषद् के कम से कम दो तिहाई सदस्यों की सिफारिश पर, किसी ऐसे सदस्य को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या संस्था की सदस्यता से हटा सकती है जो किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष हुआ हो जो उनकी राय में नैतिक पतन समन्वित अपराध हो अथवा जो लोकापवादजनक आचरण का दोषी है अथवा जिसने ऐसी रीति से व्यवहार किया हो जो उस प्राधिकरण या संस्था के सदस्य के लिए अशोभनीय हो, और उक्त किसी आधार पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त अवैध स्वीकृति कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र वापस ले सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के आधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व सम्बन्धित सदस्य या व्यक्ति को प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का समुचित अवसर दिया जायगा।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा संस्थाओं के संघटन के संबंध में विवाद और निर्णयों की वैधता

46—यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकरण या संस्था का यथाविधि सदस्य चुना गया है या नहीं, अथवा वह उसका सदस्य होने का अधिकारी है या नहीं अथवा यह प्रश्न उठे कि विश्वविद्यालय या उसके किसी प्राधिकरण का कोई निणय इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुकूल है अथवा नहीं, तो वह विषय कुलाधिपति को अभिविष्ट किया जायगा और उस पर उनका निर्णय अन्तिम होगा।

निवृत्ति वेतन तथा भविष्य निधि

47—यदि विश्वविद्यालय ने अपने अधिकारियों, अध्यापकों या अन्य सेवकों के लाभार्थ कोई निवृत्ति वेतन या भविष्य निधि की व्यवस्था की हो, राज्य सरकार यह घोषणा कर सकती है कि ऐसी निधि पर प्राविडेन्ट फन्ड ऐक्ट, 1925 के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानों वह कोई सरकारी भविष्य निधि हो।

अध्याय 12

संक्रमणकालीन उपबन्ध

गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध कालेजों में छात्रों को पाठ्यक्रम पूरा किया जाना

48—इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों में किसी बात के होते हुए भी—

(क) कालेज के किसी भी छात्र को जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व गोरखपुर विश्वविद्यालय की किसी भी उपाधि के निमित्त अध्ययन कर रहा हो, यथास्थिति, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर द्वारा उस उपाधि के लिए अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जायगी तथा विश्वविद्यालय और कालेज गोरखपुर विश्वविद्यालय की अध्ययन विवरण पत्रिका (prospectus) के अनुसार उस छात्र के शिक्षण तथा परीक्षा की व्यवस्था करेगा, और

(ख) जब तक कि विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी परीक्षा की व्यवस्था न की जाय, तब तक ऐसा कोई छात्र, गोरखपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रविष्ट किया जा सकता है तथा उसे उस विश्वद्यालय की वह उपाधि प्रदान की जा सकेगी जिसके लिये वह परीक्षाफल के आधार पर अर्हत हो।

कठिनाइयों को दूर करना

49--(1) राज्य, सरकार, इस अधिनियम को प्रचलित करने के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा—

(क) निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम और तद्धीन बनाया जाय कोई परिनियम तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि में, जो उक्त आदेश में निर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे, प्रभावी होगा; या

(ख) निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण के अधिकारों, कर्तव्यों तथा कृत्यों का किसके द्वारा और किस रीति से उस समय तक पालन या सम्पादन किया जायगा जब तक कि ऐसा अधिकारी या प्राधिकरण यथा विधि नियुक्ति या संघटित न हो जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनिगम के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया जायगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र, ही विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उद्देश्य तथा कारण

(1) चूंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या लगभग सवा सौ तक पहुंच चुकी है और विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी ने स्वतः 1-6-71 की बैठक में सम्बद्ध महाविद्यालय को विश्वविद्यालय से अलग करने का संकल्प पारित तथा गोरखपुर वि० वि० को एकांतिक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित होने देने का अनुरोध किया।

(2) चूंकि राधाकृष्णन् विश्वविद्यालय आयोग ने यह संस्तुति की है कि एक विश्वविद्यालय 5 सम्बद्ध महाविद्यालयों से अधिक का नियंत्रण नहीं कर सकता और 50 सम्बद्ध महाविद्यालयों से संख्या अधिक हो जाय तो दूसरे विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिये।

(3) चूंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित गजेंद्र गदकर/सेन समिति ने भी संस्तुति की है कि साधारणतः 30 और अधिक से अधिक 60 सम्बद्ध महाविद्यालयों की ही देखरेख एक विश्वविद्यालय को करनी चाहिए। महाविद्यालयों की संख्या इसके ऊपर होने पर दूसरे विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिये।

(4) चूंकि फैजाबाद में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के निर्णय से भी स्थिति अन्तर नहीं होता, क्योंकि एक नये क्षेत्रीय विश्वविद्यालय के लिये अपने डिवीजन के बाहर के सम्बद्ध महाविद्यालयों का संचालन तथा मार्ग-प्रदर्शन उतना ही कठिन होगा, जितना गोरखपुर के लिये सिद्ध हुआ।

(5) चूंकि काशी विद्यापीठ को भी जिसकी एक विशिष्ट परम्परा रही है और जिसका क्षेत्र वाराणसी तक सीमित है पूर्ण विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित करने से भी स्थिति में अन्तर नहीं आता।

(6) चूंकि एक सम्बद्ध महाविद्यालय की स्थापना से सरकार के ऊपर कोई आर्थिक भार नहीं बढ़ता, किन्तु उच्च शिक्षा में अपेक्षित सुधार की संभावना बढ़ जाती है।

(7) चूंकि पूर्वांचल विश्वविद्यालय एक नये प्रयोग एवं व्यवसायनिष्ठ शिक्षा देने का उपक्रम करता है, और

(8) चूंकि पूर्वांचल विश्वविद्यालय के अन्तर्गत महाविद्यालय तथा शोध संस्थान परस्पर सहयोग देते हुए उक्त क्षेत्र में उच्च-शिक्षा में अभूतपूर्व प्रगतिशीलता लाने का प्रयास करेंगे।

अतः पूर्वांचल विश्वविद्यालय विधेयक, 1974 सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है।

ओम प्रकाश श्रीवास्तव,
एम० एल० ए०।

बी० एस० यू० पी०—ए० पी० 144 वि० सभा—(178)—1975—845।